मालव

महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

(कंपनी अधिनियम 1956 के भाग IX-A के प्रावधानों के अंतर्गत निगमित)

CIN: U01114MP2017PTC043970

दसवीं
वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण
2025-2026

निदेशक मंडल

1.	श्रीमती टीना यादव	:	निदेशक
2.	श्रीमती ममता बाई	:	निदेशक
3.	श्रीमती सुनीता विश्वकर्मा	:	निदेशक
4.	श्रीमती बबीता परमार	:	निदेशक
5.	श्रीमती रीना दांगी	:	निदेशक
6.	श्रीमती ममता लोधी	:	निदेशक
7.	श्रीमती मीना राजपूत	:	निदेशक
8.	श्रीमती अबधेश यादव	:	निदेशक
9.	श्रीमती पूजा गोस्वामी	:	निदेशक
10.	श्रीमती पूनम यादव	:	निदेशक
11.	श्रीमती रेखा लोधा	:	निदेशक
12.	श्री रवि रंजन	:	विशेषज्ञ निदेशक
13.	श्री बसंत चौधरी	:	विशेषज्ञ निदेशक
14.	श्री रवीन्द्र सिंह	:	मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक

वैधानिक लेखा परीक्षक
मैसर्स एस एन धवन & कं
एल एल पी, चार्टर्ड एकाउंटेंट गुरुग्राम

आंतरिक लेखा परीक्षक

मैसर्स रे आर रे एसोसिएट्सरे, चार्टर्ड एकाउंटेंट, कोलकाता

कंपनी सचिव

सुश्री श्वेता वर्मा

हेड फाइनेंस

श्री संदीप राठौर

बैंकर्स

एच डी एफ सी बैंक, बैंक ऑफ़ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट

बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

बीटल हाउस, तीसरी मंजिल, 99, मदनगीर, एलएससी के पीछे, नई दिल्ली - 110062

पंजीकृत कार्यालय

ओल्ड ए बी रोड,प्राभत ब्रेड फ़ैक्टरी के पास, तलाबड़ा, चम्पापुरा, ब्यावरा, राजगढ़, म॰प्र॰- 465674

क्र.स.	विवरण	प्रष्ठ
1.	निदेशक रिपोर्ट	1-12
2.	लेखा परीक्षको की रिपोर्ट एवं अनुलग्नक	13-26
3.	वित्तीय खाते और उनके नोटस	27-54
4.	दसवीं वार्षिक आम बैठक की सूचना	55-89
5.	वर्ष 2026-27 के लिए बजट	90-91
6.	नौवीं वार्षिक आम बैठक की कार्यवृत्त	92-108
7.	उपस्थिति पर्ची	109
8.	प्रॉक्सी फॉर्म	110-111
9.	प्राप्ति रसीद	112

नोट:

- **हिंदी भाषा में अनुवादित दस्तावेजो में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता पाए जाने पर अंग्रेजी भाषा में लिखित दस्तावेज ही अंतिम रूप से मान्य होंगे |**

- **सभी राशि लाख में हैं जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो |**

मालव महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

अंशधारकों के लिये निदेशकों की रिपोर्ट

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी के व्यवसाय और संचालन संबंधी अंकेक्षित खाते 10वीं वार्षिक प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

वित्तीय परिणाम (Financial Results)

संक्षिप्त में कम्पनी के वित्तीय परिणाम निम्म प्रकार हैं:-

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
कुल आय	21,320.37	17,236.23
कुल लागत (व्यय सहित)	21,282.27	17,109.09
कर के पूर्व लाभ/ (हानि)	**38.10**	**127.14**
कर हेतु प्रावधान)	2.99	25.63
कर के पश्चात् लाभ/ (हानि)	**35.11**	**101.51**

कंपनी के कामकाज का विवरण (STATEMENT OF THE COMPANY'S AFFAIRS)

समीक्षा वर्ष के दौरान, कम्पनी की व्यवसाय से कुल आय पिछले वर्ष के रुपए 17,236.23 लाख की तुलना में, 23.70 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए रुपए 21,320.37 लाख दर्ज कि गई। कुल खर्च 21,282.27 रुपए (आंकड़े लाख में) हैं, जबकि पिछले वर्ष में यह 17,109.09 रुपए (आंकड़े लाखों में) थे। वर्ष के लिए कर पश्चात लाभ पिछले वर्ष के 101.51 रुपए (आंकड़े लाख में) की तुलना में 35.11 रुपए (आंकड़े लाख में) रहे है।

सीमित लाभांश (Dividend)

निदेशक मंडल को ₹ 7/- प्रति समता अंश की दर से कुल 31,37,309/- रुपए **(इकतीस लाख सैंतीस हजार तीन सौ नौ रुपए मात्र)** सीमित लाभांश (डिविडेंड) राशि देने की अनुशंसा करते हुए प्रसन्नता हो रही है। सीमित लाभांश (डिविडेंड) का भुगतान उन सदस्यों को किया जायेगा जिनका नाम 31 मार्च, 2026 को कम्पनी के सदस्यता रजिस्टर में पंजीकृत है।

सामान्य संचय में हस्तांतरण (Transfer to General Reserve)

कम्पनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 11.10 के प्रावधानों को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZI के साथ पढ़े जाने के अनुसार, निदेशक मंडल ने ₹ 3.74 लाख की राशि को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कंपनी के कर के बाद लाभ में से आर्थिक चिट्ठा में सामान्य संचय में हस्तांतरण करना प्रस्तावित है।

निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में स्थानांतरण (Transfer to investors education and protection fund)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 (5) के प्रावधानों के अनुसार, यदि कंपनी के भुगतान न किए गए लाभांश खाते में अंतरित लाभांश ऐसे हस्तांतरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि के लिए अदत्त या अदावाकृत रहता है, तो कंपनी द्वारा अर्जित ब्याज, यदि कोई हो, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि ("आईईपीएफ") के साथ ऐसा दावा न किया गया या भुगतान न किया गया लाभांश, धारा 125 की उपधारा (1) के तहत स्थापित निधि में स्थानांतरित किया जाएगा। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, भुगतान किए गए/दावा न किए गए लाभांश की कोई राशि कंपनी निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित करने की आवश्यकता नहीं है।

संचालन की समीक्षा (Milk Procurement)

दूध की खरीद

कंपनी का दूध खरीद अभियान राजगढ़, शिवपुरी, श्योपुर, गुना, दतिया और मोरेना के 874 गांवों में जारी है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने लगभग 3.24 करोड़ किलोग्राम दूध की खरीद की है।

वित्तीय वर्ष के अंत में, कंपनी के 24442 सदस्य थे। सदस्यों ने कंपनी के कामकाज में अपना विश्वास दिखाया है। यह सकारात्मक संकेत कंपनी की विकास गाथा की शुरुआत को दर्शाता है, जो आने वाले वर्षों में अधिक से अधिक सक्रिय सदस्यों के आपसी सहयोग और समर्थन से निश्चित रूप से नई ऊंचाइयों को छुएगी।

खरीद मूल्य के संबंध में, कंपनी अपने सदस्यों को उनके द्वारा आपूर्ति किए गए दूध के लिए प्रतिस्पर्धी और लाभकारी मूल्य का भुगतान करना जारी रखे हुए है।

कंपनी अपने सदस्यों से दूध की खरीद को अधिकतम करने के लिए निरंतर प्रयासरत है, जिसके लिए वह कार्यकुशलता बढ़ाने और लागत कम करने के उपाय कर रही है, जैसे कि रसद लागत में कमी, बेहतर पर्यवेक्षण, गुणवत्ता जांच और बेहतर रसद नियंत्रण आदि।

वर्तमान में राजगढ़, शिवपुरी, श्योपुर, गुना, दतिया और मोरेना जिलों के अलावा, कंपनी भिंड, अशोक नगर और शाजापुर जिलों में भी अपनी उपस्थिति बढ़ाने और संगठनात्मक बुनियादी ढांचे को विकसित करने की योजना बना रही है।

उत्पादकता संवर्धन सेवायें (Productivity Enhancement Services)

कृत्रिम गर्भाधान (AI) सेवाएं:

कंपनी अपने परिचालन क्षेत्र में पशुओं की नस्ल में सुधार करके दुधारू पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने, दूध उत्पादन की लागत कम करने और किसानों की आय को अधिकतम करने के उद्देश्य से प्रशिक्षित और योग्य कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियनों के माध्यम से किसानों के घर पर ही सर्वोत्तम आनुवंशिकी का उपयोग करते हुए कृत्रिम गर्भाधान (एआई) सेवाएं प्रदान कर रही है।

पशु चारा

कंपनी ने समीक्षा वर्ष के दौरान लगभग 4336.40 मीट्रिक टन पशु आहार की बिक्री की, जबकि पिछले वर्ष में 2136 मीट्रिक टन पशु आहार की बिक्री की गई थी, जिसमें 200 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई ।

खनिज मिश्रण

कंपनी ने अपने कार्यक्षेत्र में उपलब्ध चारे, जलवायु और पशु आहार की आदतों को ध्यान में रखते हुए कंपनी के ब्रांड नाम से खनिज मिश्रण विकसित किया है और दुधारू पशुओं के स्वास्थ्य, दूध उत्पादन और प्रजनन में सुधार के लिए इसे उत्पादकों को प्रतिस्पर्धी मूल्य पर उपलब्ध कराया है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने लगभग 3677 किलोग्राम खनिज मिश्रण बेचा।

सतत विकास और पशु चिकित्सा सहायता

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने सतत हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अपने परिचालन क्षेत्रों में 500 बायोगैस इकाइयाँ सफलतापूर्वक स्थापित कीं। इसके अतिरिक्त, पशु स्वास्थ्य में सुधार और अपने उत्पादक सदस्यों को सहायता प्रदान करने के लिए, कंपनी ने घर-घर जाकर पशु चिकित्सा सेवाएं और समय पर चिकित्सा सहायता प्रदान करने वाली एक समर्पित मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई (एमवीयू) शुरू की।

गुणवत्ता आश्वासन (Quality Assurance)

मालव में, QA विभाग ने पूरे वर्ष दूध की सुरक्षा, स्थिरता और गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उद्योग मानकों का निरंतर परीक्षण, निगरानी और पालन करके, हमने यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए कि दूध की गुणवत्ता आपूर्ति बाजार में उच्च गुणवत्ता वाले मानकों को पूरा करती है।

हम 9 बल्क मिल्क कूलर (BMC) इकाइयों, 7 चिलिंग (MCC) केंद्रों और सभी एमपीपी में दूध दुहने से लेकर अंतिम प्रेषण तक गुणवत्ता आश्वासन गतिविधियों की निगरानी कर रहे हैं।

हमने रैपिड टेस्ट किट का उपयोग करके दूध मिलावट और एंटीबायोटिक दवाओं की निगरानी के लिए एक नई परीक्षण व्यवस्था लागू की है, जबकि पारंपरिक परीक्षण विधियों को भी मजबूत किया है।

ग्रामीण स्तर पर स्वच्छ दूध उत्पादन (CMP) सुनिश्चित करने के लिए, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया।

उत्पादक संस्था विकास (Producer Institution Building)

पीआईबी, बेहतर अभिशासन और सदस्य केंद्रित दृष्टिकोण के माध्यम से व्यवसाय को मजबूत करता है। पीआईबी सदस्यों की सक्रिय भागीदारी और सहभागिता की भावना को प्रोत्साहित करता है। पारदर्शिता बनाये रखने और सभी हितधारकों के साथ खुला संचार बनाये रखने के लिए संगठनात्मक गतिविधियों, नई पहल या सरकारी या कम्पनी संचालित योजनाओं पर नियमित अपडेट साझा किये जाते है।

पीआईबी गतिविधियां मुख्य रूप से अपनी खुली और पारदर्शी शासन प्रणालियों और उनके संरक्षण के अनुपात में इक्विटी के लिए सदस्य के योगदान के माध्यम से डेयरी क्षेत्र में अन्य प्रतिस्पर्धी से उत्पादक कंपनी को अलग करती हैं।

मालव, मजबूत रिश्तों को बढ़ावा देना जारी रखती है, और जिम्मेदारी की भावना पैदा करती है ग्राम संपर्क समूहों (वीसीजी) और सदस्य संबंध समूहों (एमआरजी) के नेटवर्क के माध्यम से अपने सदस्यों के साथ विभिन्न स्तरों पर बैठकें आयोजित की जाती हैं।

हमने हर एक एमपीपी के प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए एक नया एमपीपी स्कोरकार्ड सिस्टम लागू किया। इस पहल का उद्देश्य एमपीपी की दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार करना है।

एमपीसी (MPC) कोर डिजाइन सिद्धांत

कोर डिजाइन सिद्धांतों का सख्ती से पालन किया गया था। व्यापारिक लेन-देन केवल सदस्यों के साथ प्रतिबंधित थे। सदस्य शिक्षा और जागरूकता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से सक्रिय उपयोगकर्ता सदस्यता और व्यापार और अभीशासन में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया। इसके परिणामस्वरूप अधिकांश सक्रिय सदस्यों ने वर्ष के दौरान समान शेयर पूंजी योगदान को पूरा किया है।

ग्राम स्तर पर अनौपचारिक समूहों के गठन के माध्यम से सदस्य संचार और शिकायत निवारण के लिए एक उपयुक्त तंत्र शुरू किया जा रहा है जो सदस्यों और कंपनी के बीच दो तरफा संचार सुनिश्चित करने के लिए आवधिक आधार पर मिलते हैं, जिससे सदस्यों की शिकायतों का समाधान होता है। कर्मचारियों को व्यावसायिक परिचालनों को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने तथा यथाशीघ्र व्यवहार्यता और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए वांछित वित्तीय स्थिति प्राप्त करने के लिए व्यवहारिक और प्रेरक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है।

प्रशिक्षण और क्षमता विकास कार्यक्रम:

सदस्यों को डेयरी से संबंधित विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों पर प्रशिक्षण दिया गया ताकि वे अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को समझ सकें। समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिनमें सदस्यों, संभावित सदस्यों, बोर्ड के सदस्यों और कर्मचारियों को शामिल किया जाता है।

वर्ष 2025-26 के दौरान आयोजित प्रमुख प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या	प्रशिक्षित प्रतिभागियों की संख्या
1.	उत्पादक जागरूकता कार्यक्रम	492	7930
2.	स्वच्छ दूध उत्पादन कार्यक्रम CMP	285	5354
3.	बीएमसी/एमसीसी स्टाफ का प्रशिक्षण	3	40
4.	सहायक प्रशिक्षण कार्यक्रम	52	650
5.	फसीलिटटोर एण्ड एरिया ऑफिसर के लिए संकलन और मेम्बर रीलैशन एवं गुणवत्ता सुधार पर प्रशिक्षण	3	38
6.	गुणवत्ता सुधार योजना (क्यूआईपी) के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	2	36

वित्तीय वर्ष के समाप्ति होने के बाद महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं (MATERIAL CHANGES AFTER CLOSURE OF FINANCIAL YEAR)

कंपनी की स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन या प्रतिबद्धताएं नहीं हैं जो 31 मार्च 2025 के बाद इस रिपोर्ट की तारीख तक हुई है। विनियामकों और न्यायालयों द्वारा कोई महत्वपूर्ण और भौतिक आदेश पारित नहीं किया गया है जो कंपनी की चालू स्थिति और उसके भविष्य के संचालन को प्रभावित करेगा।

व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन (CHANGE IN NATURE OF BUSINESS)

समीक्षा वर्ष के दौरान कंपनी के कारोबार की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

शेयर पूंजी और सदस्यता (SHARE CAPITAL AND MEMBERSHIP)

31 मार्च, 2026 को कंपनी की प्रदत्त (चुकता) शेयर पूंजी ₹4,48,18,700 थी, जिसमें ₹100/- प्रत्येक के 4,48,187 इक्विटी शेयर शामिल थे, जो कंपनी के सदस्य रजिस्टर के अनुसार 24,149 सदस्यों के पास थे। 31 मार्च, 2026 के बाद, कंपनी ने 575 नए सदस्यों को नामांकित किया। इस अवधि के

दौरान, कंपनी ने नए और मौजूदा सदस्यों को ₹31,09,400 की अतिरिक्त शेयर पूंजी भी आवंटित की। तदनुसार, इस रिपोर्ट की तिथि तक, कंपनी की चुकता शेयर पूंजी ₹4,79,28,100 है, जिसमें 24,724 सदस्यों के पास इक्विटी शेयर शामिल हैं।

एजीएम (AGM) में मतदान अधिकार और उपस्थिति (VOTING RIGHTS AND ATTENDANCE AT AGM)

वे सदस्य, जो इस रिपोर्ट की तारीख को सदस्य थे, एजीएम में भाग लेने के हकदार होंगे। मतदान का अधिकार प्रत्येक सदस्य के लिए एक वोट पर आधारित होगा, जिसने वित्तीय वर्ष 2025-26 में कम से कम 200 दिन और 500 लीटर दूध दिया है।

निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति (BOARD OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSON)

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, श्री रवि रंजन को 23 जून, 2025 से 22 जून, 2027 तक दो वर्ष की अवधि के लिए कंपनी के विशेषज्ञ निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और श्री बसंत चौधरी को 9 जून, 2025 से 8 जून, 2027 तक दो वर्ष की अवधि के लिए कंपनी के विशेषज्ञ निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया गया।

इसके अतिरिक्त, कंपनी के विशेषज्ञ निदेशक श्री आलोक कुमार गुप्ता का कार्यकाल 25 जुलाई, 2025 को समाप्त हो गया और तदनुसार, वे उक्त तिथि से कंपनी के निदेशक नहीं रहे। बोर्ड ने कंपनी के विशेषज्ञ निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान श्री आलोक कुमार गुप्ता द्वारा दिए गए बहुमूल्य मार्गदर्शन, समर्थन और योगदान के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया।

साथ ही, श्रीमती पूजा गोस्वामी, श्रीमती पूनम यादव और श्रीमती रेखा लोधा को उनके डीआईएन आवंटन की तिथि से कंपनी के बोर्ड में अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और बाद में 29 सितंबर, 2025 को आयोजित वार्षिक आम सभा में उन्हें निदेशक के रूप में नियमित किया गया।

इसके अलावा, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, सुश्री वैष्णवी शर्मा ने 4 जून, 2025 से कंपनी सचिव और नोडल अधिकारी के पद से इस्तीफा दे दिया और उनके स्थान पर सुश्री श्वेता वर्मा को 19 अगस्त, 2025 से कंपनी सचिव और नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया।

कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 9.6 के अनुसार, श्रीमती बबीता परमार आगामी वार्षिक आम सभा (एजीएम) में सेवानिवृत्त होंगी। चूंकि वे इस पद के लिए अपात्र हैं, इसलिए उन्होंने पुनर्नियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, श्रीमती ममता बाई और श्रीमती मीना राजपूत भी उसी एजीएम में बारी-बारी से सेवानिवृत्त होने वाली हैं। उनकी श्रेणी के कारण, वे अपात्र हैं और उन्हें दोबारा नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

निदेशकों की जिम्मेदारी का बयान (DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT)

जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 134 के तहत आवश्यक है, निदेशक पुष्टि करते हैं कि:

अ) वार्षिक खातों की तैयारी में, कंपनी द्वारा लागू लेखा मानकों का पालन किया गया है;

आ) निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों (accounting policies) का चयन किया है और उन्हें लगातार लागू किया है और ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण थे ताकि 31 मार्च 2026 को कंपनी के मामलों की स्थिति और उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए कंपनी के लाभ का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके।

इ) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की है; और

ई) निदेशकों ने सतत आधार पर वार्षिक लेखा (Annual Accounts) तैयार किए हैं।

उ) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियों को संशोधित किया था और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं और प्रभावी ढंग से काम कर रही थीं।

वैधानिक लेखा परीक्षक (Statutory Auditor)

कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक, M/s एस एन धवन एंड कंपनी एलएलपी, चार्टर्ड एकाउंटेंट, गुरुग्राम को कंपनी की अपनी 5वीं वार्षिक आम सभा में वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक 5 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और लेखा परीक्षा (INTERNAL CONTROL SYSTEM AND AUDIT)

कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक उचित और पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली मौजूद है, जो यह सुनिश्चित करती है कि सभी परिसंपत्तियों की सुरक्षा और संरक्षण हो और लेन-देन सही ढंग से अधिकृत, दर्ज और रिपोर्ट किए जाएं। खातों का आंतरिक लेखापरीक्षा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बाहरी पेशेवर फर्मों द्वारा नियमित रूप से किया जाता है। मेसर्स रे एंड रे एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी का आंतरिक लेखापरीक्षा कर रहे हैं और आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनके कार्यान्वयन की प्रभावशीलता का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन कर रहे हैं।

मानव संसाधन (Human Resource)

कर्मचारी भी परिसंपत्ति हैं और कंपनी के प्रदर्शन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके जुनून, प्रतिबद्धता, स्वामित्व की भावना और टीम वर्क ने कंपनी को सफलता हासिल करने में सक्षम

बनाया है। कंपनी ने हमेशा एक सकारात्मक, सहायक, खुली और उच्च प्रदर्शन कार्य संस्कृति और वातावरण प्रदान करने का प्रयास किया है जहां नवाचार को प्रोत्साहित किया जाता है, प्रदर्शन को सरहाना दी जाती है और कर्मचारियों को उनकी वास्तविक क्षमता का एहसास करने के लिए प्रेरित किया जाता है।

कंपनी के विजन, मिशन और मूल्यों (VMV) का संगठन के सभी स्तरों पर सही मायने में पालन किया जा रहा है, ताकि कंपनी के दीर्घकालिक विकास को बनाए रखा जा सके।

सूचना प्रौद्योगिकी (INFORMATION TECHNOLOGY)

सूचना प्रौद्योगिकियाँ (Information Technologies) कंपनी की विभिन्न गतिविधियों को सहयोग प्रदान करती हैं तथा प्रणालियों को सुव्यवस्थित और ऑनलाइन बनाने में मदद करती हैं। आईटी का मुख्य उद्देश्य उपयुक्त तकनीक उपलब्ध कराना है, जिससे संचालन में दक्षता बढ़े, उचित निर्णय लेने में सहूलियत हो तथा अंततः राजस्व में वृद्धि हो। हमारी कंपनी में आईटी हस्तक्षेप से प्रणालियाँ अधिक सुव्यवस्थित और ऑनलाइन हो रही हैं।

समीक्षा वर्ष के दौरान, एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज, नई दिल्ली के तकनीकी सहयोग से 'सदस्य नामांकन ऐप' (Member Enrollment App) प्रारंभ किया गया, ताकि सदस्यता प्रक्रिया को सुव्यवस्थित, तीव्र और लागत प्रभावी बनाया जा सके।

कर्मचारियों का विवरण (PARTICULARS OF EMPLOYEES)

रिपोर्ट के तहत वर्ष के दौरान, कंपनी के किसी भी कर्मचारी को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित सीमा के बराबर या उससे अधिक पारिश्रमिक प्राप्त नहीं हुआ था।

सुरक्षा और स्वास्थ्य (SAFETY AND HEALTH)

कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल प्रदान करती है। कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर हमेशा ध्यान दिया जाता है, विशेष रूप से दूध को संभालने वाले कर्मचारियों को नियमित चिकित्सा जांच और आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी समावेश, विदेशी विनिमय आय और निकासी (ENERGY CONSERVATION, TECHNOLOGY ABSORPTION & FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO)

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के अनुसरण में प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण;

१. ऊर्जा संरक्षण और तकनीकी समावेश से संबंधित नियमों के भाग A और B वर्तमान में कंपनी पर लागू नहीं हैं।
२. विदेशी विनिमय आय और निकासी:आय-शून्य ,निकासी -शून्य।

बोर्ड की बैठकें (BOARD MEETINGS)

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल की सात (7) बैठकें विधिवत रूप से बुलाई गईं और 30.04.2025, 23.06.2025, 19.08.2025, 08.09.2025, 11.11.2025, 09.01.2026 और 26.02.2026 को आयोजित की गईं।

बोर्ड मीटिंग नंबर	बोर्ड बैठक की तारीख	कुल बोर्ड सदस्य	बैठक में उपस्थित बोर्ड सदस्यों की संख्या
48वीं बोर्ड बैठक	30.04.2025	13	11
49वीं बोर्ड बैठक	23.06.2025	12	12
50वीं बोर्ड बैठक	19.08.2025	13	13
51वीं बोर्ड बैठक	08.09.2025	13	13
52वीं बोर्ड बैठक	11.11.2025	14	13
53वीं बोर्ड बैठक	09.01.2026	14	13
54वीं बोर्ड बैठक	26.02.2026	14	12

ऋण, गारंटी और निवेश का विवरण (PARTICULARS OF LOANS, GUARANTEES & INVESTMENTS)

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार कोई ऋण, गारंटी और निवेश नहीं दिया है।

संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध या व्यवस्था का विवरण (PARTICULARS OF CONTRACTS OR ARRANGEMENTS WITH RELATED PARTIES)

संबंधित पक्षों के साथ सभी अनुबंध या व्यवस्थाएँ एक-दूसरे से पूरी तरह अलग-अलग होती हैं। अनुबंधों या व्यवस्थाओं का विवरण नोट में दिया गया है, जो 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण का हिस्सा है।

वार्षिक रिटर्न का सारांश (EXTRACT OF ANNUAL RETURN)

कंपनी का वार्षिक रिटर्न कंपनी की वेबसाइट **www.maalavmilk.com** पर उपलब्ध है।

धारा 143 की उपधारा (12) के तहत लेखापरीक्षकों द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी के संबंध में विवरण, जो केंद्र सरकार को रिपोर्ट करने योग्य हैं (DETAIL IN RESPECT OF FRAUD REPORTED BY AUDITORS UNDER SUB SECTION (12) OF SECTION 143 OTHER THAN THOSE WHICH ARE REPORTABLE TO THE CENTRAL GOVERNMENT)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा (12) के अंतर्गत कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक द्वारा कोई धोखाधड़ी रिपोर्ट नहीं की गई।

जोखिम प्रबंधन नीति (RISK MANAGEMENT POLICY)

मेसर्स रे एंड रे एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, के आंतरिक लेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट में विभिन्न मुद्दों पर जोखिम मूल्यांकन प्रस्तुत करते हैं और इन रिपोर्टों को समय-समय पर बोर्ड की बैठकों में प्रस्तुत किया जाता है और उन पर चर्चा की जाती है। हमारी कंपनी के पास किसी भी जोखिम की पहचान और उसे कम करने के लिए एक जोखिम प्रबंधन नीति है।

जमा (DEPOSITS)

अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आने वाली जमा राशियों से संबंधित विवरणों के संबंध में किसी भी प्रकार के खुलासे या रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कोई जमा राशि नहीं थी।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (INTERNAL FINANCIAL CONTROL)

कंपनी अधिनियम के लागू प्रावधान के अनुसरण में, कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है।

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट (Auditors Report)

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में पठित की गई टिप्पणियां स्वत व्याख्यात्मक हैं और इसलिए आगे किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

लागत लेखा परीक्षा और रिकॉर्ड (COST AUDIT AND RECORDS)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के लागत लेखापरीक्षा और तटवर्ती अभिलेखों के रखरखाव के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, रोकथाम और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत प्रकटीकरण (DISCLOSURE UNDER SEXUAL HARRASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PREVENTION AND REDRESSAL) ACT, 2013)

कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, रोकथाम और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत आंतरिक शिकायत समिति के गठन से संबंधित प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों का अनुपालन किया है और सुरक्षित कार्यस्थल नीति लागू की है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, कंपनी को इस अधिनियम के तहत कोई शिकायत नहीं मिली है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR)

कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधान इस कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (INSOLVENCY AND BANKRUPTCY CODE, 2016)

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत कोई आवेदन नहीं किया गया है और न ही कोई कार्यवाही लंबित है।

आगे की राह (WAY FORWARD)

कंपनी का दृढ़ विश्वास है कि भविष्य में महिला किसान टिकाऊ दुग्ध उत्पादन पद्धतियों का नेतृत्व करेंगी। इसी सोच के अनुरूप, हम स्थिरता और स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत कर रहे हैं।

अपने संचालन को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए, पानी और ऊर्जा की खपत कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं, विशेष रूप से ग्राम स्तरीय संग्रहण केंद्रों पर सौर ऊर्जा से चलने वाली दुग्ध मशीनों के उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इसके अलावा, कंपनी लगभग **300** मीट्रिक टन सोयाबीन का व्यापार करने की भी योजना बना रही है।

साथ ही, कंपनी मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों (एमवीयू) के संचालन के माध्यम से पशु स्वास्थ्य और दूध उत्पादन में सुधार के लिए निरंतर प्रयासरत है, जिससे दूरदराज के गांवों में पशुओं को समय पर पशु चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित हो सके। परिचालन दक्षता और पारदर्शिता को और बढ़ाने के लिए, कंपनी ने आधुनिक डिजिटल उपकरणों से एकीकृत एक विशेष मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया है, जो सदस्यों के साथ वास्तविक समय में संपर्क स्थापित करने और उनकी आवश्यकताओं का त्वरित समाधान प्रदान करने में सक्षम बनाता है।

सचेतक तंत्र (Vigil mechanism)

सचेतक तंत्र का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होता है।

कंपनी अधिनियम 2013 की प्रयोज्यता (APPLICABILITY OF COMPANIES ACT 2013)

अध्याय IX-A के प्रावधान 10 फ़रवरी 2021 तक एक उत्पादक कंपनी के रूप में कंपनी पर लागू थे। इसके बाद, अध्याय XXIA के प्रावधानों को अधिसूचित किया गया और 11 फ़रवरी 2021 से प्रभावी किया गया। अतः, कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अनुपालन शुरू कर दिया है।

सचिवीय मानकों का अनुपालन (SECRETARIAL STANDARDS COMPLIANCE)

आपके निदेशक पुष्टि करते हैं कि कंपनी ने इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (ICSI) द्वारा जारी सचिवीय मानकों के लागू प्रावधानों का अनुपालन किया एवं केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 118 (10) के तहत आवश्यक है।

एक उत्पादक कंपनी होने के नाते, कंपनी बोर्ड बैठकों पर सचिवीय मानक-1 (SS-1) और सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक-2 (SS-2) की लागू आवश्यकताओं के अलावा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के लेखों के प्रावधानों के अनुसार अपनी बैठकें और रिकॉर्ड कार्यवाही भी आयोजित करती है। कंपनी सचिव यह सुनिश्चित करता है कि बैठकों को बुलाने, आयोजित करने और रिकॉर्ड करने में उचित प्रक्रिया का पालन किया जाता है, जिससे वैधानिक और सचिवीय अनुपालन का उच्च मानक बनाए रखा जाता है।

अभिस्वीकृति (ACKNOWLEDGEMENT)

निदेशक मंडल कंपनी के सदस्यों, मध्य प्रदेश सरकार, व्यापारिक सहयोगियों और बैंकरों द्वारा वर्ष भर निरंतर दिए गए योगदान और समर्थन के लिए हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता है।

आपके निदेशक इस अवसर पर एनडीडीबी डेरी सर्विसेज़ तथा MPSRLM को प्रोत्साहन और निरंतर समर्थन प्रदान करने के लिए हार्दिक धन्यवाद देते हैं।
बोर्ड कंपनी के सभी कर्मचारियों और सभी संबंदित व्यक्तियो के उत्साह वर्धन, कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए भी अपनी सराहना व्यक्त करती है, जिसके बिना कंपनी की सर्वांगीण प्रगति और विकास हासिल करना संभव नहीं हैं।

निदेशक मंडल की ओर से

दिनांक: 26 अगस्त, 2026 **टीना यादव**
स्थान: ब्यावरा **अध्यक्ष**

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

मालव महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के सदस्यों के लिए

वित्तीय विवरण के ऑडिट पर रिपोर्ट

राय

हमने मालव महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") के साथ संलग्न वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है, जिसमें 31 मार्च 2026 को समाप्त बैलेंस शीट, लाभ और हानि विवरण, उस वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण और वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां शामिल हैं, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल है।

हमारी राय में और हमारी सबसे अच्छी जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए एक्सप्लेनेशन के अनुसार, ऊपर दिए गए वित्तीय विवरण कंपनी एक्ट, 2013 ("एक्ट") के लिए ज़रूरी जानकारी देते हैं, और एक्ट (AS) के सेक्शन 133 के तहत बताए गए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और भारत में आम तौर पर माने जाने वाले दूसरे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से, 31 मार्च 2026 तक कंपनी के काम करने के तरीके, उसके प्रॉफिट और उस दिनांक को खत्म हुए साल के कैश फ्लो के बारे में सही और सही जानकारी देते हैं।

राय का आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार वित्तीय विवरणों का लेखा-जोखा किया। उन मानकों के अंतर्गत हमारी ज़िम्मेदारियों का विवरण हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों के लेखा-जोखा अनुभाग के लिए लेखा परीक्षक की ज़िम्मेदारियों में आगे दिया गया है। हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ("आईसीएआई") द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, साथ ही अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत नियमों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा-जोखा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई के आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक ज़िम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा-जोखा साक्ष्य वित्तीय विवरणों पर हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हैं।

वित्तीय विवरण **और उस पर ऑडिटर की रिपोर्ट के अलावा दूसरी जानकारी**

कंपनी का बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स बाकी जानकारी के लिए ज़िम्मेदार है। दूसरी जानकारी में बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट और उस पर हमारे ऑडिटर की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरण पर हमारी राय में दूसरी जानकारी शामिल नहीं है और हम इस पर किसी भी तरह का एश्योरेंस नतीजा नहीं बताते हैं।

फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हमारे ऑडिट के संबंध में, हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम दूसरी जानकारी पढ़ें और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करें कि क्या दूसरी जानकारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से बहुत ज़्यादा मेल नहीं खाती है, या हमारे ऑडिट के दौरान या किसी और तरह से मिली हमारी जानकारी बहुत ज़्यादा गलत लगती है।

अगर, हमारे किए गए काम के आधार पर, हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि इस दूसरी जानकारी में कोई बड़ी गलती है, तो हमें उस बात की रिपोर्ट करनी होगी। इस बारे में हमें कुछ भी रिपोर्ट नहीं करना है।

वित्तीय विवरण **के लिए मैनेजमेंट और गवर्नेंस के लिए जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारियां**

कंपनी का निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो लेखांकन मानकों सहित भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। एक्ट के सेक्शन 133 के तहत बताया गया है। इस ज़िम्मेदारी में एक्ट के नियमों के मुताबिक कंपनी के एसेट्स की सुरक्षा और फ्रॉड और दूसरी गड़बड़ियों को रोकने और उनका पता लगाने के लिए सही अकाउंटिंग रिकॉर्ड रखना भी शामिल है; सही अकाउंटिंग पॉलिसी चुनना और उन्हें लागू करना; सही और समझदारी भरे फैसले और अनुमान लगाना; और सही इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स को डिज़ाइन करना, लागू करना और उनका रखरखाव करना, जो वित्तीय विवरण तैयार करने और पेश करने के लिए ज़रूरी अकाउंटिंग रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए असरदार तरीके से काम कर रहे हों, जो सही और सही जानकारी देते हों और फ्रॉड या गलती की वजह से होने वाली बड़ी गलत जानकारी से मुक्त हों।

फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने में, मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स कंपनी की गोइंग कंसर्न के तौर पर जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, गोइंग कंसर्न से जुड़ी बातों का खुलासा करने और अकाउंटिंग के गोइंग कंसर्न आधार का इस्तेमाल करने के लिए ज़िम्मेदार हैं, जब तक कि बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स कंपनी को लिक्विडेट करने या ऑपरेशन बंद करने का इरादा न रखे, या उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई असली विकल्प न हो।

बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस की देखरेख के लिए भी ज़िम्मेदार है।

वित्तीय विवरण **के ऑडिट के लिए ऑडिटर की ज़िम्मेदारियां**

हमारे उद्देश्य पूरे वित्तीय विवरण में कोई बड़ी गलत जानकारी नहीं है, चाहे वह फ्रॉड या गलती की वजह से हो, और एक ऑडिटर रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल हो। सही भरोसा एक ऊंचे लेवल का भरोसा है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि SAs के हिसाब से किया गया ऑडिट हमेशा किसी बड़ी गलत जानकारी का पता लगाएगा, जब वह मौजूद हो। गलत जानकारी फ्रॉड या गलती से हो सकती है और उन्हें ज़रूरी माना जाता है अगर, अकेले या कुल मिलाकर, उनसे इन वित्तीय विवरण के आधार पर यूज़र्स के लिए गए आर्थिक फैसलों पर असर पड़ने की उम्मीद की जा सकती है।

SAs के अनुसार ऑडिट के हिस्से के तौर पर, हम प्रोफेशनल जजमेंट का इस्तेमाल करते हैं और पूरे ऑडिट के दौरान प्रोफेशनल शक बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

- वित्तीय विवरण में गलत जानकारी के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें, चाहे वह फ्रॉड या गलती की वजह से हो, उन जोखिमों के हिसाब से ऑडिट प्रोसेस डिज़ाइन करें और उन्हें लागू करें, और ऐसे ऑडिट

सबूत हासिल करें जो हमारी राय के लिए आधार देने के लिए काफी और सही हों। फ्रॉड की वजह से गलत जानकारी का पता न चलने का जोखिम, गलती की वजह से होने वाले जोखिम से ज़्यादा होता है, क्योंकि फ्रॉड में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत जानकारी, या इंटरनल कंट्रोल का उल्लंघन शामिल हो सकता है।

- ऑडिट से जुड़े इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स की समझ हासिल करें ताकि हालात के हिसाब से सही ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन किए जा सकें। एक्ट के सेक्शन 143(3)(i) के तहत, हम इस बारे में अपनी राय देने के लिए भी ज़िम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास वित्तीय विवरण के हिसाब से सही इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स हैं और ऐसे कंट्रोल्स कितने असरदार हैं।

- इस्तेमाल की गई अकाउंटिंग पॉलिसी कितनी सही हैं और मैनेजमेंट द्वारा किए गए अकाउंटिंग अनुमान और उससे जुड़े खुलासे कितने सही हैं, इसका मूल्यांकन करें।

- मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स के लिए अकाउंटिंग के गोइंग कंसर्न बेसिस का इस्तेमाल करना सही है या नहीं, इस पर नतीजा निकालें और मिले ऑडिट एविडेंस के आधार पर, क्या ऐसी घटनाओं या हालात से जुड़ी कोई बड़ी अनिश्चितता है जिससे कंपनी के गोइंग कंसर्न के तौर पर बने रहने की क्षमता पर बड़ा शक हो सकता है। अगर हम यह नतीजा निकालते हैं कि कोई बड़ी अनिश्चितता है, तो हमें अपनी ऑडिटर रिपोर्ट में वित्तीय विवरण में दिए गए संबंधित डिस्क्लोजर की ओर ध्यान दिलाना होगा या, अगर ऐसे डिस्क्लोजर काफी नहीं हैं, तो अपनी राय बदलनी होगी। हमारे नतीजे हमारी ऑडिटर रिपोर्ट की दिनांक तक मिले ऑडिट एविडेंस पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाओं या हालात की वजह से कंपनी गोइंग कंसर्न के तौर पर बनी रहना बंद कर सकती है।

- फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पूरे प्रेजेंटेशन, स्ट्रक्चर और कंटेंट का मूल्यांकन करें, जिसमें डिस्क्लोजर भी शामिल हैं, और यह भी कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स असल ट्रांज़ैक्शन और इवेंट्स को इस तरह से दिखाते हैं जिससे सही प्रेजेंटेशन मिले।

हम गवर्नेंस के लिए ज़िम्मेदार लोगों से, दूसरी बातों के अलावा, ऑडिट के प्लान किए गए स्कोप और टाइमिंग और ज़रूरी ऑडिट नतीजों के बारे में बात करते हैं, जिसमें हमारे ऑडिट के दौरान पता चली इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स में कोई भी बड़ी कमी शामिल है।

हम गवर्नेंस के लिए ज़िम्मेदार लोगों को यह भी बताते हैं कि हमने स्वतंत्रता से जुड़ी ज़रूरी नैतिक ज़रूरतों का पालन किया है, और उन्हें उन सभी रिश्तों और दूसरी बातों के बारे में बताते हैं जिनका हमारी स्वतंत्रता पर असर पड़ सकता है, और जहाँ लागू हो, उससे जुड़े सुरक्षा उपायों के बारे में भी बताते हैं।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी (ऑडिटर की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश"), जो अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के अनुसार भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया है, के अनुसार हम ' **अनुलग्नक ए** ' में आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक बयान देते हैं, जहां तक लागू हो।

2. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हम, जहां तक लागू हो, रिपोर्ट करते हैं कि:

(a) हमने मांग की है और हमें वह सारी जानकारी और एक्सप्लेनेशन मिल गए जो हमारी जानकारी और विश्वास के हिसाब से हमारे ऑडिट के लिए ज़रूरी थे।

(b) हमारी राय में, कंपनी ने कानून के हिसाब से सही अकाउंट बुक्स रखी हैं, जैसा कि हमने उन बुक्स की जांच से पता चलता है , सिवाय कंपनीज़ (ऑडिट और ऑडिटर्स) रूल्स, 2014 के रूल 11(g) के तहत रिपोर्टिंग पर नीचे पैराग्राफ 2(i)(vi) में बताई गई बात के।

(c) इस रिपोर्ट में बताई गई बैलेंस शीट, प्रॉफ़िट और लॉस स्टेटमेंट और कैश फ़्लो स्टेटमेंट, अकाउंट बुक्स से मेल खाते हैं ।

(d) हमारी राय में, ऊपर बताए गए वित्तीय विवरण एक्ट के सेक्शन 133 के तहत बताए गए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का पालन करते हैं।

(e) निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड में लिए गए 31 मार्च 2026 तक निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदनों के आधार पर, 31 मार्च 2026 तक कोई भी निदेशक अधिनियम की धारा 164 (2) के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं है।

(f) खातों के रखरखाव और उससे संबंधित अन्य मामलों से संबंधित संशोधन अधिनियम की धारा 143(3)(बी) के तहत रिपोर्टिंग पर ऊपर पैराग्राफ 2(बी) और कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(जी) के तहत रिपोर्टिंग पर नीचे पैराग्राफ 2(आई)(vi) में बताए गए हैं।

(g) कंपनी के वित्तीय विवरण के हिसाब से इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स कितने सही हैं और ऐसे कंट्रोल्स कितने असरदार हैं, इसके बारे में ' **Annexure B** ' में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

(h) एक्ट के सेक्शन 197(16) की ज़रूरतों के मुताबिक, ऑडिटर की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले दूसरे मामलों के बारे में, जैसा कि बदला गया है; हमारी राय में और हमारी सबसे अच्छी जानकारी के हिसाब से और हमें दिए गए एक्सप्लेनेशन के अनुसार, कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है, इसलिए मैनेजरियल सैलरी से जुड़ा एक्ट का सेक्शन 197 लागू नहीं होता है।

(i) कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर) रूल्स, 2014 के रूल 11 के अनुसार ऑडिटर की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले दूसरे मामलों के संबंध में, जैसा कि हमारी राय में और हमारी सबसे अच्छी जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए एक्सप्लेनेशन के अनुसार बदला गया है:

i. कंपनी पर कोई भी पेंडिंग केस नहीं है जिससे उसकी फाइनेंशियल हालत पर असर पड़े।

ii. कंपनी के पास कोई भी लॉन्ग-टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, जिसमें डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट भी शामिल हैं, जिससे कोई भी बड़ा नुकसान होने की उम्मीद थी।

iii. कंपनी ने इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में ज़रूरी रकम ट्रांसफर करने में कोई देरी नहीं की है।

iv. (a). मैनेजमेंट ने बताया है कि, उसकी जानकारी और विश्वास के अनुसार , कंपनी ने किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था को, जिसमें विदेशी संस्थाएं भी शामिल हैं ("इंटरमीडियरी"), कोई फंड एडवांस, लोन या इन्वेस्ट नहीं किया है (चाहे उधार लिए गए फंड से या शेयर प्रीमियम से या किसी और सोर्स या तरह के फंड से), इस समझ के साथ, चाहे लिखकर रिकॉर्ड किया गया हो या नहीं, कि इंटरमीडियरी, सीधे या इनडायरेक्टली कंपनी की ओर से या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए दूसरे लोगों या संस्थाओं को लोन देगा या इन्वेस्ट करेगा ("अल्टीमेट बेनिफिशियरी") या अल्टीमेट बेनिफिशियरी की ओर से कोई गारंटी, सिक्योरिटी या ऐसी ही कोई चीज़ देगा।

(b). उनकी जानकारी और विश्वास के अनुसार , कंपनी को किसी भी व्यक्ति या संस्था से, जिसमें विदेशी संस्थाएं ("फंडिंग पार्टीज़") शामिल हैं, कोई फंड नहीं मिला है , इस समझ के साथ, चाहे लिखित में रिकॉर्ड किया गया हो या किसी और तरह से, कि कंपनी, सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी ("अल्टीमेट बेनिफिशियरीज़") द्वारा या उनकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए दूसरे व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी या अल्टीमेट बेनिफिशियरीज़ की ओर से कोई गारंटी, सिक्योरिटी या ऐसी ही कोई चीज़ देगी।

(c). ऑडिट प्रोसेस के आधार पर, जिन्हें हालात के हिसाब से सही और उचित माना गया है, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ नहीं आया है जिससे हमें लगे कि रूल 11(e) के सब-क्लॉज (i) और (ii) के तहत दी गई जानकारी में, जैसा कि ऊपर (a) और (b) में बताया गया है, कोई बड़ी गलत जानकारी है।

v. पिछले साल के डिक्लेयर्ड डिविडेंड के मुकाबले, कंपनी ने इस साल जो फ़ाइनल डिविडेंड दिया है, वह एक्ट के सेक्शन 123 के अनुसार है, जहाँ तक यह डिविडेंड के पेमेंट पर लागू होता है।

जैसा कि नोट 39 में बताया गया है तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अनुसार, कंपनी के बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स ने इस साल के लिए फ़ाइनल डिविडेंड का प्रस्ताव रखा है, जिसे कंपनी की अगली एनुअल जनरल मीटिंग में सदस्यों की मंज़ूरी मिलनी बाकी है। प्रस्तावित डिविडेंड की रकम एक्ट के सेक्शन 123 के अनुसार है, जहाँ तक यह डिविडेंड की घोषणा पर लागू होती है।

vi. हमारी जांच के आधार पर, जिसमें टेस्ट चेक शामिल थे, कंपनी ने 31 मार्च 2026 को खत्म हुए फाइनेंशियल ईयर के लिए अपनी अकाउंट बुक्स को मेंटेन करने के लिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) रिकॉर्ड करने का फीचर है और यह पूरे साल संबंधित सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड किए गए सभी ज़रूरी ट्रांज़ैक्शन के लिए काम करता रहा है, सिवाय इसके कि खरीद रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल किए गए एक सॉफ्टवेयर के मामले में, ऑडिट ट्रेल फीचर पूरे साल एप्लिकेशन लेवल पर चालू नहीं था।

इसके अलावा, हमारे ऑडिट के दौरान , हमें अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के संबंध में ऑडिट ट्रेल फीचर के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला, जिस समय के लिए ऑडिट ट्रेल फीचर काम कर रहा था।

इसके अलावा, जिस समय के लिए ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा चालू और ऑपरेट की गई थी, उस समय के लिए कंपनी ने रिकॉर्ड रखने की कानूनी ज़रूरतों के हिसाब से ऑडिट ट्रेल को संभालकर रखा है।

3. कंपनीज़ एक्ट, 2013 के पार्ट XXIA के सेक्शन 378ZG के अनुसार, हम 'Annexure C' में उस सेक्शन में बताए गए मामलों पर एक स्टेटमेंट देते हैं।

एस.एन. धवन एंड कंपनी एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर: 000050N/N500045

विनेश जैन
साथी
सदस्यता संख्या: 087701
यू डी आई एन: 26087701NVODSN2648

स्थान: गुरुग्राम
दिनांक: 26 अगस्त 2026

स्वतंत्र ऑडिटर की रिपोर्ट का **अनुलग्नक A**

मालव महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के सदस्यों को आज की दिनांक तक के वित्तीय विवरण पर इंडिपेंडेंट ऑडिटर की रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और रेगुलेटरी ज़रूरतों पर रिपोर्ट' सेक्शन के तहत पैराग्राफ 1 में इसका ज़िक्र है।

(i) कंपनी की प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट और इनटैंजिबल एसेट्स के संबंध में:

(a)

(A) कंपनी ने प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट की क्वांटिटेटिव डिटेल्स और स्थिति सहित पूरी जानकारी दिखाने वाले सही रिकॉर्ड बनाए हैं।

(B) कंपनी ने इनटैन्जिबल एसेट्स की पूरी जानकारी दिखाने वाले सही रिकॉर्ड बनाए रखे हैं।

(b) कंपनी का अपनी प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट के फिजिकल वेरिफिकेशन का एक रेगुलर प्रोग्राम है, जिसके तहत प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट को तीन साल के समय में सभी एसेट्स को कवर करने के लिए फेज्ड तरीके से वेरिफाई किया जाता है, जो हमारी राय में, कंपनी के साइज और उसके एसेट्स के नेचर को देखते हुए सही है। इस प्रोग्राम के अनुसार, साल के दौरान कुछ प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट को वेरिफाई किया गया और हमें दी गई जानकारी और एक्सप्लेनेशन के अनुसार, ऐसे वेरिफिकेशन में कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं देखी गई।

(c) हमें दी गई जानकारी और एक्सप्लेनेशन और हमारे द्वारा जांचे गए रिकॉर्ड के अनुसार, कंपनी के पास कोई इम्मूवल प्रॉपर्टी नहीं है (उन प्रॉपर्टी के अलावा जहां कंपनी लेसी है और लीज़ एग्रीमेंट लेसी के पक्ष में ठीक से किए गए हैं)। इसलिए, ऑर्डर के क्लॉज़ 3(i)(c) के प्रोविज़न लागू नहीं होते हैं।

(d) कंपनी ने साल के दौरान अपनी प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट और इनटैंजिबल एसेट्स का रीवैल्यूएशन नहीं किया है।

(e) बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत बेनामी संपत्ति रखने के लिए कंपनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही प्रारंभ या लंबित नहीं है।

(ii)

(a) मैनेजमेंट ने साल के दौरान सही समय पर इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन किया है। हमें दी गई जानकारी और एक्सप्लेनेशन के अनुसार और हमारे द्वारा किए गए ऑडिट प्रोसेस के आधार पर, हमारा मानना है कि मैनेजमेंट द्वारा इस तरह के वेरिफिकेशन का कवरेज और प्रोसेस सही है और बुक रिकॉर्ड की तुलना में इन्वेंट्री की हर क्लास के लिए कुल मिलाकर 10% या उससे ज़्यादा की कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं देखी गई।

(b) अनुसार , कंपनी को साल के दौरान किसी भी समय बैंकों या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से करंट एसेट्स की सिक्योरिटी के आधार पर कोई वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी मंज़ूर नहीं की गई है । इसलिए, ऑर्डर के क्लॉज़ 3(ii) (b) के प्रोविज़न लागू नहीं होते हैं।

(iii) हमें दी गई जानकारी और एक्सप्लेनेशन के अनुसार, कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (LLPs) या किसी दूसरी पार्टी को कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, कोई गारंटी या सिक्योरिटी नहीं दी है या लोन या एडवांस नहीं दिया है, चाहे वह सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड। इसलिए, ऑर्डर के क्लॉज़ 3(iii)(a) - (f) के प्रोविज़न लागू नहीं होते हैं।

(iv) कंपनी ने कोई लोन नहीं दिया है , कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है या कोई गारंटी या सिक्योरिटीज़ नहीं दी हैं। इसलिए ऑर्डर के क्लॉज़ 3(iv) के नियम लागू नहीं होते हैं।

(v) कंपनी ने कोई डिपॉज़िट नहीं लिया है और हमारी राय में, कंपनी के पास साल के दौरान कोई भी ऐसी रकम नहीं है जिसे डिपॉज़िट माना जाए। इसके अलावा, साल की शुरुआत में कंपनी के पास कोई अनक्लेम्ड डिपॉज़िट नहीं था। इसलिए, ऑर्डर के क्लॉज़ 3(v) के नियम लागू नहीं होते हैं।

(vi) केंद्र सरकार ने कंपनी के प्रोडक्ट्स/सर्विसेज़ के संबंध में एक्ट के सेक्शन 148 के सब-सेक्शन (1) के तहत कॉस्ट रिकॉर्ड के मेंटेनेंस को स्पेसिफाई नहीं किया है। इसलिए, ऑर्डर के क्लॉज़ 3(vi) के प्रोविज़न लागू नहीं होते हैं।

(vii) कानूनी बकाया के संबंध में:

(a) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और एक्सप्लेनेशन के अनुसार, कंपनी पर लागू गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स, प्रोविडेंट फंड, इनकम-टैक्स, और दूसरे ज़रूरी कानूनी बकाए सहित बिना विवाद वाले कानूनी बकाए, आम तौर पर साल के दौरान सही अधिकारियों के पास रेगुलर जमा किए गए हैं, हालांकि कुछ मामलों में इनकम टैक्स (TDS) और प्रोविडेंट फंड के मामले में थोड़ी देरी हुई है। इसके संबंध में कोई भी बिना विवाद वाली रकम नहीं थी जो साल के आखिर में, उनके पेमेंट होने की दिनांक से छह महीने से ज़्यादा समय से बकाया थी।

साल के दौरान कंपनी के कामकाज से कर्मचारियों के स्टेट इंश्योरेंस, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स और सेल्स टैक्स की कोई देनदारी नहीं बनी।

(b) हमें दी गई जानकारी और एक्सप्लेनेशन के अनुसार, सब-क्लॉज (a) में बताया गया कोई भी कानूनी बकाया नहीं है, जो किसी विवाद की वजह से सही अधिकारियों के पास जमा नहीं किया गया हो।

(viii) हमें दी गई जानकारी और एक्सप्लेनेशन के अनुसार, पहले से अनरिकॉर्डेड इनकम से जुड़ा कोई भी ट्रांज़ैक्शन नहीं था, जिसे इनकम टैक्स एक्ट, 1961 (43 of 1961) के तहत टैक्स असेसमेंट में साल के दौरान इनकम के तौर पर सरेंडर या डिस्क्लोज़ किया गया हो।

(ix)

(a) कंपनी ने किसी भी लेंडर से कोई लोन या दूसरा उधार नहीं लिया है। इसलिए, ऑर्डर के क्लॉज़ 3(ix) के नियम लागू नहीं होते हैं।

(b) हमें दी गई जानकारी और एक्सप्लेनेशन के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी को किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या सरकार या किसी सरकारी अथॉरिटी ने विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया है।

(c) कंपनी ने साल के दौरान कोई टर्म लोन नहीं लिया है और साल की शुरुआत में कोई भी टर्म लोन इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसलिए, ऑर्डर के क्लॉज़ 3(ix)(c) के नियम लागू नहीं होते हैं।

(d) कंपनी के वित्तीय विवरण की पूरी जांच करने पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि शॉर्ट-टर्म बेसिस पर जुटाए गए फंड का इस्तेमाल कंपनी ने पहली नज़र में लॉन्ग-टर्म मकसद के लिए नहीं किया है।

(e) कंपनी की कोई सब्सिडियरी, एसोसिएट या जॉइंट वेंचर नहीं थी। इसलिए, ऑर्डर के क्लॉज़ 3(ix)(e) के नियम लागू नहीं होते।

(f) कंपनी की कोई सब्सिडियरी, एसोसिएट या जॉइंट वेंचर नहीं थी। इसलिए, ऑर्डर के क्लॉज़ 3(ix)(f) के नियम लागू नहीं होते।

(x)

(a) कंपनी ने वर्ष के दौरान इनिशियल पब्लिक ऑफर या फर्दर पब्लिक ऑफर (डेट इंस्ट्रूमेंट्स सहित) के माध्यम से धन नहीं जुटाया था। तदनुसार, आदेश के खंड 3(x)(क) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

(b) साल के दौरान, कंपनी ने शेयरों या कन्वर्टिबल डिबेंचर (पूरी तरह, थोड़ा या ऑप्शनल) का कोई प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट या प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं किया है। इसलिए, ऑर्डर के क्लॉज़ 3 (x)(b) के नियम लागू नहीं होते हैं।

(xi)

(a) हमारी जानकारी के मुताबिक और हमें दी गई जानकारी और एक्सप्लेनेशन के अनुसार, इस साल कंपनी की तरफ से कोई फ्रॉड नहीं हुआ है और न ही कंपनी के खिलाफ कोई बड़ी फ्रॉड की जानकारी मिली है या रिपोर्ट की गई है।

(b) हमारी जानकारी के अनुसार, कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के अंतर्गत निर्धारित फॉर्म एडीटी-4 में इस वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तिथि तक केन्द्रीय सरकार के समक्ष अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (12) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है।

(c) जैसा कि मैनेजमेंट ने हमें बताया है, इस साल और इस रिपोर्ट की दिनांक तक कंपनी को कोई व्हिसल ब्लोअर शिकायत नहीं मिली है।

(xii) कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। इसलिए, ऑर्डर के क्लॉज़ 3(xii)(a)-(c) के नियम लागू नहीं होते हैं।

(xiii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और एक्सप्लेनेशन के अनुसार, रिलेटेड पार्टीज़ के साथ सभी ट्रांज़ैक्शन, जहाँ लागू हो, एक्ट के सेक्शन 188 के अनुसार हैं , और लागू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अनुसार, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह में ज़रूरी डिटेल्स बताई गई हैं। कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसलिए, एक्ट के सेक्शन 177 के प्रोविज़न कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(xiv)

(a) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और एक्सप्लेनेशन के अनुसार, कंपनी के पास अपने बिज़नेस के साइज़ और नेचर के हिसाब से एक इंटरनल ऑडिट सिस्टम है।

(b) ऑडिट के समय तक जारी कंपनी की इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट पर विचार किया है ।

(xv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और एक्सप्लेनेशन के अनुसार, इस साल के दौरान कंपनी ने अपने डायरेक्टर्स या डायरेक्टर्स से जुड़े लोगों के साथ कोई भी नॉन-कैश ट्रांज़ैक्शन नहीं किया है , इसलिए एक्ट के सेक्शन 192 के प्रोविज़न कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(xvi)

(a) कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA के अंतर्गत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xvi) (a) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

(b) कंपनी ने साल के दौरान कोई भी नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल या हाउसिंग फाइनेंस एक्टिविटी नहीं की है।

(c) कंपनी एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (CIC) नहीं है, जैसा कि रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया के बनाए गए रेगुलेशंस में बताया गया है। इसलिए, ऑर्डर के क्लॉज़ 3(xvi)(c) के प्रोविज़न लागू नहीं होते हैं।

(d) ग्रुप के हिस्से के तौर पर ग्रुप का कोई CIC नहीं है।

(xvii) कंपनी को चालू फाइनेंशियल ईयर और ठीक पिछले फाइनेंशियल ईयर में कोई कैश लॉस नहीं हुआ है।

(xviii) साल के दौरान कंपनी के किसी भी वैधानिक लेखा परीक्षक ने इस्तीफ़ा नहीं दिया है।

(xix) हमें दी गई जानकारी और एक्सप्लेनेशन के अनुसार और फाइनेंशियल रेश्यो, एजिंग और फाइनेंशियल एसेट्स के रियलाइज़ेशन और फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ के पेमेंट की एक्सपेक्टेड डेट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ दी गई दूसरी जानकारी, बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट प्लान्स के बारे में हमारी जानकारी और अजम्पशन्स को सपोर्ट करने वाले सबूतों की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ नहीं आया है, जिससे हमें लगे कि ऑडिट रिपोर्ट की दिनांक को कोई ऐसी मैटेरियल अनसर्टेनिटी है कि कंपनी बैलेंस शीट की दिनांक पर मौजूद अपनी लायबिलिटीज़ को बैलेंस शीट की दिनांक से एक साल के टाइम पीरियड के अंदर पूरा करने में कैपेबल नहीं है। हालांकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी के फ्यूचर वायबिलिटी के बारे में कोई एश्योरेंस नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट

रिपोर्ट की दिनांक तक के फैक्ट्स पर बेस्ड है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई एश्योरेंस देते हैं कि बैलेंस शीट की दिनांक से एक साल के टाइम पीरियड के अंदर आने वाली सभी लायबिलिटीज़, कंपनी द्वारा उनके ड्यू होने पर डिस्चार्ज कर दी जाएंगी।

(xx) एक्ट के सेक्शन 135 के नियम इस साल कंपनी पर लागू नहीं होंगे। इसलिए, ऑर्डर के क्लॉज़ 3 (xx) (a) और (b) के तहत रिपोर्टिंग इस साल के लिए लागू नहीं होगी।

(xxi) कंपनी की कोई सब्सिडियरी, एसोसिएट या जॉइंट वेंचर नहीं है और कंपनी को कंसोलिडेटेड वित्तीय विवरण तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए, ऑर्डर के क्लॉज़ 3(xxi) के नियम लागू नहीं होते हैं।

एस.एन. धवन एंड कंपनी एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर: 000050N/N500045

विनेश जैन
साथी
सदस्यता संख्या: 087701
यू डी आई एन: 26087701NVODSN2648

स्थान: गुरुग्राम
दिनांक: 26 अगस्त 2026

31 मार्च 2026 को खत्म हुए साल के लिए मालव महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरण पर इंडिपेंडेंट ऑडिटर की रिपोर्ट का एनेक्सर B

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

(इसका ज़िक्र हमारी आज की ऑडिट रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और रेगुलेटरी ज़रूरतों पर रिपोर्ट' सेक्शन के पैराग्राफ 2(g) में किया गया है)

हमने 31 मार्च 2026 तक मालव महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") के वित्तीय विवरण के रेफरेंस में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का ऑडिट किया है, साथ ही उस दिनांक को खत्म हुए साल के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण के हमारे ऑडिट का भी ऑडिट किया है।

इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के लिए मैनेजमेंट और गवर्नेंस के लिए जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारियां

कंपनी का बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स, इंस्टीट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया (ICAI) द्वारा जारी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर गाइडेंस नोट ('गाइडेंस नोट') में बताए गए इंटरनल कंट्रोल के ज़रूरी हिस्सों पर विचार करते हुए, कंपनी द्वारा बनाए गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के क्राइटेरिया के आधार पर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स को स्थापित करने और बनाए रखने के लिए ज़िम्मेदार है। इन ज़िम्मेदारियों में कंपनी के बिज़नेस के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए असरदार तरीके से काम करने वाले पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का डिज़ाइन, लागू करना और रखरखाव शामिल है, जिसमें कंपनी की नीतियों का पालन, इसके एसेट्स की सुरक्षा, धोखाधड़ी और गलतियों की रोकथाम और पता लगाना, अकाउंटिंग रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और एक्ट के तहत ज़रूरी भरोसेमंद फाइनेंशियल जानकारी का समय पर तैयार करना शामिल है।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने ऑडिट के आधार पर वित्तीय विवरण के बारे में कंपनी के इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल पर अपनी राय दें। हमने एक्ट के सेक्शन 143(10) के तहत बताए गए गाइडेंस नोट और ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स के अनुसार अपना ऑडिट किया, जहाँ तक वित्तीय विवरण के बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर लागू होता है। उन स्टैंडर्ड्स और गाइडेंस नोट के लिए ज़रूरी है कि हम नैतिक ज़रूरतों का पालन करें और ऑडिट की प्लानिंग करें और उसे करें ताकि यह पक्का हो सके कि वित्तीय विवरण के बारे में सही इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल बनाए गए थे और बनाए रखे गए थे और क्या ऐसे कंट्रोल सभी ज़रूरी मामलों में असरदार तरीके से काम कर रहे थे।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रक्रियाओं का निष्पादन शामिल है। वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, किसी महत्वपूर्ण खामी की संभावना का आकलन करना और आकलन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण एवं मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के विवेक पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाली महत्वपूर्ण त्रुटियों के जोखिम का आकलन भी शामिल है।

हमारा मानना है कि हमें जो ऑडिट सबूत मिले हैं, वे वित्तीय विवरण के संदर्भ में कंपनी के इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स पर हमारी ऑडिट राय के लिए आधार देने के लिए काफी और सही हैं।

वित्तीय विवरण के संदर्भ में इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल का मतलब

वित्तीय विवरण के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसा प्रोसेस है जिसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आम तौर पर माने जाने वाले अकाउंटिंग सिद्धांतों के अनुसार बाहरी मकसदों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के बारे में उचित भरोसा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय विवरण के संदर्भ में कंपनी के इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल में वे पॉलिसी और प्रोसेस शामिल हैं जो (1) उन रिकॉर्ड्स के रखरखाव से संबंधित हैं जो उचित डिटेल में, कंपनी के एसेट्स के ट्रांज़ैक्शन और डिस्पोज़िशन को सही और निष्पक्ष रूप से दिखाते हैं; (2) यह उचित भरोसा देते हैं कि ट्रांज़ैक्शन को आम तौर पर माने जाने वाले अकाउंटिंग सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए ज़रूरी रूप से रिकॉर्ड किया जाता है, और कंपनी की रसीदें और खर्च केवल कंपनी के मैनेजमेंट और डायरेक्टर्स की मंज़ूरी के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी के एसेट्स के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या डिस्पोज़िशन को रोकने या समय पर पता लगाने के बारे में उचित भरोसा देते हैं, जिसका वित्तीय विवरण पर बड़ा असर पड़ सकता है।

वित्तीय विवरण के संदर्भ में इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की अंदरूनी सीमाएं

वित्तीय विवरण के रेफरेंस में इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स की अंदरूनी कमियों की वजह से, जिसमें मिलीभगत या कंट्रोल्स पर गलत मैनेजमेंट ओवरराइड की संभावना शामिल है, गलती या फ्रॉड की वजह से बड़ी गलत बातें हो सकती हैं और उनका पता नहीं चल पाता। साथ ही, वित्तीय विवरण के रेफरेंस में इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स के किसी भी इवैल्यूएशन के भविष्य के समय के अनुमान इस रिस्क के अधीन हैं कि वित्तीय विवरण के रेफरेंस में इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स हालात में बदलाव की वजह से काफ़ी नहीं हो सकते हैं, या पॉलिसी या प्रोसीजर के कम्प्लायंस का लेवल बिगड़ सकता है।

राय

हमारी राय में, और हमारी सबसे अच्छी जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए एक्सप्लेनेशन के अनुसार, कंपनी के पास, सभी ज़रूरी मामलों में, वित्तीय विवरण के संदर्भ में पर्याप्त इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल हैं और वित्तीय विवरण के संदर्भ में ऐसे इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल 31 मार्च 2026 तक असरदार तरीके से काम कर रहे थे, जो कंपनी द्वारा गाइडेंस नोट में बताए गए ऐसे इंटरनल कंट्रोल के ज़रूरी हिस्सों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए वित्तीय विवरण के संदर्भ में इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल क्राइटेरिया पर आधारित थे।

एस.एन. धवन एंड कंपनी एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर: 000050N/N500045

विनेश जैन
साथी
सदस्यता संख्या: 087701
यू डी आई एन: 26087701NVODSN2648

स्थान: गुरुग्राम
दिनांक: 26 अगस्त 2026

स्वतंत्र ऑडिटर की रिपोर्ट का अनुलग्नक C

मालव महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के सदस्यों को आज की दिनांक तक के वित्तीय विवरण पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट सेक्शन के तहत पैराग्राफ 3 में बताया गया है)

(i) माल और सेवाओं की बिक्री से देय ऋणों की राशि वित्तीय विवरणों के नोट 15 में प्रकट की गई है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, वसूली के लिहाज से कोई भी ऋण संदिग्ध नहीं माना जाता है।

(ii) हमें दी गई जानकारी और जानकारी के अनुसार, साल के आखिर तक कंपनी के पास कोई कैश नहीं था। हमें दी गई जानकारी और जानकारी के अनुसार, कंपनी के पास कोई इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज़ नहीं थीं।

(iii) 31 मार्च, 2026 तक एसेट्स और लायबिलिटीज की डिटेल्स कंपनी के 31 मार्च, 2026 को खत्म हुए साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अनुसार हैं।

(iv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और एक्सप्लेनेशन के अनुसार, कंपनी ने ऐसा कोई ट्रांज़ैक्शन नहीं किया है जो कंपनीज़ एक्ट, 2013 के पार्ट XXIA के प्रोविज़न के खिलाफ़ लगता हो।

(v) हमें दी गई जानकारी और एक्सप्लेनेशन के अनुसार, कंपनी ने अपने डायरेक्टर्स को कोई लोन नहीं दिया है।

(vi) हमें दी गई जानकारी और जानकारी के अनुसार, कंपनी ने साल के दौरान कोई डोनेशन या सब्सक्रिप्शन नहीं दिया है।

एस.एन. धवन एंड कंपनी एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर: 000050N/N500045

विनेश जैन
साथी
सदस्यता संख्या: 087701
यू डी आई एन: 26087701NVODSN2648

स्थान: गुरुग्राम
दिनांक: 26 अगस्त 2026

मालव महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
31 मार्च, 2026 तक बैलेंस शीट
सीआईएन: U01114MP2017PTC043970

	नोट नं.	31 मार्च, 2026 तक रुपये/लाख	31 मार्च, 2025 तक रुपये/लाख
इक्विटी और देयता			
1 शेयरधारकों के फंड			
ए इक्विटी शेयर पूंजी	3	448.19	377.04
बी। भंडार और अधिशेष	4	1,270.75	1,265.80
		1,718.94	**1,642.84**
2 शेयर एप्लीकेशन का पैसा अलॉटमेंट पेंडिंग है	36	25.58	21.54
3 आस्थगित अनुदान	5	459.34	573.51
4 गैर मौजूदा देनदारियां			
दीर्घकालिक प्रावधान	9ब	8.06	22.76
		8.06	**22.76**
5 वर्तमान देनदारियां			
ए व्यापार देयताएँ	6		
सूक्ष्म और लघु उद्यमों का कुल बकाया		3.02	2.15
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य का कुल बकाया		802.59	723.49
बी। अप्रयुक्त अनुदान	7	-	30.00
सी। अन्य वर्तमान देनदारियां	8	328.64	334.45
डी। अल्पकालिक प्रावधान	9ए	32.56	0.56
		1,166.81	**1,090.65**
कुल		**3,378.73**	**3,351.30**
संपत्ति			
1 गैर तात्कालिक परिसंपत्ति			
ए सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण	10.1	781.38	794.29
बी। अमूर्त संपत्ति	10.2	1.03	-
सी। पूंजीगत कार्य प्रगति पर	10.3	32.43	59.66
डी। विकासाधीन अमूर्त संपत्तियाँ	10.4	5.90	-
ई। आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)	11	5.30	2.20
एफ। दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम	12	30.33	46.11
जी। अन्य गैर - वर्तमान परिसंपत्ति	13	-	448.73
		856.37	**1,350.99**
2 वर्तमान संपत्ति			
ए सूची	14	165.90	109.13
बी। व्यापार प्राप्तियां	15	778.08	538.21
सी। नकदी और बैंक शेष	16	928.06	735.26
डी। अल्पकालिक ऋण और अग्रिम	17	38.45	4.92
ई। अन्य चालू परिसंपत्तियां	18	611.87	612.79
		2,522.36	**2,000.31**
कुल		**3,378.73**	**3,351.30**

फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा बनने वाले साथ में दिए गए नोट्स देखें

हमारी आज की रिपोर्ट के अनुसार
एस.एन. धवन एंड कंपनी एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर 000050N/N500045

निदेशक मंडल की ओर से
मालव महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

रवींद्र सिंह
निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी
डीआईएन:10381339

टीना यादव
अध्यक्ष
डीआईएन: 08664281

विनेश जैन
साथी
सदस्यता संख्या 087701

जगह: गुरुग्राम
तारीख: 26 अगस्त 2026

सुनीता विश्वकर्मा
निदेशक
डीआईएन: 08880271

स्थान: बियोरा
तारीख: 26 अगस्त 2026

श्वेता वर्मा
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या A70184

मालव महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण
सीआईएन: U01114MP2017PTC043970

	नोट नं.	वर्ष 31 मार्च 2026 को समाप्त हुआ	वर्ष 31 मार्च 2025 को समाप्त हुआ
		रुपये/लाख	रुपये/लाख
1 परिचालन से राजस्व	19	21,150.66	17,125.40
2 अन्य कमाई	20	169.71	110.83
3 कुल राजस्व (1+2)		**21,320.37**	**17,236.23**
4 खर्च			
ए स्टॉक-इन-ट्रेड की खरीद	21	18,986.95	15,243.21
बी। खरीद व्यय	22	961.55	824.43
सी। स्टॉक-इन-ट्रेड की इन्वेंट्री में परिवर्तन	23	(56.77)	(15.89)
डी। कर्मचारी लाभ व्यय	24	229.93	184.97
ई। वित्त लागत	25	0.24	-
एफ।मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	26	42.07	26.41
जी। अन्य खर्चों	27	1,118.30	845.96
कुल व्यय		**21,282.27**	**17,109.09**
5 कर से पहले लाभ (3-4)		**38.10**	**127.14**
6 कर व्यय:			
ए वर्तमान कर		13.81	30.99
बी। आस्थगित/बकाया कर		(3.10)	4.19
सी। MAT क्रेडिट पात्रता (नोट 41 देखें)		(7.44)	(9.76)
डी। पिछले वर्षों के कर		(0.28)	0.21
शुद्ध कर व्यय		2.99	25.63
7 वर्ष के लिए लाभ (5-6)		**35.11**	**101.51**
8 प्रति इक्विटी शेयर आय:	28		
(नॉमिनल वैल्यू 100 रुपये प्रति शेयर)			
ए मूलधन (रु.)		8.77	32.46
बी। डाइल्यूट (रु.)		8.24	30.37

फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा बनने वाले साथ में दिए गए नोट्स देखें

हमारी आज की रिपोर्ट के अनुसार
एस.एन. धवन एंड कंपनी एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर 000050N/N500045

निदेशक मंडल की ओर से
मालव महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

रवींद्र सिंह
निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी
डीआईएन:10381339

टीना यादव
अध्यक्ष
डीआईएन: 08664281

विनेश जैन
साथी
सदस्यता संख्या 087701

जगह: गुरुग्राम
तारीख: 26 अगस्त 2026

सुनीता विश्वकर्मा
निदेशक
डीआईएन: 08880271

स्थान: बियोरा
तारीख: 26 अगस्त 2026

श्वेता वर्मा
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या A70184

मालव महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट
सीआईएन: U01114MP2017PTC043970

	वर्ष समाप्त 31 मार्च, 2026 रुपये/लाख	वर्ष समाप्त 31 मार्च, 2025 रुपये/लाख
ए प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह:		
कर से पहले लाभ	38.10	127.14
इसके लिए एडजस्टमेंट:		
ब्याज आय	(73.31)	(55.26)
प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट की बिक्री/छोड़ने पर प्रॉफ़िट	(4.48)	(7.51)
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	42.07	26.41
कार्यशील पूंजी में बदलाव से पहले परिचालन लाभ	**2.38**	**90.78**
वर्किंग कैपिटल में मूवमेंट के लिए एडजस्टमेंट:		
ऑपरेटिंग एसेट्स में (बढ़ोतरी) / कमी के लिए एडजस्टमेंट:		
अन्य गैर - वर्तमान परिसंपत्ति	-	-
सूची	(56.77)	(15.89)
व्यापार प्राप्तियां	(239.87)	(336.21)
अल्पकालिक ऋण और अग्रिम	(33.53)	1.22
अन्य चालू परिसंपत्तियां	(0.98)	(0.39)
ऑपरेटिंग लायबिलिटीज में बढ़ोतरी / (कमी) के लिए एडजस्टमेंट:		
व्यापार देयताएँ	79.97	249.32
अन्य वर्तमान देनदारियां	32.64	59.82
दीर्घकालिक प्रावधान	(14.70)	2.45
अल्पकालिक प्रावधान	32.00	(0.21)
परिचालन से उत्पन्न नकदी	**(198.86)**	**50.89**
शुद्ध आयकर (भुगतान किया गया)	9.69	(27.21)
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (ए)	**(189.17)**	**23.68**
बी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से कैश फ़्लो:		
बैंक बैलेंस को कैश और कैश के बराबर नहीं माना जाता है	(111.48)	271.09
प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट की खरीद	(162.91)	(193.44)
संपत्ति संयंत्र और उपकरण की बिक्री	4.95	7.51
प्राप्त ब्याज	75.21	50.94
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल किया गया नेट कैश फ़्लो (B)	**(194.23)**	**136.10**
सी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो:		
इक्विटी शेयर कैपिटल (नेट) के इश्यू से आय	49.61	70.26
शेयर आवेदन राशि	25.58	21.54
अनुदान प्राप्त हुआ	-	30.00
राजस्व व्यय के लिए उपयोग किया गया अनुदान	(30.00)	-
लाभांश का भुगतान	(29.20)	(23.60)
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से/(इसमें इस्तेमाल) नेट कैश फ्लो (C)	**15.99**	**98.20**
नकदी और नकदी समकक्षों में शुद्ध वृद्धि/(कमी) (ए+बी+सी)	**(367.41)**	**257.98**
साल की शुरुआत में कैश और कैश के बराबर	388.29	130.31
साल के आखिर में कैश और कैश के बराबर	**20.88**	**388.29**
कैश और कैश इक्विवेलेंट में शामिल हैं: (नोट 16 देखें)		
बैंकों में बैलेंस:		
चालू खातों में	11.81	18.13
जमा खातों में (मूल परिपक्वता 3 महीने या उससे कम)	9.07	370.16
कैश फ़्लो स्टेटमेंट के अनुसार कैश और कैश के बराबर	**20.88**	**388.29**

फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा बनने वाले साथ में दिए गए नोट्स देखें

हमारी अटैच्ड रिपोर्ट के अनुसार
एस.एन. धवन एंड कंपनी एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर 000050N/N500045

निदेशक मंडल की ओर से
मालव महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

रवींद्र सिंह
निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी
डीआईएन:10381339

टीना यादव
अध्यक्ष
डीआईएन: 08664281

विनेश जैन
साथी
सदस्यता संख्या 087701

सुनीता विश्वकर्मा
निदेशक
डीआईएन: 08880271

श्वेता वर्मा
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या A70184

जगह: गुरुग्राम
तारीख: 26 अगस्त 2026

स्थान: बियोरा
तारीख: 26 अगस्त 2026

1 कॉर्पोरेट जानकारी

मालव महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ('कंपनी') को 18 अगस्त, 2017 को कंपनीज़ एक्ट, 1956 के पार्ट IXA के तहत शामिल किया गया था। इसका मुख्य मकसद मुख्य रूप से मेंबर्स के दूध और मिल्क प्रोडक्ट्स को इकट्ठा करना, खरीदना, प्रोसेस करना, मेंबर्स के फायदे के लिए दूध का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ब्रीडिंग, फीड/चारा, वेटेरिनरी सर्विस के क्षेत्र में टेक्निकल और मैनेजरियल सर्विस देना और उससे जुड़ी किसी भी एक्टिविटी में काम करना है। कंपनी राजगढ़, शिवपुरी, श्योपुर और गुना ज़िले के गांवों में मिल्क पूलिंग पॉइंट्स (MPP) के ज़रिए दूध प्रोड्यूसर्स से सीधे दूध खरीदती है और डेयरियों को बेचती है। कंपनी कैटल फीड, मिनरल मिक्सचर, दवा और बीज का भी ट्रेड करती है।

2 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

2.1 लेखांकन का आधार

कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनीज़ एक्ट, 2013 के सेक्शन 133 और कंपनीज़ एक्ट, 2013 ("नया एक्ट") के संबंधित प्रोविज़न के तहत बताए गए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का पालन करने के लिए, भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स (इंडियन GAAP) के अनुसार तैयार किए गए हैं।

फाइनेंशियल स्टेटमेंट हिस्टोरिकल कॉस्ट कन्वेंशन के तहत एक्रुअल बेसिस पर तैयार किए गए हैं।

सभी एसेट्स और लायबिलिटीज़ को कंपनी के नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल और कंपनीज़ एक्ट, 2013 के शेड्यूल III में दिए गए दूसरे क्राइटेरिया के हिसाब से करंट या नॉन-करंट के तौर पर क्लासिफ़ाई किया गया है। कंपनी की दी गई सर्विसेज़ के नेचर और कैश और कैश इक्विवैलेंट में उनकी रियलाइज़ेशन के आधार पर, कंपनी ने एसेट्स और लायबिलिटीज़ के करंट-नॉन-करंट क्लासिफ़िकेशन के मकसद से अपना ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने का तय किया है।

2.2 अनुमानों का उपयोग

इंडियन GAAP के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने के लिए मैनेजमेंट को एसेट्स और लायबिलिटीज (कंटींजेंट लायबिलिटीज सहित) की रिपोर्ट की गई रकम और साल के दौरान रिपोर्ट की गई इनकम और खर्चों में शामिल अनुमान और अंदाज़े लगाने होते हैं। मैनेजमेंट का मानना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने में इस्तेमाल किए गए अनुमान समझदारी भरे और सही हैं। इन अनुमानों की वजह से भविष्य के नतीजे अलग हो सकते हैं और असल नतीजों और अनुमानों के बीच के अंतर को उस समय में पहचाना जाता है जब नतीजे पता होते हैं / असलियत में आते हैं।

2.3 नकदी प्रवाह विवरण

कैश फ्लो स्टेटमेंट, 'कैश फ्लो स्टेटमेंट' पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड (AS) 3 में बताए गए इनडायरेक्ट तरीके के अनुसार तैयार किया जाता है, जिसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम और टैक्स से पहले प्रॉफिट/(लॉस) को नॉन-कैश तरह के ट्रांज़ैक्शन के असर और पिछली या भविष्य की कैश रिसीट या पेमेंट के किसी भी डेफरल या एक्रुअल के लिए एडजस्ट किया जाता है।

कंपनी की ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से होने वाले कैश फ्लो को मौजूद जानकारी के आधार पर अलग किया जाता है।

कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए, कैश में हाथ में मौजूद कैश और बैंकों के पास डिमांड डिपॉजिट शामिल हैं। कैश इक्विवेलेंट शॉर्ट टर्म बैलेंस (खरीद की तारीख से तीन महीने या उससे कम की ओरिजिनल मैच्योरिटी के साथ), बहुत ज़्यादा लिक्विड इन्वेस्टमेंट होते हैं जिन्हें आसानी से कैश की जानी-पहचानी मात्रा में बदला जा सकता है और जिनकी वैल्यू में बदलाव का रिस्क बहुत कम होता है।

2.4 राजस्व मान्यता

सेल्स को रिटर्न और ट्रेड डिस्काउंट के बाद, खरीदारों को ओनरशिप का बड़ा रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर करने पर पहचाना जाता है, जो आम तौर पर कस्टमर्स को सामान की डिलीवरी के साथ होता है।

2.5 अन्य कमाई

मेंबर्स से डिपॉजिट और एडमिशन फीस पर इंटरेस्ट इनकम को एक्रुअल बेसिस पर माना जाता है।

2.6 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति

प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट और इनटैंजिबल एसेट्स को कॉस्ट में से जमा हुए डेप्रिसिएशन/अमोर्टाइजेशन और इम्पेयरमेंट लॉस, अगर कोई हो, घटाकर रखा जाता है। प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट और इनटैंजिबल एसेट्स की कॉस्ट में उनकी खरीद कीमत में कोई भी ट्रेड डिस्काउंट और रिबेट, दूसरे टैक्स (टैक्स अथॉरिटी से बाद में वसूले जाने वाले टैक्स के अलावा), एसेट को उसके तय इस्तेमाल के लिए तैयार करने पर होने वाला कोई भी सीधा खर्च, दूसरे अचानक होने वाले खर्च और क्वालिफाइंग प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट खरीदने पर लिए गए उधार पर ब्याज, उस तारीख तक शामिल होता है जब एसेट अपने तय इस्तेमाल के लिए तैयार हो। प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट खरीदने के बाद उस पर होने वाला खर्च तभी कैपिटलाइज़ किया जाता है जब ऐसे खर्च से ऐसे एसेट से भविष्य में होने वाले फायदे उसके पिछले तय परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से ज़्यादा बढ़ जाते हैं।

पूंजीगत कार्य प्रगति पर:

जिन प्रोजेक्ट्स के तहत टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स अभी अपने तय इस्तेमाल के लिए तैयार नहीं हैं, उन्हें कॉस्ट पर किया जाता है, जिसमें डायरेक्ट कॉस्ट, उससे जुड़े अचानक होने वाले खर्च और ब्याज शामिल होते हैं।

2.7 मूल्यह्रास और परिशोधन

प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट और इनटैंजिबल एसेट्स पर डेप्रिसिएशन, एसेट्स की यूज़फुल लाइफ के हिसाब से स्ट्रेट लाइन मेथड पर दिया गया है, जिसमें एसेट का नेचर, मैनेजमेंट द्वारा एस्टीमेट की एस्टीमेट की यूज़फुल लाइफ, एसेट की ऑपरेटिंग कंडीशन, रिप्लेसमेंट की पिछली हिस्ट्री, अनुमानित टेक्नोलॉजिकल बदलाव, मैन्युफैक्चर्ड वारंटी और मेंटेनेंस सपोर्ट वगैरह को ध्यान में रखा गया है, जैसा कि नीचे दिया गया है:

विवरण	उपयोगी जीवन
संयंत्र और मशीनरी	1 से 10 वर्ष
कंप्यूटर और डेटा प्रोसेसिंग इकाइयाँ	3 और 6 वर्ष
फ़र्निचर व फिक्सचर	1 और 10 वर्ष
कार्यालय उपकरण	1 और 5 वर्ष
अमूर्त संपत्ति - कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	3 वर्ष
ट्रेडमार्क	4 वर्ष

टिप्पणी:
टेक्निकल इवैल्यूएशन के आधार पर, मैनेजमेंट का मानना है कि ऊपर दी गई यूज़फुल लाइफ़ उस समय को सबसे अच्छे से दिखाती है जिसके दौरान मैनेजमेंट इन एसेट्स का इस्तेमाल करने की उम्मीद करता है। इसलिए, इन एसेट्स की यूज़फुल लाइफ़, कंपनीज़ एक्ट, 2013 के शेड्यूल II के पार्ट C के तहत बताई गई यूज़फुल लाइफ़ से अलग है।

2.8 सूची

इन्वेंटरी में ट्रेडिंग गुड्स (दूध, जानवरों का चारा, दवा और बीज) शामिल हैं। इन्वेंटरी का मूल्यांकन, जहाँ भी ज़रूरी समझा जाए, पुराने हो जाने और दूसरे नुकसानों को ध्यान में रखकर, लागत और नेट रियलाइज़ेबल वैल्यू में से जो भी कम हो, उस पर किया जाता है। लागत का पता फर्स्ट इन फर्स्ट आउट (FIFO) तरीके से लगाया जाता है। लागत में इन्वेंटरी को उनकी मौजूदा जगह और हालत में लाने में लगने वाले सभी खर्च शामिल हैं। छोटे औजार, केमिकल, स्टोर और स्पेयर और कंज्यूमेबल्स को खरीदते समय कंजम्प्शन के लिए चार्ज किया जाता है।

2.9 अनुदान

ग्रांट और सब्सिडी तब पहचाने जाते हैं जब यह पक्का भरोसा हो कि कंपनी उनसे जुड़ी शर्तों का पालन करेगी और ग्रांट/सब्सिडी मिल जाएगी। डेप्रिसिएबल प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट से जुड़े ग्रांट को डेफर्ड ग्रांट माना जाता है, जिसे एसेट की यूज़फुल लाइफ के दौरान सिस्टमैटिक और लॉजिकल बेसिस पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में पहचाना जाता है, यानी ऐसे ग्रांट से खरीदे गए एसेट पर डेप्रिसिएशन चार्ज डेफर्ड ग्रांट से लिया जाता है और कम डेप्रिसिएशन चार्ज के ज़रिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में पहचाना जाता है।

रेवेन्यू सरकारी ग्रांट और सब्सिडी को उन खर्चों से मैच करने के लिए ज़रूरी समय के लिए इनकम के तौर पर पहचाना जाता है जिनकी भरपाई वे सिस्टमैटिक तरीके से करना चाहते हैं।

2.10 कर्मचारी लाभ

एम्प्लॉई बेनिफिट्स में प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट शामिल हैं।

परिभाषित योगदान योजनाएँ :

प्रोविडेंट फंड में कंपनी के योगदान को डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान माना जाता है और कर्मचारियों द्वारा सर्विस दिए जाने पर दिए जाने वाले ज़रूरी योगदान की रकम के आधार पर इसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में चार्ज किया जाता है।

परिभाषित लाभ योजनाएँ :

कंपनी की ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट को डिफाइंड बेनिफिट प्लान माना जाता है। ऐसे डिफाइंड बेनिफिट प्लान के तहत ऑब्लिगेशन की प्रेजेंट वैल्यू, प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड का इस्तेमाल करके एक्चुरियल वैल्यूएशन के आधार पर तय की जाती है, जो सर्विस के हर पीरियड को एम्प्लॉई बेनिफिट एंटाइटलमेंट की एक्स्ट्रा यूनिट के तौर पर पहचानता है और फाइनल ऑब्लिगेशन बनाने के लिए हर यूनिट को अलग-अलग मापता है। ऑब्लिगेशन को अनुमानित फ्यूचर कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू पर मापा जाता है। डिफाइंड बेनिफिट प्लान के तहत ऑब्लिगेशन की प्रेजेंट वैल्यू तय करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला डिस्काउंट रेट, बैलेंस शीट की तारीख पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पर मार्केट यील्ड पर आधारित होता है। एक्चुरियल गेन और लॉस को तुरंत स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में पहचाना जाता है।

iii. शॉर्ट-टर्म कर्मचारी लाभ :

कर्मचारियों द्वारा दी गई सेवाओं के बदले में मिलने वाले शॉर्ट-टर्म एम्प्लॉई बेनिफिट्स की बिना छूट वाली रकम को उस साल के दौरान पहचाना जाता है जब कर्मचारी सेवा देते हैं। इन बेनिफिट्स में सैलरी, वेतन, बोनस और परफॉर्मेंस इंसेंटिव शामिल हैं, जो कर्मचारी द्वारा संबंधित सेवा देने की अवधि के खत्म होने के बारह महीनों के अंदर मिलने की उम्मीद है। शॉर्ट-टर्म कम्पनसेटेड एब्सेंस की लागत का हिसाब इस तरह लगाया जाता है:

ए जमा हुई कम्पेनसेटेड एब्सेंस के मामले में, जब कर्मचारी ऐसी सर्विस देते हैं जिससे भविष्य में कम्पेनसेटेड एब्सेंस का उनका हक बढ़ जाता है; और

बी। क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति जमा न होने की स्थिति में, जब अनुपस्थिति होती है।

चतुर्थ. लॉन्ग-टर्म कर्मचारी लाभ:

कम्पनसेशन वाली गैरहाज़िरी, जिसके कर्मचारी के संबंधित सर्विस देने के समय के खत्म होने के बारह महीने के अंदर होने की उम्मीद नहीं है, उसे बैलेंस शीट की तारीख पर तय लाभ ऑब्लिगेशन की वर्तमान वैल्यू में से प्लान एसेट्स की फेयर वैल्यू घटाकर एक लायबिलिटी के तौर पर माना जाता है, अगर कोई हो, जिससे ऑब्लिगेशन्स के सेटल होने की उम्मीद है।

2.11 खंड रिपोर्टिंग

कंपनी मुख्य सोर्स, रिस्क और रिटर्न के नेचर और आंतरिक संगठन और मैनेजमेंट स्ट्रक्चर के आधार पर प्राइमरी सेगमेंट की पहचान करती है। ऑपरेटिंग सेगमेंट वे सेगमेंट हैं जिनके लिए अलग फाइनेंशियल जानकारी उपलब्ध है और जिनके ऑपरेटिंग प्रॉफ़िट/लॉस की रकम को एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट द्वारा रेगुलर तौर पर इवैल्यूएट किया जाता है ताकि यह तय किया जा सके कि रिसोर्स कैसे बांटे जाएं और परफॉर्मेंस का आकलन किया जा सके।

2.12 प्रति शेयर आय:

कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, AS-20, अर्निंग्स पर शेयर के अनुसार बेसिक और डाइल्यूटेड अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की रिपोर्ट करती है। बेसिक अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की गणना टैक्स के बाद नेट प्रॉफ़िट को साल के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की वेटेड एवरेज संख्या से भाग देकर की गई है। डाइल्यूटेड अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की गणना साल के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की वेटेड एवरेज संख्या और डाइल्यूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयरों का उपयोग करके की जाती है, सिवाय उन मामलों के जहाँ नतीजा एंटी-डाइल्यूटिव होगा।

2.13 आय पर कर

इनकम टैक्स खर्च में करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स शामिल हैं। करंट टैक्स लायबिलिटी, साल के लिए टैक्सेबल इनकम पर देय टैक्स की वह रकम है, जो इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के लागू टैक्स रेट और प्रोविज़न और दूसरे लागू टैक्स कानूनों के अनुसार तय की जाती है।

टैक्स कानूनों के अनुसार दिया गया मिनिमम अल्टरनेट टैक्स (MAT), जो भविष्य में इनकम टैक्स लायबिलिटी में एडजस्टमेंट के रूप में आर्थिक फ़ायदे देता है, उसे एसेट माना जाता है, अगर इस बात का पक्का सबूत हो कि कंपनी नॉर्मल इनकम टैक्स देगी। इसलिए, MAT को बैलेंस शीट में एसेट के रूप में तब पहचाना जाता है जब इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना हो कि इससे जुड़ा भविष्य का आर्थिक फ़ायदा कंपनी को मिलेगा।

डेफर्ड टैक्स को टाइमिंग डिफ़रेंस पर पहचाना जाता है, जो टैक्सेबल इनकम और अकाउंटिंग इनकम के बीच का अंतर होता है जो एक अवधि में शुरू होता है और एक या ज़्यादा बाद के पीरियड में रिवर्सल हो सकता है। डेफर्ड टैक्स को टैक्स रेट और रिपोर्टिंग डेट पर लागू या असल में लागू टैक्स कानूनों का इस्तेमाल करके मापा जाता है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़ को सभी टाइमिंग डिफ़रेंस के लिए पहचाना जाता है। डेफर्ड टैक्स एसेट्स को अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन और कैरी फॉरवर्ड लॉस के अलावा दूसरे आइटम्स के टाइमिंग डिफ़रेंस के लिए तभी पहचाना जाता है जब यह पक्का यकीन हो कि भविष्य में काफी टैक्सेबल इनकम मिलेगी जिसके बदले इन्हें हासिल किया जा सके। हालांकि, अगर अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन और कैरी फॉरवर्ड लॉस और कैपिटल लॉस से जुड़े आइटम्स हैं, तो डेफर्ड टैक्स एसेट्स को तभी पहचाना जाता है जब इस बात का पक्का यकीन हो कि एसेट्स को हासिल करने के लिए भविष्य में काफी टैक्सेबल इनकम मिलेगी। डेफर्ड टैक्स एसेट्स और लायबिलिटीज़ को ऑफसेट किया जाता है अगर ऐसे आइटम्स उसी गवर्निंग टैक्स कानूनों द्वारा लगाए गए इनकम पर टैक्स से जुड़े हों और कंपनी के पास ऐसे सेट ऑफ के लिए कानूनी तौर पर लागू करने लायक अधिकार हो। डेफर्ड टैक्स एसेट्स को हर बैलेंस शीट डेट पर उनकी रियलाइज़ेबिलिटी के लिए रिव्यू किया जाता है।

2.14 परिसंपत्ति की हानि

हर बैलेंस शीट की तारीख पर एसेट्स / कैश जेनरेट करने वाली यूनिट्स की कैरिंग वैल्यू का रिव्यू किया जाता है, अगर इम्पेयरमेंट का कोई संकेत मिलता है।

अगर एसेट्स का कैरिंग अमाउंट अनुमानित रिकवर होने वाली रकम से ज़्यादा है, तो ऐसी ज़्यादा रकम के लिए इम्पेयरमेंट माना जाता है। इम्पेयरमेंट लॉस को प्रॉफ़िट एंड लॉस स्टेटमेंट में एक खर्च के तौर पर माना जाता है, जब तक कि एसेट को रीवैल्यूड अमाउंट पर कैरी न किया गया हो, ऐसे में रीवैल्यूड एसेट के किसी भी इम्पेयरमेंट लॉस को उस हद तक रीवैल्यूएशन में कमी माना जाता है, जब तक उस एसेट के लिए रीवैल्यूएशन रिज़र्व उपलब्ध हो।

रिकवर होने वाली रकम वह होती है जो नेट सेलिंग प्राइस और उनके इस्तेमाल की वैल्यू में से ज़्यादा हो। इस्तेमाल की वैल्यू, सही डिस्काउंट फैक्टर के आधार पर भविष्य के कैश फ्लो को उनके मौजूदा वैल्यू पर डिस्काउंट करके निकाली जाती है।

जब यह संकेत मिलता है कि किसी एसेट (रीवैल्यूड एसेट के अलावा) के लिए पहले के अकाउंटिंग पीरियड में पहचाना गया इम्पेयरमेंट लॉस अब मौजूद नहीं है या कम हो गया है, तो इम्पेयरमेंट लॉस के ऐसे रिवर्सल को स्टेटमेंट ऑफ़ प्रॉफ़िट एंड लॉस में पहचाना जाता है, उस हद तक जितना अमाउंट पहले स्टेटमेंट ऑफ़ प्रॉफ़िट एंड लॉस में चार्ज किया गया था। रीवैल्यूड एसेट के मामले में ऐसे रिवर्सल को पहचाना नहीं जाता है।

2.15 प्रावधान और आकस्मिकताएँ

एक प्रोविज़न तब माना जाता है जब कंपनी पर पिछली घटनाओं की वजह से कोई मौजूदा ज़िम्मेदारी हो और यह मुमकिन हो कि उस ज़िम्मेदारी को पूरा करने के लिए रिसोर्स के आउटफ़्लो की ज़रूरत होगी, जिसके बारे में एक भरोसेमंद अंदाज़ा लगाया जा सके। प्रोविज़न (रिटायरमेंट बेनिफिट्स को छोड़कर) को उनकी मौजूदा वैल्यू पर डिस्काउंट नहीं किया जाता है और बैलेंस शीट की तारीख पर ज़िम्मेदारी को पूरा करने के लिए ज़रूरी सबसे अच्छे अंदाज़े के आधार पर तय किया जाता है। हर बैलेंस शीट की तारीख पर इनका रिव्यू किया जाता है और मौजूदा सबसे अच्छे अंदाज़ों को दिखाने के लिए एडजस्ट किया जाता है। कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ नोट्स में बताई जाती हैं। कंटिंजेंट एसेट्स को फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं माना जाता है।

2.16 पट्टों

ऐसे लीज़ अरेंजमेंट, जहाँ किसी एसेट के मालिकाना हक से जुड़े रिस्क और रिवॉर्ड काफी हद तक लीज़र के पास होते हैं, उन्हें ऑपरेटिंग लीज़ के तौर पर पहचाना जाता है। ऑपरेटिंग लीज़ के तहत लीज़ रेंटल को लीज़ टर्म के दौरान प्रॉफ़िट और लॉस स्टेटमेंट में स्ट्रेट-लाइन बेसिस पर पहचाना जाता है।

2.17 परिचालन चक्र

कंपनी के प्रोडक्ट्स/एक्टिविटीज़ के नेचर और एसेट्स के एक्विजिशन और कैश या कैश इक्विवेलेंट में उनकी रियलाइज़ेशन के बीच नॉर्मल टाइम के आधार पर, कंपनी ने अपने एसेट्स और लायबिलिटीज़ को करंट और नॉन-करंट के तौर पर क्लासिफ़ाई करने के मकसद से अपना ऑपरेटिंग साइकिल बारह महीने तय किया है।

3 शेयर पूंजी	31 मार्च, 2026 तक		31 मार्च, 2025 तक	
	की संख्या शेयरों	मात्रा रुपये/लाख	की संख्या शेयरों	मात्रा रुपये/लाख
ए अधिकृत शेयर पूंजी				
100 रुपये प्रति इक्विटी शेयर	1,000,000	1,000.00	500,000	500.00
बी जारी, सब्सक्राइब और पेड अप				
100 रुपये प्रति इक्विटी शेयर पूरी तरह से चुकता	448,187	448.19	377,039	377.04

नीचे नोट (i) से (vii) देखें

नोट्स:

कंपनी के पास सिर्फ़ एक तरह के शेयर हैं जिन्हें इक्विटी शेयर कहा जाता है, जिनकी पार वैल्यू Rs.100/- प्रति शेयर है। हर मेंबर के पास एक ही वोट होगा, बशर्ते मेंबर ने साल में कम से कम 200 दिन यानी कुल मिलाकर कम से कम 500 लीटर दूध डाला हो।

द्वितीय कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ़ एसोसिएशन के अनुसार, मेंबर्स को लिमिटेड रिटर्न (डिविडेंड) और बोनस का हक है।

iii. **साल की शुरुआत और आखिर में इक्विटी शेयरों की संख्या और बकाया रकम का मिलान :**

	31 मार्च, 2026 तक		31 मार्च, 2025 तक	
	की संख्या शेयरों	मात्रा रुपये/लाख	की संख्या शेयरों	मात्रा रुपये/लाख
वोटिंग अधिकार वाले इक्विटी शेयर				
साल की शुरुआत में बैलेंस	377,039	377.04	295,648	295.65
वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	120,561	120.56	127,844	127.84
	497,600	**497.60**	**423,492**	**423.49**
साल के दौरान कैंसल/सरेंडर किए गए शेयर	49,413	49.41	46,453	46.45
वर्ष के अंत में शेष राशि	**448,187**	**448.19**	**377,039**	**377.04**

चतुर्थ कंपनी, कंपनीज़ एक्ट, 2013 के पार्ट XXIA के तहत 'प्रोड्यूसर कंपनी' के तौर पर रजिस्टर्ड है और किसी भी मेंबर के पास कंपनी के शेयर कैपिटल का 5% या उससे ज़्यादा हिस्सा नहीं है।

वी कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ़ एसोसिएशन के अनुसार, अगर बोर्ड को लगता है कि कोई सदस्य सदस्य के तौर पर क्वालिफ़िकेशन बनाए रखने में नाकाम रहा है, तो बोर्ड सदस्य को कंपनी को पार वैल्यू या बोर्ड द्वारा तय की गई किसी दूसरी वैल्यू पर शेयर सरेंडर करने का निर्देश देगा। सरेंडर किए गए इक्विटी शेयर कंपनी की प्रॉपर्टी माने जाएंगे और बोर्ड जैसा ठीक समझे, उन्हें सदस्यों को बेचा जा सकता है या कैंसल किया जा सकता है।

vi. फाइनेंशियल ईयर के ठीक पहले वाले साल या 5 सालों के दौरान कैश/बैंक या बोनस के अलावा किसी और चीज़ के लिए कोई शेयर जारी नहीं किया गया है।

सातवं **प्रमोटर्स के पास मौजूद शेयर***

प्रमोटर का नाम	31 मार्च, 2026 तक		31 मार्च, 2025 तक		
	धारित शेयरों की संख्या	% होल्डिंग	धारित शेयरों की संख्या	% होल्डिंग	% परिवर्तन
बी। श्रीमती पवित्रा बाई डांगी	-	-	135	0.05%	-100%
सी। श्रीमती सुनीता यादव	223	0.05%	223	0.06%	-
डी। श्रीमती रामश्री शर्मा	46	0.01%	46	0.01%	-

*यहां प्रमोटर का मतलब कंपनी अधिनियम, 2013 में परिभाषित है.

	31 मार्च, 2026 तक	31 मार्च, 2025 तक
	रुपये/लाख	रुपये/लाख
4 भंडार और अधिशेष		
सामान्य आरक्षित		
प्रारंभिक जमा	1,164.29	785.53
लाभ और हानि विवरण में अधिशेष से स्थानांतरण	71.35	378.76
जमा शेष	**1,235.64**	**1,164.29**
लाभ और हानि विवरण में अधिशेष		
साल की शुरुआत में बैलेंस	101.51	402.41
वर्ष के लिए लाभ	35.11	101.51
	136.62	**503.92**
कम:		
31 मार्च, 2025 को खत्म हुए साल के लिए फाइनल लिमिटेड रिटर्न (डिविडेंड) (Rs. 8 प्रति शेयर) (पिछले साल Rs.8 प्रति शेयर)	30.16	23.65
सामान्य रिजर्व में स्थानांतरित	71.35	378.76
	101.51	**402.41**
वर्ष के अंत में शेष राशि	**35.11**	**101.51**
	1,270.75	**1,265.80**
5 आस्थगित अनुदान		
साल की शुरुआत में बैलेंस	573.51	838.34
वर्ष के दौरान उपयोग किए गए पूंजी अनुदान	-	-
	573.51	**838.34**
कम:		
अनुदान से प्राप्त संपत्तियों से संबंधित मूल्यह्रास और परिशोधन	113.06	121.82
डेफर्ड ग्रांट से वापस ली गई रकम, इससे जुड़ी है:		
- पिछले सालों में इस्तेमाल किया गया ग्रांट मंज़ूर नहीं है	-	132.94
- बेची गई/छोड़ी गई संपत्तियां	1.11	10.07
	114.17	**264.83**
जमा शेष	**459.34**	**573.51**

टिप्पणी:

मिली ग्रांट को, ग्रांट के इस्तेमाल तक लायबिलिटी माना गया है।

		31 मार्च, 2026 तक	31 मार्च, 2025 तक
		रुपये/लाख	रुपये/लाख
6	**व्यापार देयताएँ**		
ए	माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज़ का कुल बकाया (नीचे नोट 'iii' देखें)	3.02	2.15
बी।	सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य का कुल बकाया	802.59	723.49
		805.61	**725.64**

नोट्स:

व्यापार देयताओं की आयु निर्धारण अनुसूची

31 मार्च 2026 तक

	उपार्जन (बिना बिल वाला)	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 साल	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) सूक्ष्म और लघु उद्यमों का कुल बकाया	-	1.79	1.23	-	-	**3.02**
(ii) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया	53.65	748.75	0.19	-	-	**802.59**
(iii) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के विवादित बकाया	-	-	-	-	-	**-**
(iv) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों के विवादित बकाया	-	-	-	-	-	**-**
	53.65	**750.54**	**1.42**	**-**	**-**	**805.61**

31 मार्च 2025 तक

	उपार्जन (बिना बिल वाला)	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 साल	3 वर्ष से अधिक	कुल
(मैं) सूक्ष्म और लघु उद्यमों का कुल बकाया	-	2.15	-	-	-	**2.15**
(ii) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया	11.62	711.87	-	-	-	**723.49**
(iii) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के विवादित बकाया	-	-	-	-	-	**-**
(iv) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों के विवादित बकाया	-	-	-	-	-	**-**
	11.62	**714.02**	**-**	**-**	**-**	**725.64**

नोट: ऊपर दी गई एजिंग ट्रांज़ैक्शन की तारीख से कैलकुलेट की गई है।

		पर जैसा 31 मार्च, 2026	पर जैसा 31 मार्च, 2025
		रुपये/लाख	रुपये/लाख
ii)	ट्रेड पेएबल्स की ऊपर दी गई रकम में इसके रिलेटेड पार्टीज़ को पेएबल रकम भी शामिल है (नोट 32 देखें)	1.29	0.31
iii)	माइक्रो एंटरप्राइज़ और छोटे एंटरप्राइज़ पर बकाया रकम का डिस्क्लोज़र इस तरह है:		
एक	31 मार्च 2026 तक MSMED (सप्लायर्स) के तहत सप्लायर्स को देय राशि		
	- प्रधानाचार्य*	21.20	30.20
	- दिलचस्पी	0.24	-
बी।	साल के दौरान तय दिन के बाद सप्लायर को किए गए पेमेंट		
	- प्रधानाचार्य	-	-
	- दिलचस्पी	-	-
सी।	एमएसएमईडी के तहत पेमेंट में देरी के लिए देय ब्याज की राशि (जो साल के दौरान तय दिन के बाद चुकाई गई हो) लेकिन इसमें ब्याज नहीं जोड़ा जाएगा।	-	-
डी।	31 मार्च तक अर्जित और बकाया ब्याज की राशि	0.24	-
ई।	सप्लायर को बकाया और देय ब्याज की राशि, आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकार्य है।	0.24	-

* इसमें प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट खरीदने के लिए देय 18.42 लाख रुपये शामिल हैं (पिछले साल 28.05 लाख रुपये (नोट 8 देखें)

7 अप्रयुक्त अनुदान	पर जैसा 31 मार्च, 2026 रुपये/लाख	पर जैसा 31 मार्च, 2025 रुपये/लाख
ए ऑपरेटिंग/कैपिटल खर्च के लिए ग्रांट (नीचे नोट देखें)	-	30.00
	-	**30.00**

टिप्पणी:

मैं। मिले ग्रांट और उसके इस्तेमाल की जानकारी

परिचालन/पूंजीगत व्यय के लिए अनुदान

ए बायोगैस परियोजना		
साल की शुरुआत में बैलेंस	30.00	-
अनुदान देयता में वृद्धि		
वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	-	30.00
	-	**30.00**
अनुदान का उपयोग		
राजस्व व्यय के लिए उपयोग किया गया	30.00	
	30.00	**-**
अप्रयुक्त अनुदान का समापन शेष	**-**	**30.00**
बी विस्तार योजना - चरण II		
साल की शुरुआत में बैलेंस	(602.67)	(745.23)
अनुदान देयता में वृद्धि		
पिछले सालों में इस्तेमाल किए गए ग्रांट से जुड़ी रकम वापस नहीं की जाएगी	-	142.56
	-	**142.56**
इस्तेमाल न किए गए ग्रांट का आखिरी बैलेंस/(रिकवर करने लायक ग्रांट)	**(602.67)**	**(602.67)**
घटाएँ: अन्य करंट एसेट्स के तहत पहचानी गई रकम (नोट 18 देखें)	**602.67**	**602.67**
	-	**-**

द्वितीय. अनुदान की शर्तें:

ए बायोगैस परियोजना

इस ग्रांट का मकसद मध्य प्रदेश के गुना, राजगढ़, शिवपुरी, श्योपुर और दतिया जिलों में बायोगैस प्लांट लगाने में मदद करना है। इस प्रोजेक्ट का मकसद साफ खाना पकाने के फ्यूल के लिए अलग-अलग बायोगैस प्लांट को बढ़ावा देकर, खाद के तौर पर बायो-स्लरी का इस्तेमाल करके, और गोबर के अच्छे मैनेजमेंट से क्लाइमेट पर पड़ने वाले असर को कम करके गोबर के साइंटिफिक इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। प्रोजेक्ट का टारगेट 500 बायोगैस प्लांट लगाने में मदद करना है, जिसके लिए हर प्लांट के लिए 6,000 रुपये ग्रांट के तौर पर दिए गए हैं। ग्रांट का समय 31 दिसंबर 2025 तक था।

बी। विस्तार योजना - चरण II

ए कुल मंज़ूर ग्रांट की रकम 2018.27 लाख रुपये है।

बी। ग्रांट की अवधि: अगस्त 2020 से मार्च 2023, मार्च 2024 तक बढ़ाई गई

सी। कवर किया जाने वाला एरिया: शिवपुरी, श्योपुर और गुना

डी। **ग्रांट का उद्देश्य:**

ग्रांट का इस्तेमाल खास तौर पर नीचे दिए गए मकसदों के लिए किया जाएगा। इसका मकसद ऊपर बताए गए जिले में डेयरी वैल्यू चेन को डेवलप करना है, जिसमें दूध प्रोड्यूसर को एक मेंबर वाली मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी (MPC) बनाकर कवर किया जाएगा, जो यह पक्का करेगी:

- दूध खरीदने का एक सही और ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाना और दूध प्रोड्यूसर को सही और समय पर पेमेंट सीधे उनके सेविंग बैंक अकाउंट में करना।
- डेयरी किसानों के हितों की रक्षा के लिए उन्हें पूरे साल संगठित बाज़ार तक पहुँच देना
- प्रस्तावित मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी के स्टेकहोल्डर्स की क्षमता को एजुकेशन, ट्रेनिंग और दूसरी एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ के ज़रिए मज़बूत करना।
- सदस्यों के फ़ायदे के लिए दूध की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, दुधारू जानवरों की ब्रीडिंग, न्यूट्रिशन, देखभाल और मैनेजमेंट के एरिया में टेक्निकल इनपुट सर्विस देने का इंतज़ाम करना।

ई। **अनुदान की चुकौती**

ग्रांट पीरियड खत्म होने के बाद जमा ब्याज, असल ब्याज सहित बिना इस्तेमाल हुए कोई भी फंड, मध्य प्रदेश राज्य आजीविका फोरम ('MPRAF') को बंद होने की तय तारीख से एक महीने के अंदर MPRAF के अधिकारियों द्वारा बताए गए तय तरीके से वापस/चुकाना होगा।

iii. अनुदान उपयोग

ए पूंजीगत व्यय के लिए अनुदान
कैपिटल खर्च के लिए इस्तेमाल किए गए ग्रांट को डेफर्ड ग्रांट (नोट 5 देखें) के तौर पर रिकॉर्ड किया गया है, जिसे बाद में ग्रांट से मिली प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट के अमॉर्टाइज़ेशन खर्च के साथ सिस्टमैटिक बेसिस पर एडजस्ट किया गया है।

बी। परिचालन व्यय के लिए अनुदान
खास खर्च के लिए मिले ग्रांट को ग्रांट के इस्तेमाल तक लायबिलिटी माना गया है, जब कंपनी ने किए गए खर्च से जुड़ी इनकम को 'अन्य इनकम' के तहत पहचाना।

चतु' इन ग्रांट्स से जुड़ी कोई भी ऐसी शर्त या कंटिंजेंसी नहीं है जो पूरी न हो पाए, जिसके पूरा होने की उम्मीद मैनेजमेंट को न हो।

वी 31 मार्च, 2026 तक मिले ग्रांट की डिटेल्स इस तरह हैं:

विवरण	बायोगैस परियोजना मात्रा रुपये/लाख	विस्तार योजना चरण II मात्रा रुपये/लाख
जिस फाइनेंशियल ईयर में ग्रांट मिला है:		
-2020-21	-	739.55
-2022-23	-	359.11
-2024-25	30.00	-
वह फाइनेंशियल ईयर जिसमें ग्रांट पर TDS काटा जाता है:		
-2020-21	-	11.09
-2022-23	-	7.18
31 मार्च, 2026 तक कुल मिला अनुदान	**30.00**	**1,080.39**

8 अन्य वर्तमान देनदारियां	पर जैसा 31 मार्च, 2026 रुपये/लाख	पर जैसा 31 मार्च, 2025 रुपये/लाख
ए प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट के लिए पेमेंट (नीचे नोट देखें)	29.00	68.41
बी। ग्राहकों से अग्रिम	-	0.71
सी। कानूनी बकाया (PF, ESI, TDS और GST वगैरह में योगदान)	10.20	11.13
डी। प्राप्त व्यापार / सुरक्षा जमा	280.46	248.76
ई। सरेंडर किए गए शेयर के लिए देय	1.50	0.66
एफ। दावा न किए गए/अवैतनिक लाभांश	1.11	0.15
जी। कर्मचारियों को देय	6.37	4.63
	328.64	**334.45**

टिप्पणी: इसमें माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज के लिए देय 18.42 लाख रुपये (पिछले साल 28.05 लाख रुपये) शामिल हैं (नोट 6(iii) देखें)

9 प्रावधानों

ए अल्पकालिक प्रावधान		
i ग्रेच्युटी का प्रावधान	10.94	0.12
ii. क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति का प्रावधान	13.99	0.44
iii. संविदात्मक जनशक्ति शुल्क का प्रावधान (नोट 40 देखें)	7.63	-
	32.56	**0.56**
बी। दीर्घकालिक प्रावधान		
i ग्रेच्युटी का प्रावधान	3.62	9.87
ii क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति का प्रावधान	4.44	12.89
	8.06	**22.76**

10.1 सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण

	फर्नीचर और फिक्सचर	संयंत्र और मशीनरी	कंप्यूटर और डेटा प्रोसेसिंग यूनिट	कार्यालय उपकरण	कुल
	रुपये/लाख	रुपये/लाख	रुपये/लाख	रुपये/लाख	रुपये/लाख
सकल लागत					
प्रारंभिक जमा	**33.67**	**1,137.31**	**27.98**	**19.09**	**1,218.05**
परिवर्धन	0.25	168.59	10.64	0.63	180.11
निपटान	0.18	22.81	-	-	22.99
31 मार्च, 2025 तक शेष राशि	**33.74**	**1,283.09**	**38.62**	**19.72**	**1,375.17**
परिवर्धन	0.68	141.14	0.97	0.77	143.56
निपटान	0.10	10.11	-	-	10.21
31 मार्च, 2026 तक शेष राशि	**34.32**	**1,414.12**	**39.59**	**20.49**	**1,508.52**
संचित मूल्यह्रास					
प्रारंभिक जमा	**29.80**	**386.38**	**25.58**	**14.13**	**455.89**
परिवर्धन	0.85	132.09	3.34	1.63	137.91
निपटान	0.18	12.74	-	-	12.92
31 मार्च, 2025 तक शेष राशि	**30.47**	**505.73**	**28.92**	**15.76**	**580.88**
परिवर्धन	0.96	148.30	3.98	1.65	154.89
निपटान	0.10	8.53	-	-	8.63
31 मार्च, 2026 तक शेष राशि	**31.33**	**645.50**	**32.90**	**17.41**	**727.14**
शुद्ध वहन राशि					
31 मार्च, 2025 तक शेष राशि	**3.27**	**777.36**	**9.70**	**3.96**	**794.29**
31 मार्च, 2026 तक शेष राशि	**2.99**	**768.62**	**6.69**	**3.08**	**781.38**

टिप्पणी:कैपिटल ग्रांट से खरीदे गए और ऊपर दिए गए शेड्यूल में शामिल एसेट्स की डिटेल्स नीचे दी गई हैं:

	फर्नीचर और फिक्सचर	संयंत्र और मशीनरी	कंप्यूटर और डेटा प्रोसेसिंग यूनिट	कार्यालय उपकरण	कुल
	रुपये/लाख	रुपये/लाख	रुपये/लाख	रुपये/लाख	रुपये/लाख
सकल लागत					
प्रारंभिक जमा	**32.21**	**1,136.30**	**27.48**	**16.59**	**1,212.58**
परिवर्धन	-	-	-	-	-
निपटान	0.18	22.81	-	-	22.99
समायोजन*	-	(64.21)	-	-	(64.21)
31 मार्च, 2025 तक शेष राशि	**32.03**	**1,049.28**	**27.48**	**16.59**	**1,125.38**
परिवर्धन	-	-	-	-	-
निपटान	0.10	9.54	-	-	9.64
31 मार्च, 2026 तक शेष राशि	**31.93**	**1,039.74**	**27.48**	**16.59**	**1,115.74**
संचित मूल्यह्रास					
प्रारंभिक जमा	**28.74**	**385.86**	**25.08**	**13.32**	**453.00**
परिवर्धन	0.80	117.44	2.04	1.13	121.41
निपटान	0.18	12.74	-	-	12.92
समायोजन*	-	(9.62)	-	-	(9.62)
31 मार्च, 2025 तक शेष राशि	**29.36**	**480.94**	**27.12**	**14.45**	**551.87**
परिवर्धन	-	113.06	-	-	113.06
निपटान	0.10	8.43	-	-	8.53
31 मार्च, 2026 तक शेष राशि	**29.26**	**585.57**	**27.12**	**14.45**	**656.40**
शुद्ध वहन राशि					
31 मार्च, 2025 तक शेष राशि	**2.67**	**568.34**	**0.36**	**2.14**	**573.51**
31 मार्च, 2026 तक शेष राशि	**2.67**	**454.17**	**0.36**	**2.14**	**459.34**

*पिछले सालों में इस्तेमाल किए गए ग्रांट को वापस करने से जुड़े एडजस्टमेंट की इजाज़त नहीं है।

10.2 अमूर्त संपत्ति

	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	ट्रेडमार्क	कुल
	रुपये/लाख	रुपये/लाख	रुपये/लाख
सकल लागत			
प्रारंभिक जमा	**15.42**	**3.72**	**19.14**
परिवर्धन	-	-	-
निपटान	-	-	-
31 मार्च, 2025 तक शेष राशि	**15.42**	**3.72**	**19.14**
परिवर्धन	1.27	-	1.27
निपटान	-	-	
31 मार्च, 2026 तक शेष राशि	**16.69**	**3.72**	**20.41**
संचित परिशोधन			
प्रारंभिक जमा	**15.00**	**3.44**	**18.44**
परिवर्धन	0.42	0.28	0.70
निपटान	-	-	-
31 मार्च, 2025 तक शेष राशि	**15.42**	**3.72**	**19.14**
परिवर्धन	0.24	-	0.24
निपटान			-
31 मार्च, 2026 तक शेष राशि	**15.66**	**3.72**	**19.38**
शुद्ध वहन राशि			
31 मार्च, 2025 तक शेष राशि	-	-	-
31 मार्च, 2026 तक शेष राशि	**1.03**	-	**1.03**

टिप्पणी:कैपिटल ग्रांट से खरीदे गए और ऊपर दिए गए शेड्यूल में शामिल एसेट्स की डिटेल्स नीचे दी गई हैं:

	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	कुल
	रुपये/लाख	रुपये/लाख
सकल लागत		
प्रारंभिक जमा	**14.96**	**14.96**
परिवर्धन	-	-
निपटान	-	-
31 मार्च, 2025 तक शेष राशि	**14.96**	**14.96**
परिवर्धन	-	-
निपटान	-	-
31 मार्च, 2026 तक शेष राशि	**14.96**	**14.96**
संचित परिशोधन		
प्रारंभिक जमा	**14.55**	**14.55**
परिवर्धन	0.41	0.41
निपटान	-	-
31 मार्च, 2025 तक शेष राशि	**14.96**	**14.96**
परिवर्धन	-	-
निपटान	-	-
31 मार्च, 2026 तक शेष राशि	**14.96**	**14.96**
शुद्ध वहन राशि		
31 मार्च, 2025 तक शेष राशि	-	-
31 मार्च, 2026 तक शेष राशि	-	-

10.3 पूंजीगत कार्य प्रगति पर है

	31 मार्च, 2026 तक	31 मार्च, 2025 तक
	रुपये/लाख	रुपये/लाख
एक पूंजीगत कार्य प्रगति पर है	32.43	59.66
	32.43	**59.66**

10.4 विकासाधीन अमूर्त संपत्तियाँ

ए विकासाधीन अमूर्त संपत्तियाँ	5.90	-
	5.90	**-**

नोट्स:

i (ए) कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एजिंग शेड्यूल

31 मार्च 2026 तक

	अवधि के लिए प्रगति पर पूंजी कार्य की राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 साल	3 वर्ष से अधिक	
	रुपये/लाख	रुपये/लाख	रुपये/लाख	रुपये/लाख	रुपये/लाख
प्रगति पर परियोजनाएँ	32.43	-	-	-	32.43
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	-	-	-	-	-
	32.43	**-**	**-**	**-**	**32.43**

31 मार्च 2025 तक

	अवधि के लिए प्रगति पर पूंजी कार्य की राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 साल	3 वर्ष से अधिक	
	रुपये/लाख	रुपये/लाख	रुपये/लाख	रुपये/लाख	रुपये/लाख
प्रगति पर परियोजनाएँ	59.66	-	-	-	59.66
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	-	-	-	-	-
	59.66	**-**	**-**	**-**	**59.66**

i (बी) विकास के तहत अमूर्त संपत्ति की उम्र बढ़ने की अनुसूची

31 मार्च 2026 तक

	एक निश्चित अवधि के लिए विकासाधीन अमूर्त संपत्तियों में राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 साल	3 वर्ष से अधिक	
	रुपये/लाख	रुपये/लाख	रुपये/लाख	रुपये/लाख	रुपये/लाख
प्रगति पर परियोजनाएँ	5.90	-	-	-	5.90
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	-	-	-	-	-
	5.90	**-**	**-**	**-**	**5.90**

31 मार्च 2025 तक

	एक निश्चित अवधि के लिए विकासाधीन अमूर्त संपत्तियों में राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 साल	3 वर्ष से अधिक	
	रुपये/लाख	रुपये/लाख	रुपये/लाख	रुपये/लाख	रुपये/लाख
प्रगति पर परियोजनाएँ	-	-	-	-	-
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	-	-	-	-	-
	-	**-**	**-**	**-**	**-**

(सी) कोई भी प्रोजेक्ट कैपिटल वर्क-इन प्रोग्रेस में नहीं है और इनटेंन्जिबल एसेट्स डेवलपमेंट के तहत नहीं हैं, जिनके पूरा होने में देरी हो रही है या जिनकी लागत उनके ओरिजिनल प्लान से ज़्यादा हो गई है।

(ii) ऊपर दिए गए शेड्यूल में कैपिटल ग्रांट से खरीदी गई कोई संपत्ति नहीं है।

	31 मार्च, 2026 तक	31 मार्च, 2025 तक
	रुपये/लाख	रुपये/लाख
कैपिटल वर्क प्रोग्रेस में है (नीचे नोट देखें)	-	78.35
	-	**78.35**

टिप्पणी: पिछले साल इस्तेमाल किए गए 78.35 लाख रुपये के ग्रांट को वापस करने की इजाज़त नहीं है।

	31 मार्च, 2026 तक	31 मार्च, 2025 तक
	रुपये/लाख	रुपये/लाख
11 आस्थगित कर संपत्ति/(देयता) (शुद्ध)		
(i) डेफर्ड टैक्स एसेट्स बनाने वाली चीज़ों का टैक्स असर:		
ए मुआवज़े वाली अनुपस्थिति और ग्रेच्युटी का प्रावधान	9.18	6.49
बी। संविदात्मक जनशक्ति शुल्क का प्रावधान	2.12	-
सी। आयकर अधिनियम की धारा 43B के तहत अस्वीकृतियाँ	0.43	-
	11.73	**6.49**
(ii) डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज बनाने वाली चीज़ों का टैक्स असर:		
ए प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट के बुक बैलेंस और टैक्स बैलेंस के बीच अंतर पर	6.43	4.29
	6.43	**4.29**
शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्ति	**5.30**	**2.20**
12 दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम (अनसिक्योर्ड, अच्छा माना जाता है)		
ए वापसी योग्य आयकर (प्रावधान के बाद)	30.33	46.11
	30.33	**46.11**
13 अन्य गैर - वर्तमान परिसंपत्ति		
ए फिक्स्ड डिपॉजिट (उस पर मिलने वाले ब्याज सहित)	-	448.73
	-	**448.73**
14 सूची (लागत और शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य में से जो भी कम हो)		
i व्यापारिक वस्तुएँ		
ए कच्चा थोक दूध	144.49	97.41
बी। मवेशी चारा और अन्य	21.41	11.72
	165.90	**109.13**
15 व्यापार प्राप्तियां		
ए सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	-	-
बी। असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	778.08	538.21
सी। संदिग्ध	-	-
	778.08	**538.21**
खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता		
ए सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	-	-
बी। असुरक्षित को अच्छा माना जाता है	-	-
सी। संदिग्ध	-	-
	-	**-**
	778.08	**538.21**

व्यापार प्राप्य आयु निर्धारण अनुसूची

31 मार्च 2026 तक

	बिना बिल वाला	6 महीने से कम	6 महीने - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 साल	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) बिना विवाद वाले ट्रेड रिसीवेबल्स – अच्छे माने जाते हैं	-	778.08	-	-	-	-	**778.08**
(ii) बिना विवाद वाले ट्रेड रिसीवेबल्स – संदिग्ध माने जाते हैं	-	-	-	-	-	-	**-**
(iii) विवादित ट्रेड रिसीवेबल्स – अच्छे माने जाते हैं	-	-	-	-	-	-	**-**
(iv) विवादित ट्रेड रिसीवेबल्स – संदिग्ध माना जाता है	-	-	-	-	-	-	**-**
	-	**778.08**	**-**	**-**	**-**	**-**	**778.08**

31 मार्च 2025 तक

	बिना बिल वाला	6 महीने से कम	6 महीने - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 साल	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) बिना विवाद वाले ट्रेड रिसीवेबल्स – अच्छे माने जाते हैं	-	538.21	-	-	-	-	**538.21**
(ii) बिना विवाद वाले ट्रेड रिसीवेबल्स – संदिग्ध माने जाते हैं	-	-	-	-	-	-	**-**
(iii) विवादित ट्रेड रिसीवेबल्स – अच्छे माने जाते हैं	-	-	-	-	-	-	**-**
(iv) विवादित ट्रेड रिसीवेबल्स – संदिग्ध माना जाता है	-	-	-	-	-	-	**-**
	-	**538.21**	**-**	**-**	**-**	**-**	**538.21**

नोट: ऊपर दी गई एजिंग ट्रांज़ैक्शन की तारीख से कैलकुलेट की गई है।

	31 मार्च, 2026 तक	31 मार्च, 2025 तक
	रुपये/लाख	रुपये/लाख
16 नकदी और बैंक शेष		
ए नकद और नकद के समान		
ए बैंकों के पास बैलेंस:		
i चालू खातों में	11.81	18.13
ii फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में (ओरिजिनल मैच्योरिटी 3 महीने या उससे कम)	9.07	370.16
कुल - नकद और नकद समतुल्य (A)	**20.88**	**388.29**
(AS 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट के अनुसार)		
बी। अन्य बैंक बैलेंस		
i जमा खातों में		
- मूल परिपक्वता 3 महीने से अधिक	906.06	346.81
ii निर्धारित खातों में		
- अनपेड डिविडेंड अकाउंट (नीचे नोट देखें)	1.12	0.16
कुल - अन्य बैंक बैलेंस (B)	**907.18**	**346.97**
कुल नकदी और बैंक बैलेंस (A+B)	**928.06**	**735.26**

टिप्पणी:
अनपेड डिविडेंड अकाउंट में बैलेंस, अनपेड/अनक्लेम्ड डिविडेंड से ज़्यादा है, क्योंकि ऐसे अकाउंट में ज़्यादा फंड ट्रांसफर किया गया है।

17 अल्पकालिक ऋण और अग्रिम		
(अनसिक्योर्ड, अच्छा माना जाता है)		
ए प्रीपेड खर्चे	33.39	3.82
बी। विक्रेताओं को अग्रिम	5.06	1.10
	38.45	**4.92**
18 अन्य चालू परिसंपत्तियां		
ए बैंक जमा पर ब्याज मिला लेकिन बकाया नहीं	6.60	8.50
बी। अनुदान वसूली योग्य (नोट 7 देखें)	602.67	602.67
सी। अन्य वसूली योग्य	2.60	1.62
	611.87	**612.79**
	-464.1838	

	वर्ष 31 मार्च 2026 को समाप्त हुआ	वर्ष 31 मार्च 2025 को समाप्त हुआ
	रुपये/लाख	रुपये/लाख
19 परिचालन से राजस्व		
ए प्रोडक्ट्स की बिक्री (नीचे नोट 'i' देखें)	21,143.89	17,120.28
बी। अन्य ऑपरेटिंग इनकम (नीचे नोट 'ii' देखें)	6.77	5.12
	21,150.66	**17,125.40**
नोट्स:		
i प्रोडक्ट्स की बिक्री में शामिल हैं:		
व्यापारिक वस्तुएँ		
ए कच्चा थोक दूध	20,102.32	16,606.47
बी। मवेशी चारा और अन्य	1,041.57	513.81
	21,143.89	**17,120.28**
ii **अन्य परिचालन आय**		
ए AI शुल्क प्राप्त हुए	6.77	5.12
	6.77	**5.12**
20 अन्य कमाई		
ए ब्याज आय (नोट 'i' देखें)	73.31	55.26
बी। सदस्यों से प्रवेश शुल्क	2.25	2.80
सी। अनुदान उपयोग से मान्यता प्राप्त राजस्व	30.00	-
डी। प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट की बिक्री/छोड़ने पर प्रॉफ़िट	4.48	7.51
ई विविध आय	59.67	45.26
	169.71	**110.83**
टिप्पणी:		
i ब्याज आय		
-जमा पर	71.86	55.26
-आयकर रिफंड पर	1.45	-
	73.31	**55.26**
21 व्यापार में स्टॉक की खरीद		
ए कच्चा थोक दूध	18,010.10	14,790.90
बी। मवेशी चारा और अन्य	976.85	452.31
	18,986.95	**15,243.21**

22 खरीद व्यय

ए श्रम शुल्क	37.64	39.46
बी। रसायन और उपभोग्य वस्तुएं	22.77	16.70
सी। आवक माल	476.68	421.75
डी। मूल्य प्रोत्साहन	43.61	77.79
ई। सहायक प्रोत्साहन	284.62	219.51
एफ। दूध ठंडा करने का खर्च	96.23	49.22
	961.55	**824.43**

23 स्टॉक-इन-ट्रेड की इन्वेंटरी में परिवर्तन

साल की शुरुआत में इन्वेंटरी	109.13	93.24
वर्ष के अंत में इन्वेंटरी	165.90	109.13
इन्वेंटरी में शुद्ध कमी/(वृद्धि)	**(56.77)**	**(15.89)**

24 कर्मचारी लाभ व्यय

एक वेतन, मजदूरी और भत्ते	210.52	167.74
बी। भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान	10.16	8.83
सी। ग्रेच्युटी व्यय	6.92	4.63
डी। कर्मचारी कल्याण व्यय	2.33	3.77
	229.93	**184.97**

25 वित्त लागत

ए सूक्ष्म और लघु उद्यमों के बकाया भुगतान में देरी पर ब्याज		
	0.24	-
	0.24	**-**

26 मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय

ए प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट पर डेप्रिसिएशन*	154.89	147.53
बी। अमूर्त संपत्तियों का परिशोधन	0.24	0.70
	155.13	**148.23**
घटाएँ: ग्रांट पर मिली संपत्ति से संबंधित		
ए संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास	113.06	121.41
बी। अमूर्त संपत्तियों का परिशोधन	-	0.41
	113.06	**121.82**
	42.07	**26.41**

*इसमें पिछले साल का Rs. 9.62 लाख का डेप्रिसिएशन शामिल है, जो ग्रांट के रिवर्सल की वजह से हुआ था, जो मंज़ूर नहीं है (नोट 10.1 देखें)

	वर्ष 31 मार्च 2026 को समाप्त हुआ	वर्ष 31 मार्च 2025 को समाप्त हुआ
	रुपये/लाख	रुपये/लाख
27 अन्य खर्चों		
ए शक्ति और ईंधन	58.42	68.44
बी। किराया	40.43	40.27
सी। दरें और कर	6.79	8.90
डी। मरम्मत और रखरखाव		
-संयंत्र और मशीनरी	8.05	16.71
-अन्य	0.19	0.18
ई। संविदात्मक जनशक्ति शुल्क	177.32	150.77
एफ। कानूनी और पेशेवर शुल्क	50.30	38.41
जी। ऑडिटर्स को पेमेंट (नीचे नोट 'i' देखें)	2.14	1.95
एच। यात्रा और परिवहन	65.02	43.63
i। प्रिंटिंग व स्टेशनरी	5.60	5.93
जे। संचार व्यय	18.34	22.45
क। वितरण, माल ढुलाई और अग्रेषण	589.80	412.46
एल बैठक और प्रशिक्षण व्यय	6.74	6.85
एम। निदेशक बैठने की फीस	4.63	2.81
एन। बीमा व्यय	9.60	4.68
ओ बायोगैस व्यय	30.00	-
पी। विविध व्यय	44.93	21.52
	1,118.30	**845.96**

टिप्पणी:

(i) ऑडिटर्स को पेमेंट में शामिल हैं (माल और सेवा कर सहित)

वैधानिक लेखा परीक्षा शुल्क	2.14	1.95
कर्मचारी द्वारा किया गया खर्चा	-	-
	2.14	**1.95**

28 प्रति शेयर आय		वर्ष 31 मार्च 2026 को समाप्त हुआ	वर्ष 31 मार्च 2025 को समाप्त हुआ
		रुपये/लाख	रुपये/लाख
ए	**बुनियादी:**		
i	इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए टैक्स के बाद नेट प्रॉफ़िट उपलब्ध है	35.11	101.51
ii	साल के दौरान Rs.100 के इक्विटी शेयरों की वेटेड एवरेज संख्या (शेयरों की संख्या)	400,305	312,705
iii.	प्रति इक्विटी शेयर नाममात्र मूल्य (रु.)	100	100
iv	प्रति शेयर मूल आय ((i)/(ii)) (रु.)	8.77	32.46
	पतला		
	प्रति शेयर डाइल्यूटेड कमाई की गणना इक्विटी शेयरहोल्डर्स के लिए उपलब्ध टैक्स के बाद नेट प्रॉफ़िट को इक्विटी शेयरों की वेटेड एवरेज संख्या से भाग देकर की गई है, जिसमें संबंधित समय के लिए शेयर एप्लीकेशन मनी का डाइल्यूटिव इफ़ेक्ट दिया गया है।		
i	इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए टैक्स के बाद नेट प्रॉफ़िट उपलब्ध है	35.11	101.51
ii	इक्विटी शेयरों की वेटेड एवरेज संख्या - बेसिक EPS के लिए	400,305	312,705
	शेयर एप्लीकेशन मनी का असर जोड़ें	25,582	21,540
	इक्विटी शेयरों की वेटेड एवरेज संख्या - डाइल्यूटेड EPS के लिए	425,887	334,245
iii.	प्रति इक्विटी शेयर नाममात्र मूल्य (रु.)	100	100
iv	प्रति शेयर डाइल्यूटेड आय - (रु.)	8.24	30.37

29 प्रतिबद्धताओं और आकस्मिकताओं	31 मार्च, 2026 तक	31 मार्च, 2025 तक
	रुपये/लाख	रुपये/लाख
ए आकस्मिक देयताएं	-	-

बी। कैपिटल अमाउंट पर और जिनके लिए प्रोविज़न नहीं किया गया है, उन कॉन्ट्रैक्ट्स की अनुमानित रकम Rs. 115.64 लाख है (पिछले साल Rs. 18.88 लाख)।

सी। कंपनी के पास कोई भी लॉन्ग-टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, जिसमें डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट भी शामिल हैं, जिनसे कोई बड़ा नुकसान होने की उम्मीद थी।

डी। ऐसी कोई रकम नहीं थी जिसे कंपनी को इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर करना था।

30 कर्मचारी लाभ योजनाएँ

ए **परिभाषित-योगदान योजनाएँ**

कंपनी अपने कर्मचारियों को प्रोविडेंट फंड के रूप में तय योगदान प्लान देती है। प्रोविडेंट फंड सभी रेगुलर कर्मचारियों को कवर करता है। प्रोविडेंट फंड योगदान रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर (RPFC) के पास जमा किया जाता है। कर्मचारी और कंपनी दोनों प्रोविडेंट फंड में पहले से तय योगदान देते हैं। योगदान आम तौर पर कर्मचारी की सैलरी के एक तय हिस्से पर आधारित होता है।

कंपनी का प्रोविडेंट फंड में योगदान प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में शामिल है:

		वर्ष 31 मार्च 2026 को समाप्त हुआ	वर्ष 31 मार्च 2025 को समाप्त हुआ
		रुपये/लाख	रुपये/लाख
ए	भविष्य निधि में योगदान	10.16	8.83
बी।	कर्मचारी राज्य बीमा के लिए योगदान	-	-
		10.16	**8.83**

बी। **परिभाषित-लाभ योजनाएँ**

कंपनी अपने कर्मचारियों को ग्रेच्युटी स्कीम (एकमुश्त रकम) के रूप में डिफाइंड-बेनिफिट प्लान देती है। डिफाइंड बेनिफिट प्लान के तहत फायदे सर्विस के सालों और कर्मचारी के कम्पनसेशन (अलग होने से ठीक पहले) पर आधारित होते हैं। ग्रेच्युटी स्कीम सभी रेगुलर कर्मचारियों को कवर करती है। एक्चुरियल वैल्यूएशन "प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट" मेथड के आधार पर किया जाता है। बदले हुए एक्चुरियल अंदाज़ों के फायदे और नुकसान को प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में चार्ज किया जाता है।

नीचे दी गई टेबल में ग्रेच्युटी के संबंध में डिफाइंड बेनिफिट स्कीम का स्टेटस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पहचानी गई रकम बताई गई है।

i. परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन	वर्ष 31 मार्च 2026 को समाप्त हुआ	वर्ष 31 मार्च 2025 को समाप्त हुआ
	रुपये/लाख	रुपये/लाख
साल की शुरुआत में देनदारियों की मौजूदा कीमत	9.99	9.18
वर्तमान सेवा लागत	4.95	3.55
पिछली सेवा लागत	1.61	-
ब्याज लागत	0.68	0.66
भुगतान किए गए लाभ	2.35	3.82
दायित्वों पर एक्चुअरियल (लाभ)/हानि	(0.32)	0.42
साल के आखिर में देनदारियों की मौजूदा कीमत	**14.56**	**9.99**

ii. प्लान एसेट्स का फेयर वैल्यू	31 मार्च, 2026 तक	31 मार्च, 2025 तक
	रुपये/लाख	रुपये/लाख
साल के आखिर में प्लान एसेट्स की फेयर वैल्यू	-	-
	-	-

स्कीम अनफंडेड है, इसलिए प्लान एसेट्स Nil हैं।

iii. बैलेंस शीट में दर्ज राशि

	31 मार्च, 2026 तक	31 मार्च, 2025 तक
	रुपये/लाख	रुपये/लाख
परिभाषित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य	14.56	9.99
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
बैलेंस शीट में पहचानी गई नेट देनदारी/(एसेट)	**14.56**	**9.99**

iv. लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय

	वर्ष 31 मार्च 2026 को समाप्त हुआ	वर्ष 31 मार्च 2025 को समाप्त हुआ
	रुपये/लाख	रुपये/लाख
वर्तमान सेवा लागत	4.95	3.55
वर्तमान सेवा लागत	1.61	-
ब्याज लागत	0.68	0.66
वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त शुद्ध एक्चुअरियल (लाभ)/हानि	(0.32)	0.42
लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	**6.92**	**4.63**

बैलेंस शीट समाधान

	पर जैसा 31 मार्च 2026	पर जैसा 31 मार्च 2025
	रुपये/लाख	रुपये/लाख
साल की शुरुआत में नेट लायबिलिटी/(एसेट)	9.99	9.18
ऊपर बताए अनुसार खर्च	6.92	4.63
भुगतान	2.35	3.82
साल के आखिर में नेट लायबिलिटी/(एसेट)	**14.56**	**9.99**

vi. प्रमुख बीमांकिक मान्यताएँ	**पर जैसा 31 मार्च 2026**	**पर जैसा 31 मार्च 2025**
छूट की दर	6.53% प्रति वर्ष	6.79% प्रति वर्ष
अपेक्षित वेतन वृद्धि	7.75% प्रति वर्ष	7.75% प्रति वर्ष
योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	ना	ना
शेष कार्य जीवन	1.56 वर्ष	25.30 वर्ष
मृत्यु दर तालिका का उपयोग	आईएएलएम 2012-अंतिम	आईएएलएम 2012-14 अंतिम

डिस्काउंट रेट, बैलेंस शीट की तारीख पर, अनुमानित समय के लिए भारत सरकार की सिक्योरिटीज़ के मौजूदा मार्केट यील्ड पर आधारित है।

भविष्य में सैलरी में बढ़ोतरी के अनुमान में महंगाई, सीनियरिटी, प्रमोशन, इंक्रीमेंट और दूसरे ज़रूरी फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है।

vii. अनुभव समायोजन

	वर्ष 31 मार्च 2026 को समाप्त हुआ	वर्ष 31 मार्च 2025 को समाप्त हुआ	वर्ष 31 मार्च 2024 को समाप्त हुआ	वर्ष 31 मार्च 2023 को समाप्त हुआ	वर्ष 31 मार्च 2022 को समाप्त हुआ
	रुपये/लाख	रुपये/लाख	रुपये/लाख	रुपये/लाख	रुपये/लाख
डीबीओ का वर्तमान मूल्य	14.56	9.99	9.18	8.16	6.52
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		-	-	-	-
वित्त पोषित स्थिति	-	-	-	-	-
दायित्वों पर लाभ/(हानि)	0.32	(0.42)	(1.26)	(0.76)	(0.97)
योजना परिसंपत्तियों पर लाभ/(हानि)	-	-	-	-	-

viii. साल के आखिर में देनदारियां

	पर जैसा 31 मार्च 2026	पर जैसा 31 मार्च 2025
	रुपये/लाख	रुपये/लाख
गैर वर्तमान	3.62	9.87
मौजूदा	10.94	0.12
	14.56	**9.99**

क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति **प्रमुख बीमांकिक मान्यताएँ**	**पर जैसा 31 मार्च 2026**	**पर जैसा 31 मार्च 2025**
छूट की दर	6.53% प्रति वर्ष	6.79% प्रति वर्ष
अपेक्षित वेतन वृद्धि	7.75% प्रति वर्ष	7.75% प्रति वर्ष
योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	ना	ना
शेष कार्यकाल	1.56 वर्ष	25.30 वर्ष
मृत्यु दर तालिका का उपयोग	आईएएलएम 2012-14 अंतिम	आईएएलएम 2012-14 अंतिम

31 पट्टे की प्रतिबद्धताएँ

परिचालन पट्टा - पट्टेदार के रूप में

एग्रीमेंट के अनुसार बिल्डिंग की जगह के किराए से जुड़ी कैंसलेबल/नॉन-कैंसलेबल लीज़ के लिए साल के दौरान लिया जाने वाला लीज़ रेंटल और लंबे समय की नॉन-कैंसलेबल ऑपरेटिंग लीज़ पर ज़्यादा से ज़्यादा ज़िम्मेदारी इस तरह है:

	वर्ष 31 मार्च 2026 को समाप्त हुआ	वर्ष 31 मार्च 2025 को समाप्त हुआ
	रुपये/लाख	रुपये/लाख
पट्टा किराया	40.43	40.27

नॉन-कैंसलेबल लीज़ पर ज़िम्मेदारियां:-

विवरण	31 मार्च, 2026 तक	31 मार्च, 2025 तक
	रुपये/लाख	रुपये/लाख
एक वर्ष से अधिक समय तक देय नहीं	24.38	28.58
एक साल बाद लेकिन पांच साल बाद नहीं देना होगा	21.20	40.22
	45.58	**68.80**

32 संबंधित पार्टियों

लेखा मानक (एएस) 18 – "संबद्ध पार्टी प्रकटीकरण" द्वारा आवश्यक प्रकटीकरण नीचे दिए गए हैं:

A. संबंधित पक्षों का नाम और रिश्ते की प्रकृति

व्यक्ति का नाम	रिश्ते की प्रकृति
मुख्य मैनेजमेंट कर्मचारी:	
आलोक कुमार गुप्ता	निदेशक (25 जुलाई, 2025 तक)
बसंत चौधरी	निदेशक
रामश्री शर्मा	निदेशक (29 सितंबर, 2025 तक)
रवींद्र सिंह	निदेशक और मुख्य कार्यकारी
टीना यादव	निदेशक
नीलम नगर	निदेशक (29 सितंबर, 2025 तक)
गायत्री	निदेशक (20 सितंबर, 2024 तक)
सुनीता विश्वकर्मा	निदेशक
बबीता परमार	निदेशक
ममता बाई	निदेशक
रीना डांगी	निदेशक
मीना राजपूत	निदेशक (25 जुलाई, 2024 से प्रभावी)
अबधेश यादव	निदेशक (25 जुलाई, 2024 से प्रभावी)
ममता लोधी	निदेशक (25 जुलाई, 2024 से प्रभावी)
रवि रंजन	निदेशक (23 जून, 2025 से प्रभावी)
पूनम यादव	निदेशक (12 सितंबर, 2025 से प्रभावी)
रेखा लोढ़ा	निदेशक (12 सितंबर, 2025 से प्रभावी)
पूजा गोस्वामी	निदेशक (12 सितंबर, 2025 से प्रभावी)
वैष्णवी शर्मा	कंपनी सचिव (4 जून, 2025 तक)
श्वेता वर्मा	कंपनी सचिव (19 अगस्त, 2025 से प्रभावी)

B. साल के दौरान ऊपर बताई गई रिलेटेड पार्टियों के साथ हुए ट्रांज़ैक्शन का नेचर और वॉल्यूम इस तरह है:

संबंधित पक्ष का नाम	लेन-देन की प्रकृति	वर्ष 31 मार्च 2026 को समाप्त हुआ	वर्ष 31 मार्च 2025 को समाप्त हुआ
		रुपये/लाख	रुपये/लाख
रामश्री शर्मा	बैठने का शुल्क	0.22	0.23
सुनीता विश्वकर्मा	बैठने का शुल्क	0.39	0.23
टीना यादव	बैठने का शुल्क	0.39	0.23
नीलम नगर	बैठने का शुल्क	0.22	0.23
गायत्री	बैठने का शुल्क	-	0.03
मीना राजपूत	बैठने का शुल्क	0.39	0.21
बबीता परमार	बैठने का शुल्क	0.34	0.23
अबधेश यादव	बैठने का शुल्क	0.39	0.21
ममता बाई	बैठने का शुल्क	0.39	0.23
रीना डांगी	बैठने का शुल्क	0.39	0.21
ममता लोधी	बैठने का शुल्क	0.39	0.11
पूनम यादव	बैठने का शुल्क	0.06	-
रेखा लोढ़ा	बैठने का शुल्क	0.17	-
पूजा गोस्वामी	बैठने का शुल्क	0.17	-
		3.91	**2.14**
रामश्री शर्मा	दूध की खरीद	0.65	0.94
सुनीता विश्वकर्मा	दूध की खरीद	2.71	1.41
टीना यादव	दूध की खरीद	1.38	1.22
नीलम नगर	दूध की खरीद	0.07	0.98
मीना राजपूत	दूध की खरीद	1.06	1.13
अबधेश यादव	दूध की खरीद	1.46	1.44
बबीता परमार	दूध की खरीद	1.00	1.47
ममता लोधी	दूध की खरीद	0.98	0.64
ममता बाई	दूध की खरीद	0.63	1.53
रीना डांगी	दूध की खरीद	0.85	0.90
पूनम यादव	दूध की खरीद	0.38	-
रेखा लोढ़ा	दूध की खरीद	0.69	-
पूजा गोस्वामी	दूध की खरीद	1.50	-
		13.36	**11.64**
रवींद्र सिंह	व्यय की प्रतिपूर्ति	2.99	1.89
रामश्री शर्मा	व्यय की प्रतिपूर्ति	-	0.01
सुनीता विश्वकर्मा	व्यय की प्रतिपूर्ति	-	0.01
टीना यादव	व्यय की प्रतिपूर्ति	-	0.01
नीलम नगर	व्यय की प्रतिपूर्ति	-	0.02
गायत्री	व्यय की प्रतिपूर्ति	-	0.01
बबीता परमार	व्यय की प्रतिपूर्ति	-	0.02
		2.99	**1.97**
श्वेता वर्मा	पारिश्रमिक	5.85	-
वैष्णवी शर्मा	पारिश्रमिक	0.86	4.28
		6.71	**4.28**

टिप्पणी: ऊपर दी गई रकम में गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स (GST) शामिल नहीं है।

	31 मार्च, 2026 तक	31 मार्च, 2025 तक
सी। वर्ष के अंत तक बकाया राशि	रुपये/लाख	रुपये/लाख
i। साल के आखिर में दूध की खरीद के लिए ट्रेड पेएबल्स		
रामश्री शर्मा	-	0.02
सुनीता यादव	-	0.04
टीना यादव	0.10	0.02
नीलम नगर	-	0.01
सुनीता विश्वकर्मा	0.01	0.02
बबीता परमार	0.19	0.00
अबधेश यादव	0.05	0.13
मीना राजपूत	0.22	-
ममता बाई	0.36	0.01
रीना डांगी	0.05	0.03
ममता लोधी	0.02	0.01
पूनम यादव	0.04	-
रेखा लोढ़ा	0.08	-
पूजा गोस्वामी	0.17	-
	1.29	**0.31**

33 वित्तीय अनुपातों का प्रकटीकरण

	विवरण	मीटर	भाजक	31 मार्च 2026 तक	31 मार्च 2025 तक	विचरण %	भिन्नता का कारण
ए।	वर्तमान अनुपात	वर्तमान संपत्ति	वर्तमान देयता	2.16	1.83	18%	
बी।	ऋण इक्विटी अनुपात	कुल ऋण	इक्विटी शेयरधारक निधि	ना	ना	-	
सी।	कर्ज सेवा कवरेज अनुपात	शुद्ध ऑपरेटिंग आय	कुल ऋण सेवा	ना	ना	-	
डी।	इक्विटी अनुपात पर प्रतिफल	शुद्ध आय	इक्विटी शेयरधारक निधि	2.04%	6.18%	-67%	नोट 1
ई।	इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात	बेचे गए माल की कीमत	औसत इन्वेंट्री	144.65	158.64	-9%	
एफ।	व्यापार प्राप्य कारोबार अनुपात	कुल बिक्री	औसत व्यापार प्राप्य	32.14	46.27	-31%	नोट 2
जी।	व्यापार देयताओं का टर्नओवर अनुपात	शुद्ध खरीदारी	औसत व्यापार देयताएँ	24.80	25.36	-2%	
एच।	शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात	कुल बिक्री	कार्यशील पूंजी	15.60	18.83	-17%	
i।	शुद्ध लाभ अनुपात	शुद्ध लाभ	कुल बिक्री	0.17%	0.59%	-72%	नोट 1
जे।	नियोजित पूंजी पर रिटर्न	ब्याज और कर से पहले की कमाई	व्यवसाय के लिए आवश्यक मूलधन	1.72%	5.62%	-69%	नोट 1
क।	निवेश पर प्रतिफल	निवेश पर कमाई	औसत निवेश	ना	ना	-	

अनुपातों का कार्य

अनुपातों का आधार	वर्ष 31 मार्च 2026 को समाप्त हुआ	अनुपात	वर्ष 31 मार्च 2025 को समाप्त हुआ	अनुपात
ए। वर्तमान अनुपात				
वर्तमान संपत्ति	2,522.36	2.16	2,000.31	1.83
वर्तमान देयता	1,166.81		1,090.65	
बी। ऋण इक्विटी अनुपात				
कुल कर्ज़ (लॉन्ग टर्म कर्ज़+शॉर्ट टर्म कर्ज़+कैपिटल लीज़ ऑब्लिगेशन)	-	-	-	-
इक्विटी शेयरहोल्डर फंड (शेयर कैपिटल + रिज़र्व और सरप्लस)	1,718.94		1,642.84	
सी। कर्ज सेवा कवरेज अनुपात	ना		ना	
डी। इक्विटी अनुपात पर प्रतिफल				
शुद्ध परिचालन आय (PAT)	35.11	2.04%	101.51	6.18%
इक्विटी शेयरहोल्डर फंड (शेयर कैपिटल + रिज़र्व और सरप्लस)	1,718.94		1,642.84	
ई। इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात				
बेचे गए माल की कीमत	19,891.73	144.65	16,051.75	158.64
औसत इन्वेंट्री (शुरुआती इन्वेंट्री+समापन इन्वेंट्री)/2	137.52		101.19	
एफ। व्यापार प्राप्य कारोबार अनुपात				
नेट सेल्स (कुल सेल्स - सेल्स रिटर्न)	21,150.66	32.14	17,125.40	46.27
औसत व्यापार प्राप्य [(प्रारंभिक देनदार + समापन देनदार) / 2]	658.15		370.11	
जी। व्यापार देयताओं का टर्नओवर अनुपात				
नेट खरीदारी (खरीद - खरीदारी रिटर्न)	18,986.95	24.80	15,243.21	25.36
औसत ट्रेड देयताएं [(आरंभिक ट्रेड देयताएं+अंतिम ट्रेड देयताएं)/2]	765.63		600.98	
एच। शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात				
नेट सेल्स (कुल सेल्स - सेल्स रिटर्न)	21,150.66	15.60	17,125.40	18.83
वर्किंग कैपिटल = करंट एसेट्स - करंट लायबिलिटीज	1,355.55		909.66	
i। शुद्ध लाभ अनुपात				
शुद्ध लाभ	35.11	0.17%	101.51	0.59%
नेट सेल्स (कुल सेल्स - सेल्स रिटर्न)	21,150.66		17,125.40	
जे। नियोजित पूंजी पर रिटर्न				
ब्याज और कर से पहले की कमाई	38.10	1.72%	127.14	5.62%
नियोजित पूंजी = कुल संपत्ति - वर्तमान देनदारियां	2,211.92		2,260.65	
के। निवेश पर प्रतिफल	ना		ना	

नोट्स:

1 मौजूदा समय में, ऑपरेशनल दिक्कतों की वजह से कंपनी के प्रॉफिट में काफी कमी आई है।

2 मौजूदा समय में, पिछले साल के आखिरी महीने के मुकाबले इस साल के आखिरी महीने में रेवेन्यू में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, इसलिए पिछले साल के आखिर में मिलने वाले रिसीवेबल्स के मुकाबले इस साल के आखिर में मिलने वाले रिसीवेबल्स में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है।

3 इस समय में, पिछले साल के मुकाबले वॉल्यूम बढ़ने की वजह से रेवेन्यू और खरीद में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है।

4 मौजूदा समय में, ग्रांट रिकवर होने में बढ़ोतरी के कारण करंट एसेट्स में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। हालांकि, रेवेन्यू उसी अनुपात में नहीं बढ़ा है, जिससे नेट कैपिटल टर्नओवर रेश्यो में गिरावट आई है।

5 मौजूदा समय में, कंपनी के मुनाफे में इस्तेमाल की गई पूंजी की तुलना में काफी बढ़ोतरी हुई है, जिससे इस्तेमाल की गई पूंजी पर रिटर्न बढ़ा है।

34 अन्य वैधानिक जानकारी

ए। मौजूदा फाइनेंशियल ईयर के दौरान, कंपनी ने कंपनीज़ एक्ट, 2013 के सेक्शन 248 या कंपनीज़ एक्ट, 1956 के सेक्शन 560 के तहत हटाई गई कंपनियों के साथ कोई ट्रांज़ैक्शन नहीं किया है।

बी। 31 मार्च, 2026 को खत्म हुए फाइनेंशियल ईयर के दौरान रेगुलेटर ने कोई पेनल्टी नहीं लगाई।

सी। कंपनी का ऐसा कोई लेन-देन नहीं है जो बुक्स ऑफ़ अकाउंट्स में रिकॉर्ड न हो, जिसे इनकम-टैक्स एक्ट, 1961 के तहत टैक्स असेसमेंट में साल के दौरान इनकम के तौर पर सरेंडर या बताया गया हो (जैसे, सर्च या सर्वे या इनकम-टैक्स एक्ट, 1961 के कोई दूसरे ज़रूरी प्रोविज़न)। इसके अलावा, पहले से कोई अनरिकॉर्डेड इनकम नहीं थी और साल के दौरान बुक्स ऑफ़ अकाउंट्स में कोई एक्स्ट्रा एसेट्स रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं थी।

डी। इस साल कंपनी ने किसी दूसरे व्यक्ति या एंटिटी, जिसमें विदेशी एंटिटी (इंटरमीडियरी) शामिल हैं, को कोई एडवांस, लोन या इन्वेस्टमेंट (चाहे उधार लिया हुआ फंड हो या शेयर प्रीमियम) नहीं किया है।

ई। कंपनी ने 31 मार्च, 2026 को खत्म हुए फाइनेंशियल ईयर के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में न तो ट्रेड किया है और न ही इन्वेस्ट किया है। इसके अलावा, कंपनी को क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में ट्रेडिंग या इन्वेस्ट करने के मकसद से किसी भी व्यक्ति से कोई डिपॉजिट या एडवांस भी नहीं मिला है।

एफ। बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांज़ैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट, 1988 (जैसा कि समय-समय पर बदला गया है) (पहले बेनामी ट्रांज़ैक्शन (प्रोहिबिशन) एक्ट, 1988) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कंपनी के खिलाफ कोई बेनामी प्रॉपर्टी रखने के लिए कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई है या पेंडिंग नहीं है।

जी। कंपनी ने किसी भी व्यक्ति या संस्था, जिसमें विदेशी संस्था (फंडिंग पार्टी) भी शामिल है, से इस समझ के साथ कोई फंड नहीं लिया है (चाहे लिखकर या किसी और तरह से) कि कंपनी: (i) सीधे या इनडायरेक्टली दूसरे लोगों या संस्थाओं को लोन देगी या इन्वेस्ट करेगी, जिन्हें फंडिंग पार्टी (अल्टीमेट बेनिफिशियरी) ने या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाना हो, या (ii) अल्टीमेट बेनिफिशियरी की ओर से कोई गारंटी, सिक्योरिटी या ऐसी ही कोई चीज़ देगी।

एच। कंपनी ने किसी दूसरे व्यक्ति या एंटिटी, जिसमें विदेशी एंटिटी (इंटरमीडियरी) भी शामिल हैं, को इस समझ के साथ कोई एडवांस, लोन या इन्वेस्टमेंट नहीं किया है कि इंटरमीडियरी (i) सीधे या इनडायरेक्टली कंपनी की ओर से या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए दूसरे लोगों या एंटिटी को लोन देगा या इन्वेस्ट करेगा (अल्टीमेट बेनिफिशियरी) या (ii) अल्टीमेट बेनिफिशियरी को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सिक्योरिटी या ऐसी ही कोई चीज़ देगा।

i। साल के दौरान, कंपनी के पास कोई वर्किंग कैपिटल लिमिट नहीं है, इसलिए उसे बैंकों/फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास तिमाही स्टॉक स्टेटमेंट जमा करने की ज़रूरत नहीं है।

जे। कंपनी ने किसी भी कंपनी में आगे कोई निवेश नहीं किया है, इसलिए कंपनी (लेयर्स की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के साथ अधिनियम की धारा 2 का खंड (87) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

के। रजिस्ट्रार ऑफ़ कंपनीज़ के पास रजिस्ट्रेशन के लिए कोई चार्ज या चार्ज का सैटिस्फैक्शन पेंडिंग नहीं है।

एल कंपनी को किसी भी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या किसी दूसरे लेंडर ने विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया है।

35 सेगमेंट रिपोर्टिंग पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS-17 के तहत ज़रूरी डिस्क्लोज़र की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी मुख्य रूप से दूध और मवेशियों के चारे की ट्रेडिंग के सिंगल बिज़नेस सेगमेंट में काम करती है और एक ज्योग्राफिकल सेगमेंट में काम करती है।

36 31 मार्च, 2026 तक कंपनी को 25,582 इक्विटी शेयरों के लिए शेयर आवेदन राशि के रूप में 25.58 लाख रुपये प्राप्त हुए (31 मार्च, 2025 तक 21,540 इक्विटी शेयरों के लिए 21.54 लाख रुपये प्राप्त हुए थे), जिस पर कोई प्रीमियम नहीं दिया गया (31 मार्च, 2025 तक कोई प्रीमियम नहीं दिया गया)। कंपनी के पास इन शेयरों के आवंटन के लिए पर्याप्त अधिकृत पूंजी है। इसके बाद, कंपनी ने 25 अप्रैल, 2026 को शेयरों का आवंटन किया।

37 सभी एसेट्स और लायबिलिटीज़ को कंपनीज़ एक्ट, 2013 के शेड्यूल III में दिए गए क्राइटेरिया के हिसाब से करंट या नॉन-करंट के तौर पर दिखाया गया है। कंपनी की दी गई सर्विसेज़, उसके ऑपरेशन्स और रियलाइज़ेशन के नेचर के आधार पर, कंपनी ने अपना ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से कम का तय किया है। इसलिए, एसेट्स और लायबिलिटीज़ के करंट/नॉन-करंट क्लासिफिकेशन के लिए 12 महीने के पीरियड पर विचार किया गया है।

38 कंपनी ने CSR नियमों, नेट वर्थ, टर्नओवर और नेट प्रॉफ़िट की शर्तों को पूरा नहीं किया है, इसलिए CSR के नियम कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

39 बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स ने 31 मार्च, 2026 को खत्म हुए फाइनेंशियल ईयर के लिए 100 रुपये के हर इक्विटी शेयर पर 7.00 रुपये (यानी, 7

40 21 नवंबर 2025 को, भारत सरकार ने चार नए लेबर कोड नोटिफ़ाई किए - कोड ऑन वेजेज़, 2019, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, 2020, इंडस्ट्रियल रिलेशन्स कोड, 2020 और ऑक्यूपेशनल सेफ़्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड, 2020 - जो 29 मौजूदा लेबर कानूनों को एक साथ लाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ़ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने रेगुलेशंस में बदलावों से होने वाले फ़ाइनेंशियल असर का असेसमेंट करने के लिए ड्राफ़्ट सेंट्रल रूल्स और FAQs पब्लिश किए हैं। कंपनी ने AS 29 – प्रोविज़न्स, कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ और कंटिंजेंट एसेट्स, और इंस्टीट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया ("ICAI") द्वारा जारी की गई की अकाउंटिंग इम्प्लीकेशंस पर FAQs के अनुसार, उपलब्ध सबसे अच्छी जानकारी के आधार पर ऊपर दिए गए बदलावों के बढ़ते असर का असेसमेंट और अनुमान लगाया है। थर्ड-पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स के ज़रिए आउटसोर्स किए गए मैनपावर के असर को, जिसे कंपनी को संबंधित मास्टर सर्विस एग्रीमेंट की शर्तों के तहत रीइंबर्स करना ज़रूरी है, AS 29 के अनुसार एक प्रोविज़न के तौर पर पहचाना गया है। ऊपर बताए गए कुल असर, जो Rs. 7.63 लाख है, को "कॉन्ट्रैक्टुअल मैनपावर चार्ज" के तहत "दूसरे खर्चों" में पहचाना और बताया गया है। कंपनी सेंट्रल और स्टेट रूल्स को फाइनल करने और लेबर कोड्स के दूसरे पहलुओं पर सरकार से क्लैरिफिकेशन पर नज़र रखती रहेगी और जब भी ऐसे क्लैरिफिकेशन जारी होंगे / रूल्स नोटिफाई होंगे, तो सही अकाउंटिंग इफेक्ट देगी।

41 कंपनी ने इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम की गई रकम के आधार पर मौजूदा साल के इनकम टैक्स के पेमेंट के लिए MAT क्रेडिट का इस्तेमाल किया है।

42 बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स की राय में, प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट के अलावा, इनटैंजिबल एसेट्स की आम बिज़नेस के दौरान रियलाइज़ेशन वैल्यू कम से कम उस अमाउंट के बराबर होती है जिस पर उन्हें बताया गया है।

43 पिछले साल के आंकड़ों को, जहां भी ज़रूरी था, इस साल के क्लासिफिकेशन/डिस्क्लोजर से मैच करने के लिए रीग्रुप/रीक्लासिफाई किया गया है।

हमारी आज की रिपोर्ट के अनुसार

एस.एन. धवन एंड कंपनी एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर 000050N/N500045

निदेशक मंडल की ओर से

मालव महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

रवींद्र सिंह
निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी
डीआईएन:10381339

टीना यादव
अध्यक्ष
डीआईएन: 08664281

विनेश जैन
साथी
सदस्यता संख्या 087701

जगह: गुरुग्राम
तारीख: 26 अगस्त 2026

सुनीता विश्वकर्मा
निदेशक
डीआईएन:08880271

स्थान: ब्यावरा
तारीख: 26 अगस्त 2026

श्वेता वर्मा
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या A70184

मालव महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

सीआईएन क्रमांक U01114MP2017PTC043970

पंजीकृत कार्यालय:ओल्ड एबी रोड, तलवाड़ा, चंपापुरा, ब्यावरा, राजगढ़, एमपी-465674

ईमेल : info@maalavmilk.com टेलीफ़ोन: 8057900900 ; वेबसाइट: www.maalavmilk.com

सूचना

इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि मालव महिला दुग्ध उत्पादक कंपनी लिमिटेड के सदस्यों की **10वीं वार्षिक आम सभा बुधवार, 30 सितंबर, 2026 को दोपहर 12:00 बजे होटल ला ओम पैलेस, ब्यावरा, राजगढ़, मध्य प्रदेश - 465674** में निम्नलिखित कार्यों के लिए आयोजित की जाएगी:

सामान्य व्यवसाय:

1. **31 मार्च 2026 की लेखापरीक्षित बैलेंस शीट, उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए लाभ और हानि खाता तथा नकदी प्रवाह विवरण, साथ ही उससे संबंधित अनुसूचियां और टिप्पणियां तथा निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को प्राप्त करना, उन पर विचार करना और उन्हें स्वीकार करना तथा इस संबंध में निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव को अपनाना:**

   "यह संकल्प लिया जाता है कि 31 मार्च 2026 को लेखापरीक्षित बैलेंस शीट, लाभ और हानि खाता और उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए नकदी प्रवाह विवरण, साथ ही इसके भाग के रूप में गठित अनुसूचियां और टिप्पणियां तथा निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को एतद्द्वारा अनुमोदित और अपनाया जाता है।"

2. **वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए कंपनी की शेयर पूंजी पर सीमित लाभांश (डिविडेंड) पर विचार करना और उसे घोषित करना तथा इस संबंध में निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव को अपनाना:**

   "यह संकल्प लिया गया कि 31 मार्च 2026 को समाप्त हुए वर्ष के चालू लाभ में से ₹7 प्रति इक्विटी शेयर की दर से 4,48,187 पूर्णतः भुगतान किए गए 100 रुपये प्रति शेयर के इक्विटी शेयरों पर शेयर पूंजी पर सीमित प्रतिफल (लाभांश) 31,37,309/- रुपये **(इकतीस लाख सैंतीस हजार तीन सौ नौ रुपये मात्र)** वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए अनुमोदित और पुष्टि की जाती है, और यह कि इसका भुगतान उन इक्विटी शेयरधारकों को किया जाए जिनके नाम 31 मार्च 2026 को सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज हैं।"

3. **श्रीमती बबीता परमार (डीआईएन: 09287450) की सेवानिवृत्ति पर विचार करने के लिए, जो रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त हो रही हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए अपात्र हैं, इस संबंध में निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव को अपनाया जाए:**

   "यह संकल्प लिया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 और धारा 378जेडए के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 9.6 और अन्य लागू प्रावधानों (यदि कोई हो) के अनुसार, अनुच्छेद 9.6 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378जेडए तथा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों (साथ ही

समय-समय पर किए गए किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनर्अधिनियमन सहित) के तहत, श्रीमती बबीता परमार (डीआईएन: 09287450), निदेशक, जो आगामी वार्षिक आम बैठक में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं, पुनर्नियुक्ति के लिए अपात्र हैं, और इस वार्षिक आम बैठक के समापन पर निदेशक पद से सेवानिवृत्त होती हैं तथा परिणामस्वरूप रिक्त पद को भरा नहीं जाएगा।

4. **श्रीमती ममता बाई (नगर) (डीआईएन: 09705968) की सेवानिवृत्ति पर विचार करने के लिए, जो रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त हो रही हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए अपात्र हैं, इस संबंध में निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव को अपनाया जाए:**

   "यह संकल्प लिया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 (जिसमें समय-समय पर लागू कोई भी वैधानिक संशोधन या पुनर्अधिनियमन शामिल है) की धारा 152, धारा 378जेडए और अन्य लागू प्रावधानों (यदि कोई हो) के अनुसार, कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 9.6 के साथ पढ़ा जाए, तो श्रीमती ममता बाई (डीआईएन: 09705968), जो 'नो क्लास' श्रेणी की निदेशक हैं और इस वार्षिक आम बैठक में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त हो रही हैं, को इस वार्षिक आम बैठक के समापन पर कंपनी के निदेशक मंडल से सेवानिवृत्त किया जाता है।"

   इसके अलावा यह भी संकल्प लिया गया कि बोर्ड की संरचना में किए गए पुनर्गठन को ध्यान में रखते हुए–जिसके तहत भविष्य में रिक्त पद केवल श्रेणी ए और श्रेणी बी के लिए निर्धारित किए गए हैं–और श्रेणी सी / 'कोई श्रेणी नहीं' के सदस्यों के लिए कोई रिक्त पद उपलब्ध न होने के मद्देनजर, श्रीमती ममता बाई की सेवानिवृत्ति के कारण उत्पन्न रिक्त पद को इस वार्षिक आम बैठक में नहीं भरा जाएगा।

5. **श्रीमती मीना राजपूत (डीआईएन: 10720146) की पुनर्नियुक्ति पर विचार करने के लिए, जो रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त हो रही हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए अपात्र हैं, इस संबंध में निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव को अपनाया जाए:**

   "यह संकल्प लिया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 (जिसमें समय-समय पर लागू कोई भी वैधानिक संशोधन या पुनर्अधिनियमन शामिल है) की धारा 152, धारा 378जेडए और अन्य लागू प्रावधानों (यदि कोई हो) के अनुसार, कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 9.6 के साथ पढ़ा जाए, तो श्रीमती मीना राजपूत (डीआईएन: 10720146), जो 'नो क्लास' श्रेणी की निदेशक हैं और इस वार्षिक आम बैठक में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त हो रही हैं, को इस वार्षिक आम बैठक के समापन पर कंपनी के निदेशक मंडल से सेवानिवृत्त किया जाता है।"

   इसके अलावा यह भी संकल्प लिया गया कि बोर्ड की संरचना में किए गए पुनर्गठन को ध्यान में रखते हुए–जिसके तहत भविष्य में रिक्त पद केवल श्रेणी ए और श्रेणी बी के लिए निर्धारित किए गए हैं–और श्रेणी सी / 'कोई श्रेणी नहीं' के सदस्यों के लिए कोई रिक्त पद उपलब्ध न होने के मद्देनजर, श्रीमती मीना राजपूत की सेवानिवृत्ति के कारण उत्पन्न रिक्त पद को इस वार्षिक आम बैठक में नहीं भरा जाएगा।

6. कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति और उनके पारिश्रमिक निर्धारण पर विचार करना:

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो, संशोधन सहित या बिना संशोधन के, इसे एक साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

"यह संकल्प लिया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139, 141, 142 और अन्य लागू प्रावधानों (यदि कोई हो) के अनुसार, कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 (जिसमें समय-समय पर लागू कोई भी वैधानिक संशोधन या पुनर्अधिनियमन शामिल है) के साथ पठित, और निदेशक मंडल की अनुशंसा के आधार पर, मेसर्स पी जी आर एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (फर्म पंजीकरण संख्या: 032347N) को कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो सेवानिवृत्त हो रहे वैधानिक लेखा परीक्षक मेसर्स एस एन धवन एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के स्थान पर हैं, जिनका दूसरा कार्यकाल इस वार्षिक आम बैठक के समापन पर समाप्त हो रहा है।"

इसके अलावा यह भी संकल्प लिया गया कि मेसर्स पी जी आर एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इस 10वीं वार्षिक आम बैठक के समापन से लेकर कंपनी की 15वीं वार्षिक आम बैठक के समापन तक लगातार पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए पद पर बने रहेंगे (वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक)।

इसके अलावा यह भी संकल्प लिया गया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए वैधानिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक 1,90,000/- रुपये (एक लाख नब्बे हजार रुपये मात्र) निर्धारित किया जाए, जिसमें लागू जीएसटी और लेखापरीक्षा के संबंध में किए गए वास्तविक खर्चों की प्रतिपूर्ति शामिल हो। कंपनी के निदेशक मंडल को वैधानिक लेखा परीक्षकों के परामर्श से उनके कार्यकाल के शेष वर्षों के लिए पारिश्रमिक निर्धारित करने का अधिकार दिया जाता है।

इसके अलावा यह भी संकल्प लिया गया है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी या कंपनी सचिव को इस प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के लिए सभी आवश्यक, उचित और उपयुक्त कदम उठाने के लिए अधिकृत किया जाता है।

विशेष व्यवसाय:

7. वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए कंपनी के बजट पर विचार करना और उसे मंजूरी देना।

निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में, संशोधन सहित या बिना संशोधन के, विचार करने और अनुमोदित करने के लिए:

"**यह संकल्प लिया जाता है कि** कंपनी का **1** अप्रैल **2026** से **31** मार्च **2027** की अवधि का बजट, जैसा कि वार्षिक आम बैठक में प्रस्तुत किया गया है, को अनुमोदित किया जाता है।"

8. कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में बदलावों पर विचार करना और उन्हें मंजूरी देना तथा यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित प्रस्ताव को संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

"यह संकल्प लिया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के भाग XXIA के प्रासंगिक प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 378-I, 378ZQ, 378ZR और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, तथा कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के लागू प्रावधानों के अनुसरण में, कंपनी के मौजूदा अंतर्नियमों (Articles of Association) में निम्नलिखित तरीके और सीमा तक संशोधन किया जाता है:

(1) मौजूदा अनुच्छेद 4.3 iii में परिवर्तन/संशोधन किया जाएगा और इसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

4.3 iii. कोई भी सदस्य जो सदस्यता जारी रखने के लिए पात्र नहीं है, उसे कंपनी द्वारा सदस्यता समाप्त करने के लिए लिखित सूचना दी जाएगी और उसे सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। सदस्य को सूचना में निर्दिष्ट निर्धारित अवधि के भीतर सूचना का उत्तर देना होगा। इसके बाद, बोर्ड इस मामले में निर्णय लेगा। हालांकि, सदस्यों को सूचना भेजने के उद्देश्य से, बोर्ड किसी विशेष वर्ष के दौरान सभी सदस्यों के लिए एक या अधिक पात्रता मानदंडों से छूट दे सकता है।

इस प्रकार की सूचना या दस्तावेज किसी सदस्य को हाथ से सौंपकर, साधारण डाक द्वारा, पंजीकृत डाक द्वारा, स्पीड पोस्ट द्वारा, कूरियर द्वारा या कंपनी में पंजीकृत सदस्य के ईमेल पते पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा जा सकता है।

डाक, पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट या कूरियर द्वारा भेजा गया नोटिस, सामान्य परिस्थितियों में उसकी डिलीवरी के लिए सामान्य रूप से आवश्यक अवधि की समाप्ति पर तामील किया हुआ माना जाएगा।

कंपनी के साथ पंजीकृत सदस्य के ईमेल पते पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा गया नोटिस, प्रेषण की दिनांक *से ही प्राप्त माना जाएगा, बशर्ते कि कंपनी को डिलीवरी में विफलता, डिलीवरी न होने या वापस बाउंस होने की कोई सूचना प्राप्त न हो।*

(2) कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 4.4 में निम्नलिखित नया अनुच्छेद 4.4(i) जोड़ा जाएगा:

4.4(i) कोई सदस्य बोर्ड में सदस्यों के किसी विशेष वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक(कों) के चुनाव या नियुक्ति में मतदान करने के लिए तभी पात्र होगा, जब उस सदस्य ने चुनाव या नियुक्ति से ठीक पहले वाले वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्यता के उस वर्ग पर लागू सभी मानदंडों को पूरा किया हो।

(3) <u>मौजूदा अनुच्छेद 4.5 में परिवर्तन/संशोधन किया जाए और इसे निम्नानुसार पढ़ा जाए:</u>

सदस्यों को देय मूल्य

i. सदस्यों को बोर्ड द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार आपूर्ति किए गए दूध का मूल्य भुगतान किया जाएगा।

ii. कंपनी अपने सदस्यों को दूध की खरीद के लिए उस क्षेत्र में प्रचलित कीमत और समय-समय पर तय किए गए अन्य मानदंडों के आधार पर अलग-अलग कीमत का भुगतान कर सकती है।

iii. किसी सदस्य को समय-समय पर निर्धारित देय मूल्य का एक हिस्सा प्रारंभ में प्राप्त हो सकता है और रोके गए मूल्य को बाद में नकद, वस्तु के रूप में या इक्विटी शेयरों के आवंटन द्वारा, वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी को आपूर्ति किए गए दूध के अनुपात में या अन्यथा, बोर्ड द्वारा निर्धारित सीमा तक, इस प्रकार से और ऐसी शर्तों के अधीन वितरित किया जा सकता है।

अन्य भुगतान:

iv. कंपनी ऐसे सदस्यों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान कर सकती है जिनमें ऐसे गुण हों, ऐसी सीमा तक, ऐसे तरीके से और ऐसी शर्तों के अधीन जैसा कि बोर्ड द्वारा तय किया जा सकता है।

(4) <u>मौजूदा अनुच्छेद 9.6 i. में परिवर्तन/संशोधन किया जाएगा और इसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:</u>

9.6 i. कंपनी की प्रत्येक वार्षिक आम *सभा* में कुल निर्वाचित निदेशकों में से एक चौथाई निदेशक बारी-बारी से सेवानिवृत्त होंगे और बारी-बारी से सेवानिवृत्ति के कारण रिक्त हुए पद को अनुच्छेद 9.5 के अनुसार प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते हुए भरा जाएगा। प्रत्येक वार्षिक आम *सभा* में बारी-बारी से सेवानिवृत्त होने वाले निदेशक वे होंगे जिन्होंने पिछली वार्षिक आम *सभा* (एजीएम) में अपनी नियुक्ति के बाद से सबसे लंबे समय तक पद पर कार्य किया हो।जिन निदेशकों की नियुक्ति अंतिम बार एक ही वार्षिक आम सभा में हुई थी, उनमें से सेवानिवृत्त होने वाले निदेशक का निर्धारण लॉटरी द्वारा किया जाएगा।

(5) मौजूदा अनुच्छेद 9.6 iii में परिवर्तन/संशोधन किया जाए और इसे निम्नानुसार पढ़ा जाए:

नियमों के अनुसार सेवानिवृत्त होने वाला प्रत्येक निदेशक, निदेशक के रूप में पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होगा। हालांकि, कोई भी व्यक्ति लगातार दो कार्यकाल से अधिक

के लिए निदेशक के रूप में निर्वाचित/नियुक्त नहीं होगा।ऐसे निदेशक, निदेशक पद से हटने के तीन वर्ष बाद नियुक्ति के पात्र होंगे। अनुच्छेद 9.7 के अंतर्गत किसी निदेशक की नियुक्ति को इस अनुच्छेद के अंतर्गत कार्यकाल के रूप में नहीं गिना जाएगा।

(6) मौजूदा अनुच्छेद 9.16 में परिवर्तन/संशोधन किया जाए और इसे निम्नानुसार पढ़ा जाए:

9.16 निर्वाचित निदेशक कंपनी का सदस्य न रहने पर या कंपनी के अनुच्छेद 4.4 में उल्लिखित मतदान अधिकारों का प्रयोग करने के लिए अपात्र हो जाने पर अपना पद खो देगा। साथ ही, कोई सदस्य बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा या निदेशक का पद रिक्त हो जाएगा यदि:

(7) निम्नलिखित अनुच्छेद 9.16(xiv), 9.16(xv) और 9.16(xvi) को मौजूदा अनुच्छेद 9.16(xiii) के तुरंत बाद जोड़ा जाएगा:

9.16 xiv	वह वह व्यक्ति दिवालिया घोषित होने की प्रक्रिया से मुक्त नहीं हुआ है या उसने दिवालिया घोषित होने के लिए आवेदन किया है और ऐसा आवेदन लंबित है।
9.16 xv	उन्हें डीआईएन नंबर आवंटित नहीं किया गया है।
9.16 xvi	उसका या उसके किसी रिश्तेदार का कंपनी के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी वित्तीय संबंध या लेन-देन (सदस्यता लाभ को छोड़कर) रहा हो, जिसकी राशि कंपनी के कुल कारोबार या कुल आय के दो प्रतिशत या उससे अधिक या पच्चीस हजार रुपये या बोर्ड द्वारा निर्धारित ऐसी उच्च राशि, जो भी कम हो, के बराबर हो, पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान।

इसके अलावा यह भी संकल्प लिया गया किउपरोक्त परिवर्तनों से पहले कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा किए गए सभी कार्य, क्रियाएं, कृत्य और चीजें भी अनुमोदित की जाती हैं।

इसके अलावा यह भी संकल्प लिया गया कियह सभी पूर्व व्यवस्थाओं का स्थान लेता है।

यह भी संकल्प लिया गया किमुख्य कार्यकारी अधिकारी या कंपनी सचिव को इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए आवश्यक सभी कार्य, कृत्य, मामले और चीजें करने के लिए अधिकृत किया जाता है।

9. मुक्ता महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ("विलय करने वाली कंपनी") का मालव महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ("विलय की गई कंपनी") में विलय पर विचार करना और उसे मंजूरी देना

तथा यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित प्रस्ताव को संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

"यह संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 378ZN और अन्य लागू प्रावधानों तथा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ("एमओए") और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ("एओए") के सक्षम प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के सदस्यों की स्वीकृति से मुक्ता महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड (जिसे यहाँ "विलय करने वाली कंपनी" कहा गया है) का मालव महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड (जिसे यहाँ "विलय की गई कंपनी" कहा गया है) में विलय किया जाता है। प्रभावी तिथि से (अर्थात संकल्प पारित होने के एक महीने की समाप्ति तक या सभी सदस्यों और लेनदारों की सहमति प्राप्त होने तक, जो भी पहले हो), विलय करने वाली कंपनी (अपने सभी उपक्रमों और संपूर्ण व्यवसाय सहित) विलय की गई कंपनी में विलय हो जाएगी, हस्तांतरित हो जाएगी और उसमें निहित हो जाएगी या निहित मानी जाएगी, बिना किसी और कार्य, दस्तावेज, विलेख, मामले या वस्तु के, विलय की गई कंपनी द्वारा 1 जारी करने और आवंटित करने के बदले में। विलय करने वाली कंपनी के इक्विटी सदस्यों को, रिकॉर्ड तिथि पर विलय करने वाली कंपनी के सदस्यों द्वारा धारित प्रत्येक 1 (एक) पूर्णतः भुगतानित इक्विटी शेयर (जिसका अंकित मूल्य 100 (भारतीय रुपये सौ) प्रत्येक है) के बदले में, 100 (भारतीय रुपये सौ) के अंकित मूल्य वाला एक पूर्णतः भुगतानित इक्विटी शेयर सममूल्य पर प्रदान किया जाएगा (जिसे यहाँ "शेयर विनिमय अनुपात" कहा गया है), और विलय की गई कंपनी के साथ ऐसा विलय, हस्तांतरण और उसमें निहित होना (बिना किसी सीमा के) लागू सीमा तक शामिल होगा:

(a) संपत्तियां, जिनमें शामिल हैं: (i) सभी चल या अचल संपत्तियां और संपत्तियां, चाहे वे कब्जे में हों या प्रत्यावर्ती हों, मूर्त हों या अमूर्त, मूर्त हों या अमूर्त, वर्तमान हों या आकस्मिक, (ii) सभी संयंत्र और मशीनरी, अचल संपत्तियां, इन्वेंट्री, निर्माणाधीन कार्य, चालू संपत्तियां, कंप्यूटर और अन्य कंप्यूटर उपकरण और परिधीय उपकरण, बीमा पॉलिसियां और/या इसके कोई भी दावे, टेलीफोन और अन्य संचार सुविधाएं, कार्यालय उपकरण, प्रतिष्ठान, उपयोगिताएं और सेवा कनेक्शन, (iii) राज्य, केंद्र, नगरपालिका या किसी अन्य प्राधिकरण से प्राप्त रियायतें, छूट, उपाय, सब्सिडी, अनुदान, प्रोत्साहन, गारंटी, बांड, अधिकार और लाइसेंस, भंडार, प्रावधान, निधियां, पट्टे, लाइसेंस, पंजीकरण, प्रमाण पत्र, अनुमतियां, सहमति, अनुमोदन, जो उस समय लागू हों, (iv) किरायेदारी अधिकार, परिसर, किराया खरीद, ऋण व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था के लाभ, सुरक्षा अनुबंध, अनुबंध, विलेख, व्यवस्थाएं, वचनबद्धता ज्ञापन, प्रौद्योगिकी/तकनीकी समझौते, बांड, शक्तियां, प्राधिकरण, परमिट, आवंटन। विशेषाधिकार, स्वतंत्रताएँ, लाभ, सुगमताएँ और सभी अधिकार, स्वामित्व, हित, सद्भावना, गैर-प्रतिस्पर्धा शुल्क, लाभ और फायदा, (v) निवेश, प्राप्य राशियाँ, बयाना राशि, धन के बदले भुगतान, विरोध राशि, ऋण, जमा राशि जिसमें सुरक्षा जमा शामिल हैं, और दिए गए अग्रिम, जिसमें बिना किसी सीमा के ब्याज या उस पर अर्जित कोई अन्य आय शामिल है, नकद,

बैंक शेष, खाते और सभी समझौतों के सभी अन्य अधिकार, लाभ, (vi) कर और अन्य क्रेडिट (आयकर, सीमा शुल्क, केंद्रीय मूल्य वर्धित कर, मूल्य वर्धित कर, वस्तु एवं सेवा कर, केंद्रीय बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, अग्रिम कर, स्व-मूल्यांकन कर, विदेशी कर क्रेडिट, समतुल्यीकरण शुल्क, न्यूनतम वैकल्पिक कर यानी बही लाभ पर कर, स्रोत पर कटौती, स्रोत पर एकत्र कर, आदि के संबंध में क्रेडिट सहित, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं), किसी भी कर, शुल्क, उपकर या अन्य प्रभार की वापसी (प्रतिदेयता के रूप में दावा की गई सभी राशियाँ सहित, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं, चाहे वे लेखा पुस्तकों में दर्ज हों या नहीं), (vii) सभी लेखा पुस्तकें, दस्तावेज और अभिलेख। किसी भी प्रकार की और कहीं भी स्थित कोई भी वस्तु जो विलय करने वाली कंपनी की हो, उसके कब्जे में हो, उसके पक्ष में प्रदान की गई हो या उसके द्वारा उपयोग की जाती हो (जिसे यहां "संपत्ति" कहा गया है);

(b) सभी परमिट, अधिकार, हक, लाइसेंस,अनापत्ति प्रमाण पत्रविलय करने वाली कंपनी के किसी भी सरकारी प्राधिकरण या किसी भी व्यक्ति से प्राप्त पंजीकरण, सहमति, अनुमोदन, अनुदान, आवंटन, अनुशंसा, मंजूरी और किरायेदारी;

(c) विलय करने वाली कंपनी के सभी अनुबंधों, समझौतों, खरीद और बिक्री आदेशों, समझौता ज्ञापनों, बोलियों, निविदाओं, रुचि की अभिव्यक्तियों, आशय पत्रों, प्रतिबद्धताओं, उपक्रमों, विलेखों, बांडों, किसी भी प्रकार की व्यवस्थाओं और किसी भी प्रकृति और विवरण के अन्य दस्तावेजों के सभी विशेषाधिकार और लाभ, चाहे वे लिखित, मौखिक या अन्यथा हों, और अन्य सभी अधिकार जिनमें बिना किसी सीमा के पट्टे के अधिकार, लाइसेंस और हर प्रकार और विवरण की सुविधाएं शामिल हैं;

(d) विलय करने वाली कंपनी द्वारा कर, शुल्क, उपकर या अन्य प्रभार की किसी भी वापसी के संबंध में, जिसमें विलय करने वाली कंपनी द्वारा किया गया कोई भी गलत या अधिक भुगतान और उस पर कोई भी ब्याज शामिल है, किसी भी ऐसे दावे का अधिकार जो प्रस्तुत नहीं किया गया हो या किया गया हो, और आयकर अधिनियम या अन्य देशों के कराधान कानूनों के तहत सेट-ऑफ, अनअवशोषित हानियों और/या अनअवशोषित मूल्यह्रास, आस्थगित राजस्व व्यय, कटौती, छूट, रिबेट, भत्ता, परिशोधन लाभ आदि के संबंध में, या उक्त क़ानून(नों) के तहत या किसी अन्य कानून या क़ानून के तहत और उसके अनुसार किसी अन्य या समान लाभों के संबंध में।

(e) विलय करने वाली कंपनी के सभी ऋण (सुरक्षित और असुरक्षित), देनदारियां जिनमें आकस्मिक देनदारियां, शुल्क, पट्टे, निर्यात दायित्व और किसी भी प्रकार, प्रकृति और विवरण के अन्य सभी

दायित्व शामिल हैं। बशर्ते कि, विलय करने वाली कंपनी द्वारा किए गए सुरक्षा दस्तावेजों या व्यवस्थाओं में, जिनके तहत विलय करने वाली प्रत्येक कंपनी की संपत्तियां या परिसंपत्तियां किसी वित्तीय सहायता या दायित्व के लिए सुरक्षा के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं, उक्त संदर्भ को केवल विलय करने वाली कंपनी के उस उपक्रम से संबंधित परिसंपत्तियों या परिसंपत्तियों के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा जो संकल्प के आधार पर विलय की गई कंपनी में निहित हैं और संकल्प विलय करने वाली कंपनी द्वारा बनाए गए किसी भी ऋण, जमा या सुविधा के लिए सुरक्षा बढ़ाने के लिए लागू नहीं होगा जो विलय के आधार पर विलय की गई कंपनी में निहित हो जाएगी और विलय के प्रभावी होने के बाद विलय की गई कंपनी इसके लिए कोई और अतिरिक्त सुरक्षा बनाने के लिए बाध्य नहीं होगी;

(f) अन्य सभी प्रकार के दायित्व, जिनमें विलय करने वाली कंपनी के दायित्व भी शामिल हैं;

(g) विलय करने वाली कंपनी से संबंधित कर, अपील, अर्ध-न्यायिक, मध्यस्थता, प्रशासनिक या अन्य सभी प्रकार की कानूनी कार्यवाही; और

(h) विलय करने वाली कंपनी द्वारा प्रभावी तिथि पर विभिन्न स्थानों पर नियोजित सभी कर्मचारी (जिनमें ऐसे कर्मचारियों के संबंध में कर्मचारी लाभों में विलय करने वाली कंपनी का योगदान भी शामिल है)।

उपरोक्त बातों पर बिना किसी सीमा के, यह इरादा है कि उपरोक्त विलय से विलय करने वाली कंपनी की सभी संपत्ति, परिसंपत्तियां, अधिकार, अनुदान, दावे, कर्तव्य, दायित्व, हकदारी, बौद्धिक संपदा अधिकार, लाभ, प्रोत्साहन, कर्मचारी, देनदारियां आदि का विलय की गई कंपनी में इस प्रस्ताव के अनुसार और नीचे दिए गए विवरण के अनुसार हस्तांतरण संभव हो सकेगा:

1. परिसंपत्तियों का हस्तांतरण

1.1. उपरोक्त के प्रतिकूल न होते हुए, (i) विलय करने वाली कंपनी की ऐसी संपत्तियां जो चल प्रकृति की हों या अमूर्त संपत्ति हों या अन्यथा हस्तलिखित या सांकेतिक सुपुर्दगी या पृष्ठांकन और सुपुर्दगी द्वारा हस्तांतरित की जा सकती हों, वे विलय की गई कंपनी को हस्तांतरित कर दी जाएंगी और ऐसे हस्तांतरण पर विलय की गई कंपनी की अभिन्न संपत्ति बन जाएंगी, (ii) विलय करने वाली कंपनी की सभी अचल संपत्ति (भूमि, भवन और कोई अन्य अचल संपत्ति सहित), यदि कोई हो, चाहे वह मुक्तधार हो या पट्टेदारी, और उससे संबंधित स्वामित्व, अधिकार और सुगमता के कोई भी दस्तावेज, विलय की गई कंपनी को हस्तांतरित और निहित हो जाएंगे, या हस्तांतरित और निहित माने जाएंगे,

और ऐसे हस्तांतरण पर वे विलय की गई कंपनी की अभिन्न संपत्ति बन जाएंगे, और (iii) उपरोक्त संदर्भित संपत्तियों के अलावा अन्य संपत्तियां, जिनमें विविध देनदार, निवेश, बकाया ऋण, जमा और अग्रिम, यदि कोई हो, नकद या वस्तु के रूप में या प्राप्त होने वाले मूल्य के लिए वसूली योग्य, सरकार, स्थानीय और अन्य प्राधिकरणों और निकायों के पास बैंक शेष, यदि कोई हो, शामिल हैं। ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं या अन्य व्यक्तियों के अधिकार विलयित कंपनी को हस्तांतरित और निहित हो जाएंगे और/या हस्तांतरित और निहित माने जाएंगे; बिना किसी अन्य कार्य, दस्तावेज या विलेख के, और इस प्रस्ताव के प्रभावी होने के बाद।

1.2. अधिनियम की धारा 378ZN के तहत पारित संकल्प को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से, परिसंपत्तियों, संपत्तियों और अधिकारों के संबंध में, यदि कोई हो, जिनके लिए किसी कानून या अन्यथा के तहत, अलग-अलग दस्तावेजों, विलेखों या हस्तांतरण समझौतों की आवश्यकता होती है, जिसमें अटॉर्नमेंट या पृष्ठांकन के लिए दस्तावेज भी शामिल हैं, जैसा भी मामला हो, विलयित कंपनी आवश्यकतानुसार आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादित करेगी, ताकि उत्परिवर्तन को सुचारू रूप से पूरा किया जा सके और यह इस संकल्प का अभिन्न अंग होगा।

1.3. प्रभावी तिथि से, विलय करने वाली कंपनी की अचल संपत्ति का स्वामित्व, यदि कोई हो, विलय करने वाली कंपनी के नाम पर परिवर्तित और मान्यता प्राप्त माना जाएगा, और इस प्रस्ताव को उपयुक्त रजिस्ट्रार और उप-रजिस्ट्रार के कार्यालय में दाखिल करना विलय की गई कंपनी के ऐसी अचल संपत्तियों पर स्वामित्व के अभिलेख के रूप में पर्याप्त होगा।

1.4. विलय करने वाली कंपनी की सभी संपत्तियां, चाहे वे विलय करने वाली कंपनी की पुस्तकों में दर्ज हों या नहीं, किसी अन्य कार्य, दस्तावेज या विलेख के बिना, अधिनियम की धारा 378ZN के प्रावधानों के अनुसार संकल्प के प्रभावी होने पर विलय की गई कंपनी को हस्तांतरित हो जाएंगी और उसमें निहित हो जाएंगी तथा हस्तांतरित और उसमें निहित मानी जाएंगी, बशर्ते कि विलय करने वाली कंपनी द्वारा संकल्प दाखिल करने की तिथि के बाद विलय की गई कंपनी के निदेशक मंडल की पूर्व लिखित सहमति के बिना कोई भी भारित संपत्ति अधिग्रहित नहीं की गई हो।

1.5. केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय, या किसी अन्य विभाग, निकाय, उपक्रम,

एजेंसी, फाउंडेशन, संगठन आदि द्वारा प्रदत्त सभी अनुदान (चाहे एकमुश्त हों या आवर्ती), साथ ही सभी किश्तें, किश्तें, निकासी, संवितरण, मौद्रिक या गैर-मौद्रिक; चाहे स्वीकृत हों, आवेदन किए गए हों, दावा किए गए हों, प्राप्त हुए हों, आदि) जिनके लिए विलय करने वाली कंपनी प्रभावी तिथि पर या भविष्य में किसी निर्धारित मानदंड या मापदंड की पूर्ति पर पात्र थी या है, विलय की गई कंपनी को हस्तांतरित और निहित हो जाएंगे और विलय की गई कंपनी पर उसी तरह और उसी प्रभाव से लागू रहेंगे, जैसे कि यह विलय न होने की स्थिति में विलय की गई कंपनी पर लागू होते, बिना किसी और कार्य, दस्तावेज या विलेख के।

2. देनदारियों का हस्तांतरण

2.1 प्रभावी तिथि से, विलय करने वाली कंपनी के सभी दायित्व, जिनमें सभी सुरक्षित और असुरक्षित ऋण, विविध लेनदार, दायित्व (आकस्मिक दायित्व और आस्थगित कर दायित्व सहित), कर्तव्य, गारंटी, क्षतिपूर्ति और दायित्व (कोई भी गारंटी, साख पत्र या कोई अन्य साधन या व्यवस्था जिससे किसी भी रूप में आकस्मिक दायित्व उत्पन्न हो सकता है) शामिल हैं, चाहे विलय करने वाली कंपनी के लेखा बही में उनका उल्लेख हो या न हो, हर प्रकार, प्रकृति और विवरण के हों और चाहे वे किसी भी तरह से उत्पन्न हुए हों, उठाए गए हों, खर्च किए गए हों या उसके व्यावसायिक गतिविधियों और संचालन के लिए उपयोग किए गए हों, इस संकल्प के अनुसार, अधिनियम की धारा 378ZN और अन्य लागू प्रावधानों (यदि कोई हो) के तहत प्रभावी होते हुए, बिना किसी और कार्य, साधन, विलेख, मामले या वस्तु के, विलय करने वाली कंपनी को हस्तांतरित और निहित हो जाएंगे या हस्तांतरित और निहित माने जाएंगे, साथ ही उन पर कोई भी प्रभार, भार, बंधक, ग्रहणाधिकार, गिरवी या सुरक्षा भी शामिल होगी, और विलय करने वाली कंपनी द्वारा उनका ग्रहण किया जाएगा। प्रभावी तिथि पर बकाया राशि के अनुसार, विलयित कंपनी की देनदारियां उसी शर्तों और नियमों पर लागू होंगी जो विलय करने वाली कंपनी पर लागू थे, और विलयित कंपनी इन शर्तों के अनुसार इनका भुगतान, निपटान और संतुष्टि करेगी, विलय प्रभावी होने के बाद विलयित कंपनी पर कोई अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने का दायित्व नहीं होगा। इसके अलावा, इस अनुच्छेद के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए किसी तीसरे पक्ष या अन्य व्यक्ति की सहमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा जो किसी ऐसे अनुबंध या व्यवस्था का पक्षकार हो जिसके तहत ऐसी देनदारियां उत्पन्न हुई हों।2.1.

हालांकि, विलयित कंपनी, इस अनुबंध के प्रभावी होने की तिथि के बाद किसी भी समय, यदि किसी कानून या अन्य किसी प्रावधान के तहत आवश्यक हो, तो लेनदारों या

ऋणदाताओं के पक्ष में, या उस अनुबंध या व्यवस्था के किसी अन्य पक्ष के पक्ष में, जिसमें विलय करने वाली कंपनी एक पक्ष है, पुष्टिकरण विलेख निष्पादित कर सकती है, या कोई भी लिखित दस्तावेज निष्पादित कर सकती है, जो यहां उल्लिखित प्रावधानों को औपचारिक रूप देने के लिए आवश्यक हो। विलयित कंपनी को इस संकल्प के प्रावधानों के तहत विलय करने वाली कंपनी की ओर से ऐसे किसी भी लिखित दस्तावेज को निष्पादित करने के साथ-साथ ऊपर उल्लिखित सभी औपचारिकताओं और अनुपालनों को लागू करने और पूरा करने के लिए अधिकृत माना जाएगा।

2.2 विलय करने वाली कंपनी और विलय की गई कंपनी के बीच देय कोई भी ऋण, अग्रिम और अन्य दायित्व (जिसमें कोई गारंटी, साख पत्र, आश्वासन पत्र या कोई अन्य साधन या व्यवस्था शामिल है जिससे किसी भी रूप में आकस्मिक देयता उत्पन्न हो सकती है), स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे और इस संबंध में किसी भी पक्ष पर कोई दायित्व नहीं होगा और विलय की गई कंपनी के खातों और अभिलेखों में उचित प्रभाव डाला जाएगा।

3. कानूनी कार्यवाही

3.1. यदि विलय करने वाली कंपनी के संबंध में या उससे संबंधित किसी भी प्रकार के कानूनी रूप से वैध, कार्रवाई योग्य और प्रवर्तनीय मुकदमे, कार्यवाही और कार्यवाही (जिसे यहां "कार्यवाही" कहा गया है) प्रभावी तिथि को लंबित हैं, तो वे संकल्प या संकल्प में निहित किसी भी बात के कारण समाप्त या बंद नहीं होंगी और न ही किसी भी तरह से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगी, बल्कि विलय की गई कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध कार्यवाही उसी प्रभावी ढंग से और उसी तरीके से और उसी सीमा तक जारी रखी जाएगी और लागू की जाएगी, जिस तरह से संकल्प के अभाव में विलय करने वाली कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रखी जाती और लागू की जा सकती थी।

4. कर्मचारी और अन्य कर्मी

4.1 विलय करने वाली कंपनी के सभी कर्मचारी (सचिवों और प्रबंधकों सहित), जो प्रभावी तिथि को सेवा में थे, प्रभावी तिथि से विलय की गई कंपनी के कर्मचारी बन जाएंगे, और उन्हें प्रभावी तिथि को लागू शर्तों और नियमों से कम अनुकूल शर्तें और नियम लागू नहीं होंगे।

4.2 प्रभावी तिथि से, कर्मचारियों की सेवाओं को सदस्यता के उद्देश्य से और विभिन्न निधियों (नीचे परिभाषित) के नियमों या उपनियमों के आवेदन के लिए बिना किसी रुकावट, विच्छेद या व्यवधान के निरंतर माना जाएगा।

4.3 यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाता है कि प्रभावी तिथि से, विलय करने वाली कंपनी के कर्मचारियों के लाभ के लिए सृजित या विद्यमान भविष्य निधि, ग्रेच्युटी निधि, सेवानिवृत्ति निधि, अवकाश शेष या कोई अन्य विशेष निधि या ट्रस्ट (यहाँ "निधि" के रूप में संदर्भित) ऐसे कर्मचारियों द्वारा किए गए सभी अंशदानों सहित, ब्याज/निवेश (जो स्थानांतरित कर्मचारियों से संबंधित और आबंटित हैं) के साथ, विलय करने वाली कंपनी की संबंधित निधियों में स्थानांतरित कर दिए जाएंगे और उनका समेकन किया जाएगा, उन शर्तों और नियमों पर जो विलय से ठीक पहले विलय करने वाली कंपनी के ऐसे कर्मचारियों पर लागू थे, बशर्ते कि लागू कानून (अर्थात् कोई भी कानून जिसमें दिशानिर्देश, निर्णय, अधिसूचनाएं, परिपत्र, आदेश, नियम, विनियम आदि शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, जो किसी व्यक्ति पर बाध्यकारी या लागू होते हैं, चाहे वह भारत में हो या भारत के बाहर) के तहत सभी नियामक/कानूनी आवश्यकताओं/अनुमोदनों का अनुपालन किया जाए, बिना किसी अन्य कार्य, दस्तावेज या विलेख के।

4.4 विलयित कंपनी उक्त निधियों में संबंधित ट्रस्ट विलेखों में दिए गए प्रावधानों के अनुसार अंशदान करने के लिए बाध्य होगी, ताकि विलय करने वाली कंपनी के ऐसे कोषों से संबंधित सभी अधिकार, कर्तव्य, शक्तियां और दायित्व विलयित कंपनी के हो जाएं। यह स्पष्ट किया जाता है कि कर्मचारियों की सेवाएं निधियों के प्रयोजन के लिए निरंतर मानी जाएंगी और तदनुसार, विलय करने वाली कंपनी द्वारा ऐसे कर्मचारियों की पूर्व सेवाओं को ध्यान में रखा जाएगा। विलय करने वाली कंपनी और विलयित कंपनी के संबंधित निदेशक मंडल द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति की तिथि से, विलय करने वाली कंपनी अपने कर्मचारियों के रोजगार की शर्तों और नियमों में सामान्य व्यावसायिक प्रक्रिया के अलावा कोई परिवर्तन नहीं करेगी। उपरोक्त के बावजूद, विलयित कंपनी का निदेशक मंडल, यदि वह उचित समझे और लागू कानूनों के अधीन रहते हुए, विलय करने वाली कंपनी के पूर्ववर्ती कोषों के लिए विलयित कंपनी के भीतर अलग ट्रस्ट बनाए रखने का हकदार होगा।

5. परमिट

5.1 सभी सरकारी स्वीकृतियाँ और अन्य सहमतियाँ, अनुमतियाँ, कोटा, अधिकार, प्राधिकरण, हक, आवंटन, रियायतें, छूट, पंजीकरण, अनापत्ति प्रमाण पत्र और लाइसेंस, जिनमें पर्यावरण संबंधी स्वीकृतियाँ, किरायेदारी, विशेषाधिकार, शक्तियाँ और हर प्रकार की सुविधाएँ शामिल हैं, जिनमें विलय करने वाली कंपनी एक पक्षकार है या जिनके लाभ के लिए विलय करने वाली कंपनी उपयोग करने की हकदार हो सकती है और जो विलय करने वाली कंपनी के संचालन के लिए आवश्यक हो सकती हैं, और जो प्रभावी तिथि से ठीक पहले विद्यमान

या प्रभावी हैं, विलय की गई कंपनी के पक्ष में पूर्ण रूप से लागू रहेंगी और प्रभावी बनी रहेंगी, और उन्हें उसी तरह पूर्ण और प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा जैसे कि विलय की गई कंपनी बिना किसी अतिरिक्त कार्य, दस्तावेज या विलेख के, उसमें एक पक्षकार, लाभार्थी या देनदार होती।

5.2 विलयित कंपनी, संकल्प के प्रभावी होने पर, स्वतः ही विलय करने वाली कंपनी के व्यवसाय का संचालन करने का अधिकार ग्रहण कर लेगी, जिसमें लागू कानून के तहत आवश्यक सभी अनुमोदन, सहमति, अनुमतियाँ, कोटा, अधिकार, प्राधिकरण, हकदारी, आवंटन, रियायतें, छूट, अनापत्ति प्रमाण पत्र, लाइसेंस, विशेषाधिकार, शक्तियाँ और किसी भी प्रकार की सुविधाएँ शामिल हैं, और इसके लिए विलयित कंपनी के नाम पर किसी और आवेदन या पुनः अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।

6. कर लगाना

6.1 यह प्रस्ताव आयकर अधिनियम की धारा 2(1बी) और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत प्रदान किए गए "विलय" से संबंधित शर्तों का पूर्ण अनुपालन करेगा, ताकि अन्य बातों के अलावा:

a) विलय से ठीक पहले विलय करने वाली कंपनी की सभी संपत्तियां, विलय के परिणामस्वरूप, विलय की गई कंपनी की संपत्तियां बन जाएंगी;

b) विलय से ठीक पहले विलय करने वाली कंपनी की सभी देनदारियां, विलय के कारण विलय की गई कंपनी की देनदारियां बन जाएंगी; और,

c) विलय करने वाली कंपनी में कम से कम तीन चौथाई मूल्य के शेयर रखने वाले सदस्य विलय के परिणामस्वरूप विलयित कंपनी के सदस्य बन जाएंगे।

6.2 यदि किसी भी समय, कानून में संशोधन के परिणामस्वरूप या किसी अन्य कारण से, इस प्रस्ताव के किसी भी प्रावधान को आयकर अधिनियम की धारा 2(1B) और 47 के प्रावधानों के साथ असंगत पाया जाता है या उसकी व्याख्या असंगत पाई जाती है, तो धारा 2(1B) और 47 के प्रावधान प्रभावी होंगे और पक्षकार सद्भावनापूर्वक इस प्रस्ताव को पारस्परिक रूप से संतोषजनक तरीके से संशोधित करने के लिए बातचीत करेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह प्रस्ताव उन प्रावधानों का अनुपालन करता है और यह प्रस्ताव उन प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए आवश्यक सीमा तक संशोधित माना जाएगा। हालांकि, इस प्रकार के संशोधन से प्रस्ताव के अन्य भागों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

6.3 संकल्प के प्रभावी होने पर, विलय करने वाली कंपनी और विलय की गई कंपनी को आयकर अधिनियम, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 और अन्य कर कानूनों के तहत निर्धारित प्रपत्रों, दाखिलियों और अनुलग्नकों के साथ अपने-अपने वित्तीय विवरणों और रिटर्न को संशोधित करने और भुगतान किए गए करों (जिसमें स्रोत पर काटा गया कर, स्रोत पर एकत्र किया गया कर आदि शामिल हैं) के लिए धनवापसी और/या क्रेडिट का दावा करने और संकल्प के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए, यदि आवश्यक हो, तो उससे संबंधित मामलों के लिए स्पष्ट रूप से अनुमति दी जाती है।

6.4 उपरोक्त कथन की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विलय करने वाली कंपनी को लागू कानूनों के अनुसार प्राप्त सभी लाभ, प्रोत्साहन, हानियाँ और क्रेडिट (जिनमें आयकर, स्रोत पर कटौती, स्रोत पर वसूली, वस्तु एवं सेवा कर आदि शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं) इस प्रस्ताव के प्रभावी होने पर विलय की गई कंपनी को प्राप्त होंगे और उसमें निहित हो जाएंगे। यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया जाता है कि प्रभावी तिथि से, विलय की गई कंपनी द्वारा देय सभी करों को विलय की गई कंपनी की कर देयता माना जाएगा। प्रभावी तिथि को या उसके बाद विलय करने वाली कंपनियों द्वारा किसी भी लागू कानून के तहत किए गए सभी अनुपालनों को विलय की गई कंपनी द्वारा किया गया माना जाएगा।

6.5 इसके अतिरिक्त, विलय करने वाली कंपनी को अन्यथा स्वीकार्य सभी कटौतियाँ और छूटें, जिनमें वास्तविक भुगतान पर स्वीकार्य भुगतान, उचित करों की कटौती या स्रोत पर काटे गए कर के भुगतान पर स्वीकार्य भुगतान शामिल हैं, आयकर अधिनियम के तहत लागू शर्तों की पूर्ति पर विलय की गई कंपनी के लिए कटौती या छूट के पात्र होंगे।

7. समझौते, अनुबंध और विलेख

7.1 प्रभावी तिथि से और इस संकल्प में निहित अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए, वे सभी अनुबंध, विलेख, बांड, समझौते, व्यवस्थाएं, आश्वासन और अन्य सभी प्रकार के दस्तावेज जिनमें विलय करने वाली कंपनी एक पक्ष है या जिनके लाभ के लिए विलय करने वाली कंपनी पात्र हो सकती है, और जो प्रभावी तिथि से ठीक पहले विद्यमान या प्रभावी थे, विलय की गई कंपनी पर पूर्ण रूप से लागू होंगे और उस पर बाध्यकारी होंगे तथा उसी प्रकार पूर्ण और प्रभावी रूप से लागू किए जाएंगे जैसे कि विलय करने वाली कंपनी के स्थान पर विलय की गई कंपनी ही उसकी पक्षकार होती, बिना किसी अतिरिक्त कार्य, दस्तावेज या विलेख के।

7.2 पैराग्राफ में दिए गए प्रावधान के अनुसार7.1उपरोक्त, किसी भी पक्ष के साथ सभी समझौते और अनुबंध जो प्रभावी तिथि पर लागू हैं, विलयित कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध ऐसे पक्षों के साथ लागू रहेंगे और इसलिए, कोई भी समझौता संशोधित, निरस्त या समाप्त नहीं किया जाएगा, जिसके लिए अन्यथा अधिनियम की धारा 378ZN(8)(ई) के अनुसार किसी पूर्व सूचना या सहमति की आवश्यकता होगी।

7.3 इस प्रस्ताव के अन्य प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और इस तथ्य के बावजूद कि उपक्रम का स्वामित्व इस प्रस्ताव के माध्यम से ही निहित हो जाता है, विलयित कंपनी, यदि किसी कानून या अन्य किसी प्रावधान के तहत आवश्यक हो, तो विलेख, लिखित दस्तावेज या पुष्टिकरण में प्रवेश कर सकती है और/या जारी कर सकती है और/या निष्पादित कर सकती है, या किसी भी त्रिपक्षीय व्यवस्था, पुष्टिकरण या नवीकरण में प्रवेश कर सकती है, जिसमें विलय करने वाली कंपनी भी, यदि आवश्यक हो, इस प्रस्ताव के प्रावधानों को औपचारिक रूप से प्रभावी बनाने के लिए पक्षकार होगी। इसके अतिरिक्त, विलयित कंपनी को विलय करने वाली कंपनी की ओर से ऐसे किसी भी विलेख, लिखित दस्तावेज या पुष्टिकरण को निष्पादित करने और प्रस्ताव के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए विलय करने वाली कंपनी की ओर से आवश्यक सभी औपचारिकताओं को लागू करने या पूरा करने के लिए अधिकृत माना जाएगा।

7.4 अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुपालन या अन्य किसी भी मामले में विलय करने वाली कंपनी के सभी अधिकार विलय की गई कंपनी में निहित होंगे। विलय की गई कंपनी द्वारा सभी आवश्यक कॉर्पोरेट स्वीकृतियाँ और अनुपालन प्राप्त/अनुपालन किए गए माने जाएँगे।

7.5 विलयित कंपनी, विलय करने वाली कंपनी के संबंध में जारी की गई सभी बीमा पॉलिसियों का लाभ उठाने की हकदार होगी और पॉलिसियों में "बीमाधारक" के रूप में विलयित कंपनी का नाम इस प्रकार प्रतिस्थापित किया जाएगा जैसे कि विलयित कंपनी प्रारंभ में ही उसमें एक पक्षकार थी।

7.6 विलय प्रभावी होने के बाद, विलयित कंपनी का बोर्ड प्राथमिक शासी निकाय के रूप में कार्य करता रहेगा, और उसके पास सभी शक्तियां, कर्तव्य और जिम्मेदारियां बनी रहेंगी। विलय करने वाली कंपनी का बोर्ड बिना किसी अतिरिक्त कार्रवाई या विलेख के स्वतः भंग

हो जाएगा, क्योंकि विलय करने वाली कंपनी का अस्तित्व समामेलन के बाद समाप्त हो जाएगा। विलय करने वाली कंपनी के बोर्ड में पूर्व में निहित सभी अधिकार, दायित्व और प्राधिकार विलयित कंपनी के बोर्ड को हस्तांतरित कर दिए जाएंगे और वे उनका प्रयोग करेंगे।.

7.7 इस प्रस्ताव के पारित होने की तिथि से तीन महीने पहले तक विलय करने वाली कंपनी या विलय की गई कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध किसी भी संपत्ति से संबंधित किसी भी हस्तांतरण, माल की सुपुर्दगी, भुगतान, निष्पादन या अन्य कार्य को रद्द करने का कोई उदाहरण नहीं है, जिसे यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध किया जाता, तो उसे उसका अपना कार्य माना जाता।दिवालियापन को कपटपूर्ण वरीयता माना जाएगा।

8. सोच-विचार

8.1 संकल्प के प्रभावी होने पर और विलय के विचार में यदि कंपनी का विलय हो जाता है, तो विलय की गई कंपनी बिना किसी और आवेदन, कार्य, विलेख, सहमति या दस्तावेज के इक्विटी शेयर जारी और आवंटित करेगी।विलय करने वाली कंपनी के उन सदस्यों को, जिनके पास विलय करने वाली कंपनी के पूर्णतः भुगतान किए गए इक्विटी शेयर हैं और जिनके नाम रिकॉर्ड तिथि (अर्थात प्रभावी तिथि) को विलय करने वाली कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज हैं, या उनके संबंधित उत्तराधिकारियों, निष्पादकों, प्रशासकों या अन्य कानूनी प्रतिनिधियों या अन्य उत्तराधिकारियों को, जिन्हें विलय करने वाली कंपनी/विलय की गई कंपनी के बोर्ड द्वारा शेयर विनिमय अनुपात के अनुसार मान्यता दी जा सकती है, नीचे दर्शाई गई सीमा तक पूर्णतः भुगतान किए गए शेयरों के रूप में क्रेडिट किया जाएगा।

8.2 उपर्युक्त शेयर विनिमय अनुपात को दोनों कंपनियों के निदेशक मंडल द्वारा शेयर विनिमय अनुपात के निर्धारण के लिए प्राप्त मूल्यांकन रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है और अनुमोदित कर दिया गया है।

8.3 विलयित कंपनी के इक्विटी शेयरों का उक्त निर्गमन विलयित कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के प्रावधानों के अधीन होगा, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है, और लाभांश, बोनस, मतदान अधिकार और विलयित कंपनी के इक्विटी शेयरों से जुड़े अन्य कॉर्पोरेट लाभों सहित सभी मामलों में विलयित कंपनी के मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ समान दर्जा रखेगा।

8.4 विलयित कंपनी के सदस्यों द्वारा इस प्रस्ताव की स्वीकृति को अधिनियम की धारा 42, 47, 62, 378F और 378H तथा अन्य प्रासंगिक एवं लागू प्रावधानों के अनुपालन में माना जाएगा, जो विलयित कंपनी द्वारा इक्विटी शेयरों के निर्गमन और आवंटन तथा इस प्रस्ताव में दिए गए प्रावधान के अनुसार मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में संशोधन से संबंधित हैं। विलयित कंपनी को धारा 42, 47, 62, 378F और 378H तथा अधिनियम की धारा 42, 47, 62, 378F और 378H तथा अन्य लागू प्रावधानों के तहत कोई और प्रस्ताव या कार्रवाई, जिसमें किसी भी प्रक्रियात्मक आवश्यकता का अनुपालन शामिल है, करने की आवश्यकता नहीं होगी।

8.5 पैराग्राफ में उल्लिखित विचार के अतिरिक्त8.1उपरोक्त के अनुसार, विलयित कंपनी किसी भी अन्य शेयर, डिबेंचर, प्रतिभूति या किसी अन्य प्रकार के प्रतिफल को जारी, आवंटित या विनियोजित नहीं करेगी।.

9. असंतुष्ट सदस्यों या लेनदारों के लिए तंत्र

9.1. अधिनियम की धारा 378ZN(5) के प्रावधानों के अनुसार, प्रस्तावित संकल्प पर सहमति न देने वाला कोई भी सदस्य या लेनदार शेयरधारकों को नोटिस दिए जाने की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर निम्नलिखित विकल्प का प्रयोग कर सकता है -

(a) किसी सदस्य के मामले में - निदेशक मंडल की स्वीकृति से अपने शेयरों को किसी सक्रिय सदस्य को हस्तांतरित करना, जिससे वह कंपनी का सदस्य नहीं रह जाएगा; और

(b) किसी लेनदार के मामले में - उसकी जमा राशि, ऋण या अग्रिम राशि, जैसा भी मामला हो, वापस लेने के लिए।

9.2. ऐसे मामले में जहां के अंतर्गत9.10यदि उपर्युक्त स्थिति में कोई सक्रिय सदस्य असंतुष्ट सदस्य से शेयर खरीदने का इच्छुक नहीं है, तो कंपनी स्वयं उन शेयरों को खरीदने की व्यवस्था करेगी और रद्द या सरेंडर किए गए प्रत्येक शेयर के लिए 100 रुपये का अंकित मूल्य अदा करेगी। यदि कंपनी द्वारा कोई शेयर खरीदे जाते हैं, तो इससे कंपनी की शेयर पूंजी में उस अनुपात में कमी आएगी।

9.3. असंतुष्ट सदस्य के शेयरों को खरीदने के लिए एक सक्रिय सदस्य को खोजने से संबंधित

प्रक्रिया, और यदि कोई सक्रिय सदस्य शेयर खरीदना नहीं चाहता है, तो कंपनी द्वारा स्वयं शेयरों की खरीद इस प्रस्ताव के प्रभावी होने की तिथि से पहले पूरी कर ली जाएगी, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि लेनदेन उस तिथि से पहले संपन्न हो जाए।

9.4. अधिनियम की धारा 378ZN(6) के अनुसार, यदि कोई सदस्य जिसने उपर्युक्त समय अवधि के भीतर अपने शेयरों को ऊपर बताए अनुसार हस्तांतरित करने का विकल्प नहीं चुना है, तो सदस्य को प्रस्तावित विलय के लिए सहमति दे दी गई मानी जाएगी।

9.5. कंपनी और उसके निदेशक मंडल तथा अन्य अधिकारी उपरोक्त व्यवस्था के प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक कदम और कार्रवाई करेंगे।

10. भविष्य में विलय की गई कंपनी के कामकाज का संचालन

विलय करने वाली कंपनी और विलय की गई कंपनी दोनों एक ही प्रकार के व्यवसाय में लगी हुई हैं, अर्थात् अपने-अपने सदस्यों और अन्य लोगों से दूध और दूध उत्पादों का संग्रहण, क्रय और प्रसंस्करण तथा उनका विपणन। दोनों कंपनियों के व्यापक व्यावसायिक संचालन निम्नलिखित हैं और आगे भी इसी प्रकार रहेंगे:

- पशुओं का दुहने और दूध उत्पादन के कार्य में लगी महिलाएं ("महिला") कंपनी की सदस्य के रूप में नामांकित हैं;
- इस प्रकार की महिला दूध उत्पादक कंपनियां निर्धारित संग्रहण केंद्रों के माध्यम से नियमित रूप से कंपनी को दूध की आपूर्ति करती हैं;
- कंपनी विभिन्न महिला दुग्ध उत्पादकों से दूध एकत्र करती है, उसे ठंडा करके एकत्रित करती है और थोक में बाजार में बेचती है।

विलय प्रभावी होने पर, विलयित कंपनी दोनों कंपनियों की संयुक्त शक्ति, बुनियादी ढांचे और सदस्य आधार के साथ वर्तमान स्वरूप में अपना व्यवसाय जारी रखेगी, जहां विलय करने वाली कंपनी के सदस्य विलयित कंपनी के सदस्य बन जाएंगे और विलयित कंपनी को दूध की आपूर्ति करेंगे। विलयित इकाई वित्तीय वर्ष 2026-27 तक लगभग 950 गांवों, 35,000 सदस्यों को कवर करते हुए और प्रतिदिन लगभग 65,000 लीटर दूध की खरीद करते हुए अपनी भौगोलिक उपस्थिति का उल्लेखनीय विस्तार करेगी, जबकि अतिरिक्त जिलों में परिचालन बढ़ाने और 10 लाख डॉलर से अधिक का कारोबार करने का लक्ष्य रखेगी।₹300 करोड़ रुपये का यह विलय पशु चिकित्सा सेवाओं, उन्नत पशुपालन पद्धतियों, शीतलन अवसंरचना, चारा विकास कार्यक्रमों और एक एकीकृत प्रबंधन संरचना के विस्तार

को भी सक्षम बनाएगा, जिसके परिणामस्वरूप परिचालन दक्षता में वृद्धि, सदस्य सेवाओं में सुधार, लागत में कमी और दीर्घकालिक विकास संभावनाओं को मजबूती मिलेगी।.

11. विलय के लिए लेखांकन प्रक्रिया

संकल्प के प्रभावी होने पर, विलयित कंपनी अधिनियम की धारा 133 के तहत अधिसूचित लागू लेखा मानकों और अधिनियम के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के साथ-साथ इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और भारत में आम तौर पर स्वीकृत अन्य लेखा सिद्धांतों में निर्धारित लेखांकन पद्धति के अनुसार अपने लेखा-पुस्तकों में विलय का लेखा-जोखा करेगी।

11.1. <u>विलय करने वाली कंपनी की पुस्तकों में लेखांकन प्रक्रिया:</u>

चूंकि विलय करने वाली कंपनी संकल्प के प्रभावी होने पर परिसमापन के बिना ही भंग हो जाएगी, इसलिए इस संकल्प के तहत विलय करने वाली कंपनी की पुस्तकों में कोई लेखांकन प्रक्रिया निर्धारित नहीं की जा रही है।

11.2. <u>विलयित कंपनी की पुस्तकों में लेखांकन प्रक्रिया:</u>

संकल्प में किसी अन्य बात के होते हुए भी, विलयित कंपनी, विलय करने वाली कंपनी के विलय का लेखा-जोखा, अधिनियम की धारा 133 के तहत अधिसूचित लेखा मानकों ("एएस") में निर्धारित हित एकीकरण पद्धति के अनुसार, कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2021 के तहत, समय-समय पर संशोधित किए जाने के अनुसार, अपने लेखा-पुस्तकों में इस प्रकार करेगी कि:

(a) दो स्वतंत्र संस्थाओं के विलय के पूरा होने के बाद, विलयित कंपनी इस संकल्प के अनुसार विलय करने वाली कंपनी की उन संपत्तियों और देनदारियों (यदि कोई हो) को, जो उसमें निहित हैं, विलय करने वाली कंपनी के वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए वहन मूल्यों पर दर्ज करेगी।

(b) विलय करने वाली कंपनी के भंडार की पहचान को संरक्षित रखा जाएगा और विलय की गई कंपनी विलय करने वाली कंपनी के भंडार को उसी रूप में और उसी वहन मूल्य पर दर्ज करेगी जैसा कि विलय करने वाली कंपनी के वित्तीय विवरणों में दिखाई देता है।

(c) विलय करने वाली कंपनी का विलय की गई कंपनी में विलय होने के बाद, विलय की गई कंपनी और विलय की गई कंपनी के बीच के सभी अंतर-कंपनी लेनदेन और अंतर-कंपनी शेष राशि, यदि कोई हो, जो विलय की गई कंपनी की पुस्तकों में दर्ज हैं, रद्द हो जाएंगी और इस संबंध में आगे कोई दायित्व नहीं रहेगा।

(d) पैरा के अनुसार विलय करने वाली कंपनी के सदस्यों को जारी किए गए विलयित कंपनी के इक्विटी शेयरों का अंकित मूल्य0इस राशि को विलयित कंपनी के बहीखातों में इक्विटी शेयर पूंजी खाते में जमा किया जाएगा। ऐसे इक्विटी शेयरों के निर्गमन पर प्राप्त शेयर प्रीमियम को, यदि कोई हो, तो विलयित कंपनी के बहीखातों में प्रतिभूति प्रीमियम खाते में जमा किया जाएगा।

(e) पैरा के प्रभाव में आने के बाद उत्पन्न होने वाला घाटा, यदि कोई हो।11.2(a)को11.20इसे विलयित कंपनी के वित्तीय विवरणों में 'विलय आरक्षित' खाते में समायोजित किया जाएगा। अनुच्छेद के प्रभाव को ध्यान में रखने के बाद उत्पन्न होने वाला अधिशेष, यदि कोई हो,11.2(a)को11.20उपलब्ध शेष राशि तक, इसे 'प्रतिभूति प्रीमियम' खाते के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा, और शेष राशि, यदि कोई हो, तो उसे विलयित कंपनी के वित्तीय विवरणों में संचित लाभ और हानि शेष के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।

(f) विलय करने वाली कंपनी और विलय की गई कंपनी के बीच लेखांकन नीतियों में किसी भी प्रकार के अंतर की स्थिति में, विलय की गई कंपनी द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीतियां ही मान्य होंगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरण सुसंगत लेखांकन नीतियों के आधार पर वित्तीय स्थिति को प्रतिबिंबित करते हैं।

12. विलय करने वाली कंपनी का विघटन

प्रस्ताव के प्रभावी होने पर, विलय करने वाली कंपनी निम्नलिखित कार्य करेगी:बिना किसी और कार्य, दस्तावेज या विलेख के,किसी संस्था को बंद किए बिना ही भंग किया जा रहा है।

13. अधिकृत शेयर पूंजी का हस्तांतरण और समेकन

13.1. संकल्प के अभिन्न अंग के रूप में और प्रभावी तिथि को संकल्प के लागू होने पर, विलय करने वाली कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी, जो कि 5,00,00,000 रुपये (पांच करोड़ भारतीय रुपये) है और जिसमें 100 रुपये (सौ भारतीय रुपये) के अंकित मूल्य वाले 5,00,000 (पांच लाख) इक्विटी शेयर शामिल हैं, विलय की गई कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी में समेकित, निहित और विलय हो जाएगी। उपरोक्त अनुसार विलय करने वाली कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी का विलय की गई कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी के साथ

समेकन करने पर विचार करने के बाद, विलय की गई कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी बढ़कर 15,00,00,000 (पंद्रह करोड़ भारतीय रुपये) हो जाएगी, जिसमें 100 (सौ भारतीय रुपये) के अंकित मूल्य वाले 15,00,000 (पंद्रह लाख) इक्विटी शेयर शामिल होंगे। विलय की गई कंपनी द्वारा कोई और कार्य, दस्तावेज या विलेख किए बिना, विलय करने वाली कंपनी द्वारा अपनी संबंधित अधिकृत शेयर पूंजी पर भुगतान किए गए शुल्क को विलय के बाद विलय की गई कंपनी द्वारा अपनी अधिकृत शेयर पूंजी पर देय किसी भी शुल्क के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा, और इस तरह की वृद्धि के संबंध में किसी भी अतिरिक्त शुल्क या स्टाम्प शुल्क के भुगतान के लिए विलय की गई कंपनी की देयता (i) संकल्प के प्रभावी होने के बाद विलय की गई कंपनी द्वारा अपनी बढ़ी हुई अधिकृत शेयर पूंजी पर देय शुल्क या स्टाम्प शुल्क, और (ii) विलय की गई कंपनी द्वारा समय-समय पर अपनी अधिकृत शेयर पूंजी पर भुगतान किए गए शुल्क या स्टाम्प शुल्क (यदि कोई हो) के बीच के अंतर तक सीमित होगी।समझौता ज्ञापन के खंड V। में अधिकृत शेयर पूंजी खंड को संशोधित किया जाएगा और इसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 15,00,00,000 रुपये (पंद्रह करोड़ रुपये मात्र) है, जो 100 रुपये (एक सौ रुपये प्रति शेयर) के 15,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित है।

13.2. धारा 378ZN और अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार बोर्ड तथा प्रत्येक पक्ष के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव के अनुमोदन पर, यह माना जाएगा कि विलय करने वाली कंपनी और विलय की गई कंपनी के बोर्ड तथा सदस्यों ने भी धारा 13, 61, 64, 378F, 378H और/या अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के किसी अन्य लागू प्रावधानों के तहत, जो भी लागू हों, विलय की गई कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी में उपरोक्त पुनर्वर्गीकरण, संशोधन और वृद्धि को प्रभावी करने के लिए अपनी सहमति दे दी है, और विलय करने वाली कंपनी या विलय की गई कंपनी को धारा 13, 61, 64, 378F, 378H और/या अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा आर्टिकल्स के किसी अन्य लागू प्रावधानों के तहत कोई और प्रस्ताव या कार्रवाई, जिसमें किसी भी प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का अनुपालन शामिल है, करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रस्ताव के प्रभावी होने पर, विलयित कंपनी, यदि आवश्यक हो, तो उपरोक्त पुनर्वर्गीकरण, संशोधन और विलयित कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि के संबंध में अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार सभी आवश्यक दस्तावेज/सूचनाएं कंपनी रजिस्ट्रार या किसी अन्य लागू सरकारी प्राधिकरण के पास इस प्रस्ताव में निर्धारित तरीके से दाखिल करेगी।

14. प्रस्ताव के अन्य प्रावधान

14.1. के लिएइस प्रस्ताव को या इसमें किए गए किसी भी संशोधन या परिवर्धन को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से, विलय करने वाली कंपनी और विलय की गई कंपनी के अधिकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) को सभी आवश्यक निर्देश देने का अधिकार है, जिनमें उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, संदेह या कठिनाई को हल करने या दूर करने के निर्देश भी शामिल हैं। ऐसे निर्धारण या निर्देश, जैसा भी मामला हो, सभी पक्षों पर उसी प्रकार बाध्यकारी होंगे जैसे कि वे इस प्रस्ताव में विशेष रूप से शामिल किए गए हों।

14.2. विलय करने वाली कंपनी की सभी पुस्तकें, अभिलेख, फाइलें, कागजात, डेटाबेस, कैटलॉग (यदि कोई हो), वर्तमान और पूर्व ग्राहकों की सूचियां और अन्य सभी पुस्तकें और अभिलेख, चाहे भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में हों, लागू कानूनों के तहत जहां तक संभव और अनुमत हो, विलय करने वाली कंपनी द्वारा विलय की गई कंपनी को सौंप दिए जाएंगे।

14.3. विलय करने वाली कंपनी की परिसंपत्तियों और देनदारियों का हस्तांतरण, कानूनी कार्यवाही का जारी रहना और उपरोक्त समझौतों, अनुबंधों और दस्तावेजों का प्रभावी होना, विलय करने वाली कंपनी द्वारा प्रभावी तिथि को या उससे पहले संपन्न किए गए किसी भी लेनदेन या कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगा, इस उद्देश्य और इरादे से कि विलय की गई कंपनी विलय करने वाली कंपनी द्वारा इस संबंध में किए गए और निष्पादित किए गए सभी कार्यों, कृत्यों और चीजों को स्वीकार करती है और अपनाती है, मानो वे उसकी ओर से किए गए और निष्पादित किए गए हों।

14.4. विलय करने वाली कंपनी और विलय की गई कंपनी, अधिनियम की धारा 378ZN और अन्य लागू प्रावधानों के तहत, संबंधित कंपनी रजिस्ट्रार ("आरओसी") को, जहां भी लागू हो, संयुक्त या अलग-अलग सूचना देंगी, जिसमें प्रभावी विलय, रजिस्टर से विलय करने वाली कंपनी का नाम हटाने, विलय करने वाली कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी का विलय की गई कंपनी में संयोजन और यदि आवश्यक हो तो अन्य मामलों का उल्लेख होगा।

14.5. विलय करने वाली कंपनी के यदि कोई प्रस्ताव प्रभावी तिथि को वैध और लागू हैं, तो वे विलय की गई कंपनी के प्रस्ताव के रूप में वैध और लागू बने रहेंगे और माने जाएंगे। यदि ऐसे किसी प्रस्ताव पर अधिनियम या किसी अन्य लागू प्रावधानों के तहत कोई ऊपरी मौद्रिक या अन्य सीमाएं लगाई गई हैं, तो उक्त सीमाएं जोड़ दी जाएंगी और विलय की

गई कंपनी में उक्त सीमाओं का कुल योग बनेंगी।

14.6. अधिनियम की लागू धारा के अनुसार विलयित कंपनी की उधार लेने की सीमा बिना किसी अन्य कार्य या विलेख के विलय करने वाली कंपनी की कुल देनदारियों (यदि कोई हो) के बराबर राशि से बढ़ जाएगी, जो इस प्रस्ताव के अनुसार विलयित कंपनी को हस्तांतरित की जा रही हैं, और विलयित कंपनी को इस संबंध में कोई नया प्रस्ताव पारित करने की आवश्यकता नहीं होगी।

14.7. विलय करने वाली कंपनी और विलय की गई कंपनी ने सामान्य व्यवसाय प्रक्रिया के तहत सभी करों और देय राशियों का विधिवत भुगतान कर दिया है। जैसा कि पैराग्राफ में उल्लेख किया गया है।6उपरोक्त संकल्प आयकर अधिनियम की धारा 2(1B) और 47 के अनुपालन में है, और इस संकल्प के परिणामस्वरूप विलय करने वाली कंपनी या विलयित कंपनी पर कोई कर दायित्व नहीं होगा। संकल्प से पहले की गई वार्ताओं और इस संकल्प के नियमों और प्रावधानों को लागू करने और इस संकल्प के अनुसरण में व्यवस्था को पूरा करने से संबंधित सभी लागतें, शुल्क, कर और व्यय, जिनमें किसी भी विलेख, दस्तावेज, प्रपत्र का स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क शामिल है, विलयित कंपनी द्वारा वहन और भुगतान किया जाएगा।

14.8. विलय में शामिल प्रत्येक कंपनी के सदस्यों की सहमति, अधिनियम के अनुसार, इस प्रस्ताव में निर्धारित सभी कार्यों को प्रभावी करने के लिए पर्याप्त मानी जाएगी और कंपनियों द्वारा अलग से कोई अतिरिक्त कार्रवाई की आवश्यकता नहीं होगी।

14.9. यदि इस प्रस्ताव का कोई भाग किसी भी कारण से, या सदस्यों, लेनदारों, वैधानिक नियामक प्राधिकरणों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण, या बोर्ड द्वारा उचित समझे जाने वाले किसी अन्य कारण से अमान्य, अप्रवर्तनीय या अव्यवहार्य पाया जाता है, तो संबंधित पक्षों के बोर्डों के निर्णय के अधीन रहते हुए, यह प्रस्ताव के अन्य भागों और/या प्रावधानों की वैधता या कार्यान्वयन को प्रभावित नहीं करेगा। संबंधित बोर्ड को प्रस्ताव के ऐसे भाग(नों) को अलग करने और शेष प्रस्ताव को ऐसे संशोधन के साथ लागू करने की सहमति देने का अधिकार होगा।

इसके अलावा यह भी संकल्प लिया गया है कि कंपनी के निदेशक मंडल को उपरोक्त संकल्प को प्रभावी बनाने और इन संकल्पों में निहित व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए, अपने पूर्ण विवेकाधिकार से, आवश्यक, वांछनीय, उचित या जरूरी समझे जाने वाले सभी कार्य, कृत्य, मामले और

चीजें करने के लिए अधिकृत किया जाता है, और इसके लिए कंपनी के शेयरधारकों या सदस्यों की कोई और स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसका उद्देश्य यह होगा कि शेयरधारकों या सदस्यों को उपरोक्त संकल्प और इस संकल्प के तहत स्पष्ट रूप से अपनी स्वीकृति दी हुई माना जाए। निदेशक मंडल को ऐसे और भी कार्य, दस्तावेज और लेखन निष्पादित करने, आवश्यक फाइलिंग करने और इन संकल्पों को प्रभावी बनाने और व्यवस्था को लागू करने के उद्देश्य से कोई भी या सभी गतिविधियां करने के लिए भी अधिकृत किया जाता है।

इसके अलावा यह भी संकल्प लिया गया कि निदेशक मंडल, इन प्रस्तावों को प्रभावी बनाने के लिए, यदि आवश्यक हो, तो अपने पूर्ण विवेकाधिकार से उचित, आवश्यक या वांछनीय समझे जाने पर, कंपनी के शेयरधारकों या सदस्यों से किसी और अनुमोदन के बिना, कंपनी के किसी भी निदेशक और/या अधिकारी को अपनी सभी या कोई भी शक्तियां सौंप सकता है।

इसके अलावा यह भी संकल्प लिया गया कि उपरोक्त प्रस्तावों की प्रतियां, जिन्हें कंपनी के किसी भी निदेशक द्वारा सत्य प्रमाणित किया गया हो, सभी संबंधित पक्षों को आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराई जाएं और उनसे उन पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाए।

10.दसवीं वार्षिक आम सभा (एजीएम) के लिए नामांकन समिति की सभा बुलाने और उसकी औपचारिक सिफारिश प्राप्त करने से छूट पर विचार करना और उसकी पुष्टि करना।

"यह संकल्प लिया गया कि नामांकन समिति के संबंध में 9वीं वार्षिक आम सभा (एजीएम) में सदस्यों द्वारा अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार, और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कंपनी के प्रस्तावित विलय के साथ-साथ 10वीं एजीएम के लिए बोर्ड में रिक्त पदों के लिए योग्य सदस्यों से कोई नामांकन प्राप्त नहीं हुआ है, नामांकन समिति की सभा आयोजित करने से छूट की पुष्टि और इस चुनाव चक्र के लिए बोर्ड को इसकी औपचारिक सिफारिश प्राप्त करने पर विचार किया जाता है, इसे अनुमोदित और पुष्टि की जाती है।

इसके अलावा यह भी संकल्प लिया गया कि कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को इस प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करने, सभी आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और ऐसे सभी कार्य, कृत्य और चीजें करने के लिए अधिकृत किया जाता है जो आवश्यक या उपयुक्त हो सकती हैं।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

दिनांक: 26 अगस्त, 2026
स्थान: ब्यावरा

रविंद्र सिंह
मुख्य कार्यकारी

नोट्स

1. वार्षिक आम सभा (एजीएम) में भाग लेने और मतदान करने का हकदार सदस्य स्वयं के स्थान पर किसी प्रतिनिधि को सभा में भाग लेने और हाथ उठाकर मतदान करने के लिए नियुक्त कर सकता है, और प्रतिनिधि का कंपनी का सदस्य होना अनिवार्य है। गैर-सदस्य को प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया जा सकता। प्रतिनिधि नियुक्ति का दस्तावेज, विधिवत भरा हुआ, मुहर लगा हुआ और हस्ताक्षरित होने पर, सभा के निर्धारित समय से कम से कम 48 घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए। एक खाली प्रतिनिधि प्रपत्र संलग्न है।

2. कंपनी में उसकी शेयरधारिता या संरक्षण की परवाह किए बिना, प्रत्येक सदस्य को केवल एक वोट देने का अधिकार होगा (हाथ उठाकर और मतदान द्वारा)।

3. इस सूचना के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न हैं:

i. निदेशक पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम, जिनमें प्रत्येक उम्मीदवार की योग्यता का विवरण शामिल है;

ii. 29 सितंबर, 2025 को आयोजित पिछली वार्षिक आम सभा का कार्यवृत्त।

iii. 31 मार्च, 2026 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित बैलेंस शीट और लाभ एवं हानि खाता, साथ ही निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों की रिपोर्टें इसके साथ संलग्न हैं।

iv. वित्तीय वर्ष 2026-2027 का बजट भी संलग्न है।

4. कंपनी के खातों या संचालन के बारे में जानकारी चाहने वाले या कोई प्रश्न पूछने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे सभा की दिनांक से कम से कम 7 दिन पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में कंपनी सचिव को अपनी जानकारी भेजें।

5. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने सभी पत्राचार में अपना फोलियो नंबर और सदस्य कोड अवश्य लिखें।

6. संलग्न नोटिस की मद संख्या 8 और 9 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को दर्शाने वाला स्पष्टीकरण पत्र इसके साथ संलग्न है।

7. साथ में संलग्न नोटिस और स्पष्टीकरण विवरण में उल्लिखित प्रासंगिक दस्तावेज कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सभी कार्यदिवसों पर सामान्य व्यावसायिक घंटों (11:00 बजे से 16:00 बजे के बीच) के दौरान सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे।

8. यदि बोर्ड द्वारा सभा में सीमित लाभांश (लाभांश) की घोषणा की जाती है, तो इसका भुगतान उन शेयरधारकों को किया जाएगा जिनके नाम 31 मार्च 2026 को कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में सदस्यों के रूप में दर्ज हैं।

9. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने पते में किसी भी परिवर्तन की सूचना पिन कोड और मोबाइल नंबर के साथ तुरंत कंपनी को दें।

10. सदस्यों से अनुरोध है कि वे ध्यान दें कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205ए/कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के अनुसार, घोषणा की तिथि से सात वर्षों के भीतर प्राप्त/दावा न किए गए लाभांश

को निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। आईईपीएफ में उक्त राशि के स्थानांतरण के बाद, इस संबंध में आईईपीएफ या कंपनी के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जा सकेगा।

11. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपनी पहचान के लिए कंपनी द्वारा जारी किया गया अपना पहचान पत्र एजीएम स्थल पर अवश्य लाएं।

12. एजीएम के आयोजन स्थल पर हथियार, आग्नेयास्त्र, गोला-बारूद, चाकू और धारदार उपकरण आदि प्रतिबंधित हैं।

13. वार्षिक आम सभा की सूचना के साथ एक मार्ग मानचित्र और प्रमुख स्थलों का विवरण संलग्न है, जिससे वार्षिक आम सभा के आयोजन स्थल तक आसानी से पहुंचा जा सके।

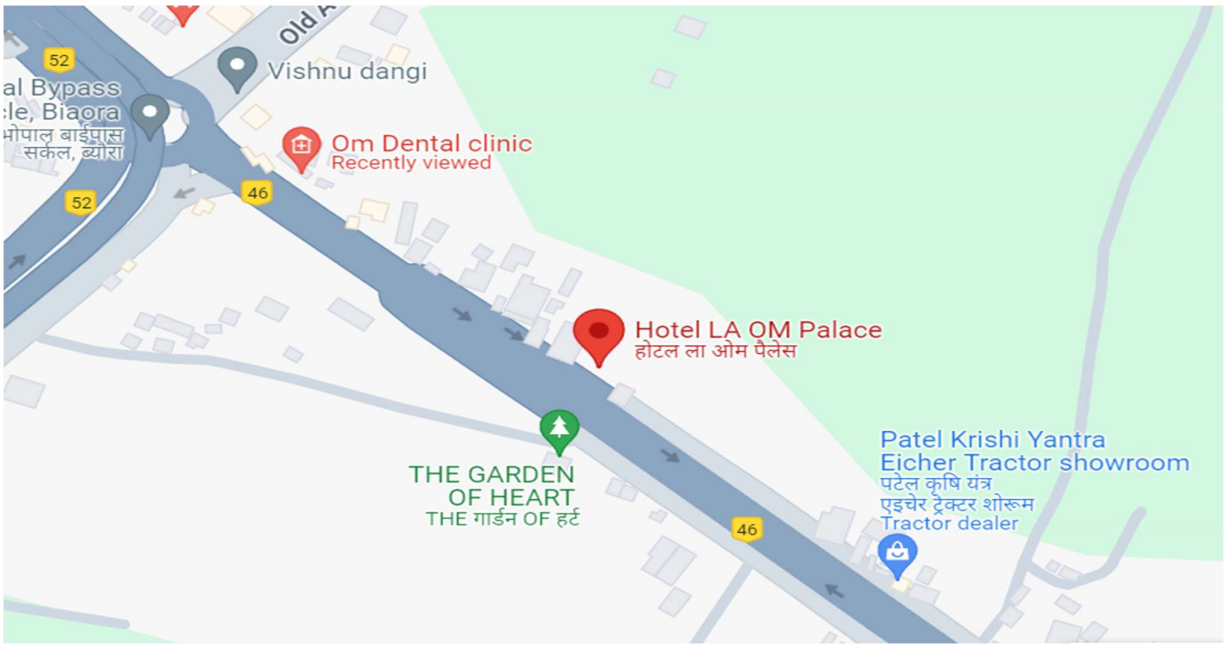

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

दिनांक: 26 अगस्त, 2026
स्थान: ब्यावरा

रविंद्र सिंह
मुख्य कार्यकारी

<u>व्याख्यात्मक कथन</u>

<u>आइटम नंबर 8</u>

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के साथ धारा 378-I के अनुसार) कंपनी के परिचालन संबंधी आवश्यकताओं, शासन प्रक्रियाओं और उत्पादक कंपनियों से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के आलोक में कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ("एओए") की समीक्षा की गई है। समीक्षा के आधार पर, शासन ढांचे को सुदृढ़ करने और प्रशासनिक दक्षता में सुधार करने के उद्देश्य से कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 4.3(iii), 4.4, 4.5, 9.6(i), 9.6(iii) और 9.16 में कुछ संशोधन प्रस्तावित हैं। प्रस्तावित संशोधन मुख्य रूप से नोटिस जारी करने से संबंधित प्रावधानों को अद्यतन करने, अनावश्यक प्रावधानों को हटाने और अतिरिक्त शासन आवश्यकताओं को शामिल करके निदेशकों के लिए पात्रता और अयोग्यता मानदंडों को सुदृढ़ करने के लिए हैं। इन संशोधनों का उद्देश्य बेहतर शासन को बढ़ावा देना, आर्टिकल्स में स्पष्टता लाना, दोहराव को दूर करना, वैधानिक प्रावधानों के साथ संगति सुनिश्चित करना और उत्पादक सदस्यों के हितों की रक्षा करते हुए कंपनी के कुशल कामकाज को सुगम बनाना है।

प्रस्तावित संशोधनों सहित मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की एक प्रति सदस्यों द्वारा कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आज की दिनांक से लेकर सभा की दिनांक तक सभी कार्यदिवसों पर सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच निरीक्षण के लिए उपलब्ध है।

निदेशक मंडल संलग्न सूचना के मद संख्या 8 में उल्लिखित विशेष प्रस्ताव को सदस्यों की स्वीकृति के लिए अनुशंसित करता है।

कंपनी के किसी भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी या उनके रिश्तेदारों का इस प्रस्ताव से वित्तीय या अन्य किसी भी रूप में कोई संबंध या हित नहीं है, सिवाय कंपनी में उनकी हिस्सेदारी (यदि कोई हो) की सीमा तक।

<u>आइटम नंबर 9</u>

मुक्ता महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड (“विलय करने वाली कंपनी”) का मालव महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड (“विलयित कंपनी”) में विलय।

1. मुक्ता महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ("मुक्ता") के बारे में

(a) मुक्ता एक उत्पादक कंपनी है, जिसका गठन 1 अगस्त, 2017 को कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के प्रावधानों के तहत किया गया था। यह कंपनी मुख्य रूप से अपने सदस्यों और अन्य लोगों से प्राप्त दूध और दूध उत्पादों के संग्रहण, क्रय और प्रसंस्करण, विपणन तथा इससे संबंधित गतिविधियों में संलग्न है।

(b) मुक्ता का कॉर्पोरेट पहचान क्रमांक U01100MP2017PTC043863 है।

(c) का पंजीकृत कार्यालय एनआरटी बिजनेस कॉम्प्लेक्स, पहली मंजिल, मकरोनिया चौराहा, सागर, मध्य प्रदेश - 470 004, भारत में स्थित है।

(d) मुक्ता के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अनुसार, मुक्ता की मुख्य वस्तुएँ हैं:

1. सदस्यों और अन्य लोगों से प्राप्त दूध और दूध उत्पादों के संग्रहण, क्रय, प्रसंस्करण, विपणन और उससे संबंधित किसी भी गतिविधि के अंतर्गत आने वाली गतिविधियों में शामिल होना।

2. सदस्यों के लाभ के लिए दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु पशुपालन, चारा/पशु आहार, पशु चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में तकनीकी और प्रबंधकीय सेवाएं प्रदान करना या प्रदान करने की व्यवस्था करना।

3. सदस्यों के बीच पारस्परिकता और पारस्परिक सहायता के सिद्धांतों को बढ़ावा देने वाली शिक्षा, प्रशिक्षण और अन्य गतिविधियाँ प्रदान करना।

4. यह सुनिश्चित करना कि सदस्यों और अन्य लोगों से प्राप्त दूध की गुणवत्ता कंपनी और वैधानिक अधिकारियों द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।

5. सदस्यों और अन्य लोगों से प्राप्त प्राथमिक उत्पादों और उनके व्युत्पन्न उत्पादों, जिनमें खाद्य तेल, फल और सब्जियां शामिल हैं, की खरीद, उत्पादन, प्रसंस्करण, बिक्री, व्यापार, आयात, निर्यात आदि का व्यवसाय करना, उनका विपणन करना और उनसे संबंधित किसी भी गतिविधि के भाग के रूप में या उससे जुड़े कार्यों में शामिल होना।

6. सदस्यों को विभिन्न वित्तीय सेवाएं प्रदान करना।

(e) The धारा 11 और धारा 14मुक्ता के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्रमशः यह प्रावधान है कि इसकी वार्षिक आम सभा में प्रस्ताव पारित करके इसका समामेलन, विलय या विभाजन किया जा सकता है।

(f) 31 मार्च, 2026 को मुक्ता की अधिकृत, जारी और भुगतानित शेयर पूंजी निम्नानुसार है:

विवरण	**INR**
अधिकृत शेयर पूंजी	
100 रुपये प्रति शेयर के 5,00,000 इक्विटी शेयर	5,00,00,000
कुल	**5,00,00,000**
जारी और चुकता शेयर पूंजी	
100 रुपये प्रति शेयर के 2,65,750 इक्विटी शेयर	2,65,75,000
कुल	**2,65,75,000**

मुक्ता की चुकता शेयर पूंजी में परिवर्तन हुए हैं। 25 अगस्त, 2026 तक मुक्ता की अधिकृत, जारी और चुकता शेयर पूंजी निम्नानुसार है:

विवरण	INR
अधिकृत शेयर पूंजी	
100 रुपये प्रति शेयर के 5,00,000 इक्विटी शेयर	5,00,00,000
कुल	**5,00,00,000**
जारी और चुकता शेयर पूंजी	
262688 प्रत्येक 100 रुपये के इक्विटी शेयर	2,62,68,800
कुल	**2,62,68,800**

2. मालव महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ("मालव") के बारे में

(a) मालव एक उत्पादक कंपनी है, जिसे अधिनियम के प्रावधानों के तहत 18 अगस्त, 2017 को निगमित किया गया था। मालव मुख्य रूप से सदस्यों और अन्य लोगों से दूध और दूध उत्पादों के संग्रहण, खरीद, प्रसंस्करण, विपणन और इससे संबंधित गतिविधियों में संलग्न है।

(b) मालव का कॉर्पोरेट पहचान क्रमांक U01114MP2017PTC043970 है।

(c) मालव का पंजीकृत कार्यालय ओल्ड एबी रोड, प्रभात ब्रेड फैक्ट्री के पास, तलवारा, चंपापुरा, ब्यावरा, राजगढ़, मध्य प्रदेश - 465 674, भारत में स्थित है।

(d) मालव के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अनुसार, के मुख्य उद्देश्यमालवहैं:

1. सदस्यों और अन्य लोगों से प्राप्त दूध और दूध उत्पादों के संग्रहण, क्रय, प्रसंस्करण, विपणन और उससे संबंधित किसी भी गतिविधि के अंतर्गत आने वाली गतिविधियों में शामिल होना।

2. सदस्यों के लाभ के लिए दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु पशुपालन, चारा/पशु आहार, पशु चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में तकनीकी और प्रबंधकीय सेवाएं प्रदान करना या प्रदान करने की व्यवस्था करना।

3. सदस्यों के बीच पारस्परिकता और पारस्परिक सहायता के सिद्धांतों को बढ़ावा देने वाली शिक्षा, प्रशिक्षण और अन्य गतिविधियाँ प्रदान करना।

4. यह सुनिश्चित करना कि सदस्यों और अन्य लोगों से प्राप्त दूध की गुणवत्ता कंपनी और वैधानिक अधिकारियों द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।

5. सदस्यों और अन्य लोगों से प्राप्त प्राथमिक उत्पादों और उनके व्युत्पन्न उत्पादों, जिनमें खाद्य तेल, फल और सब्जियां शामिल हैं, की खरीद, उत्पादन, प्रसंस्करण, बिक्री, व्यापार,

आयात, निर्यात आदि का व्यवसाय करना, उनका विपणन करना और उनसे संबंधित किसी भी गतिविधि के भाग के रूप में या उससे जुड़े कार्यों में शामिल होना।

6. सदस्यों को विभिन्न वित्तीय सेवाएं प्रदान करना।

(e) The धारा 11 और धारा 14 मालव के एसोसिएशन के ज्ञापन और एसोसिएशन के लेख में क्रमशः यह प्रावधान है कि इसकी आम सभा में प्रस्ताव पारित करके इसका समामेलन, विलय या विभाजन किया जा सकता है।

(f) 31 मार्च, 2026 को मालाव की अधिकृत, जारी और भुगतानित शेयर पूंजी निम्नानुसार है:

विवरण	**INR**
अधिकृत शेयर पूंजी	
100 रुपये प्रति शेयर के 10,00,000 इक्विटी शेयर	10,00,00,000
कुल	**10,00,00,000**
जारी और चुकता शेयर पूंजी	
100 रुपये प्रति शेयर के 4,48,190 इक्विटी शेयर	4,48,19,000
कुल	**4,48,19,000**

मालव की चुकता शेयर पूंजी में परिवर्तन हुए हैं। 26 अगस्त, 2026 तक, मालव की अधिकृत, जारी और चुकता शेयर पूंजी निम्नानुसार है:

विवरण	**INR**
अधिकृत शेयर पूंजी	
100 रुपये प्रति शेयर के 10,00,000 इक्विटी शेयर	10,00,00,000
कुल	**10,00,00,000**
जारी और चुकता शेयर पूंजी	
479281प्रत्येक 100 रुपये के इक्विटी शेयर	4,79,28,100
कुल	**4,79,28,100**

3. प्रस्तावित विलय का औचित्य

प्रस्तावित विलय का औचित्य, अन्य बातों के अलावा, निम्नलिखित है:

(a) मुक्ता और मालव दोनों मध्य प्रदेश में निगमित महिला नेतृत्व वाली मिल्क प्रोड्यूसर कंपनियां हैं, जो बल्क मिल्क कूलिंग सेंटर्स (बीएमसी) और मिल्क चिलिंग सेंटर्स (एमसीसी) के नेटवर्क के माध्यम से अपनी-अपनी महिला किसान सह सदस्यों से दूध का संग्रहण, खरीद, ठंडा करने और एकत्रीकरण करने तथा उसका विपणन करने के साथ-साथ इससे संबंधित अन्य गतिविधियों में भी लगी हुई हैं।

(b) मुक्ता का संचालन वर्तमान में मध्य प्रदेश के सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवारी, पन्ना और नरसिंहपुर जिलों और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में फैला हुआ है, जिसे इन जिलों में स्थापित बीएमसी के नेटवर्क का समर्थन प्राप्त है। दूसरी ओर, मालव का संचालन मध्य प्रदेश के राजगढ़, शिवपुरी, श्योपुर, गुना, दतिया, मोरेना, भिंड और अशोक नगर जिलों में फैला हुआ है, जिसे इन जिलों में स्थापित बीएमसी और एमसीसी के अपने नेटवर्क का समर्थन प्राप्त है। इस प्रकार मुक्ता और मालव के परिचालन क्षेत्र अलग-अलग और पूरक हैं, और ये दोनों उत्पादक कंपनियां मिलकर मध्य प्रदेश राज्य में अधिक व्यापक और भौगोलिक रूप से विविध क्षेत्र को कवर करती हैं।

(c) मुक्ता एक महत्वपूर्ण विस्तार रणनीति पर सक्रिय रूप से काम कर रही है और पहले ही टीकमगढ़, निवारी और नरसिंहपुर जिलों में प्रवेश कर चुकी है। इसके बाद, रीवा, सतना और अन्य उन क्षेत्रों में विस्तार करने की योजना है जहां मालव की मजबूत परिचालन उपस्थिति है। इन क्षेत्रों में मालव के स्थापित नेटवर्क, सदस्यता आधार और खरीद क्षमता को देखते हुए, प्रस्तावित विलय मुक्ता को विस्तार के लिए एक त्वरित और लागत-प्रभावी मार्ग प्रदान करेगा, साथ ही संयुक्त इकाई को बढ़े हुए पैमाने, परिचालन दक्षता और मजबूत बाजार उपस्थिति से लाभ उठाने में सक्षम बनाएगा।

(d) मालव का राजस्व और लाभ के मामले में व्यापक परिचालन है, साथ ही इसकी परिसंपत्ति आधार भी मजबूत है। इसके अलावा, यह अपने परिचालन जिलों में दूध खरीद अवसंरचना और उत्पादक सहायता सेवाओं को मजबूत करने के लिए कई पहल कर रहा है, जिनमें मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों (एमवीयू) का संचालन, कुछ अतिरिक्त दूध शीतलन केंद्रों की स्थापना और अपने सदस्यों के लिए साइलेज अपनाने और हरे चारे के विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देना शामिल है।

(e) दोनों कंपनियों के प्रबंधन का मानना है कि मुक्ता को मालव के विशाल वित्तीय आधार, मजबूत बुनियादी ढांचे, भविष्य में विकास के लिए चिन्हित क्षेत्रों में स्थापित उपस्थिति और उत्पादक-सहायता पहलों के साथ मिलाने से एक बड़ी उत्पादक कंपनी बनेगी जो दोनों कंपनियों के संचालन की निरंतर वृद्धि को समर्थन और बनाए रखने के लिए बेहतर स्थिति में होगी, जिससे दोनों कंपनियों के संयुक्त परिचालन क्षेत्रों में दूध की खरीद, चिलिंग और उत्पादक-सहायता गतिविधियों की अधिक समन्वित योजना और प्रशासन संभव हो सकेगा। सुविधाओं के इस एकीकरण से तालमेल बनेगा और व्यवसायों को एक इकाई में सामंजस्य स्थापित करने से कई लाभ प्राप्त होंगे, जिनका विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है।

- मालव के बुनियादी ढांचे का उपयोग संयुक्त व्यावसायिक कार्यों के लिए किया जा सकता है, जिससे दूध को ठंडा करने और भंडारण करने की दक्षता में सुधार होगा और संसाधनों की पुनरावृत्ति कम होगी, साथ ही दोनों कंपनियों के सदस्यों और हितधारकों को लाभ होगा।

- मालव की पूंजीगत संपत्तियां जैसे डेटा प्रोसेसर मिल्क कलेक्शन यूनिट (डीपीएमसीयू), बल्क मिल्क कूलर आदि का उपयोग मालव द्वारा मुक्ता की परिचालन क्षमता को तत्काल बढ़ाने के लिए किया जाएगा, बिना अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के, जिससे विलय किए गए नेटवर्क में तेजी से एकीकरण और दूध खरीद दक्षता में सुधार संभव होगा।

- मुक्ता और मालव के समान व्यवसाय के समेकन से परिचालन में तालमेल बनेगा और व्यवसाय के विस्तार और दीर्घकालिक टिकाऊ विकास को सक्षम बनाएगा, जिससे दोनों कंपनियों के सदस्यों और हितधारकों के लिए अधिक मूल्य सृजित होगा।

- एकल प्रबंधन टीम संरचना के परिणामस्वरूप, ओवरहेड्स, प्रशासनिक, प्रबंधकीय और अन्य सामान्य लागतों के दोहराव में कमी और कानूनी और नियामक अनुपालनों की बहुलता में कमी के कारण, बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्थाओं और परिचालन दक्षता में वृद्धि संभव हो पाती है।

- मुक्ता के सदस्य मालव के सदस्य बन जाएंगे और विलय की गई कंपनी को प्रतिदिन दूध की आपूर्ति जारी रखेंगे, जिससे उनकी आजीविका निरंतर बनी रहेगी, लेकिन साथ ही उन्हें एक बड़ा और सुस्थापित सहायता तंत्र भी मिलेगा।

(f) तदनुसार, उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए और कंपनियों के अपने किसी भी लेनदार और सदस्यों के प्रति दायित्वों और देनदारियों में कोई कमी न होने के मद्देनजर, दोनों कंपनियों के निदेशक मंडल ने अधिनियम की धारा 378ZN और अन्य लागू प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के अनुसार मुक्ता का मालव में विलय करने का संकल्प लिया है। दोनों कंपनियों के निदेशक मंडल का मानना है कि विलय का प्रस्तावित संकल्प सभी हितधारकों को लाभ पहुंचाएगा और सभी शेयरधारकों के मूल्य में वृद्धि करेगा।

(g) अधिनियम की धारा 387ZN और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार प्रस्तावित संकल्प में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

(i) मुक्ता का मालव के साथ और उसमें विलय;

(ii) मालाव द्वारा प्रतिफल के रूप में इक्विटी शेयरों का निर्गमन और आवंटन;

(iii) मुक्ता की अधिकृत शेयर पूंजी का मालव के साथ हस्तांतरण और समेकन;

(iv) मुक्ता का विघटन; और

(v) इससे संबंधित अन्य अनेक मामले, जो परिणामी हों या अन्यथा अभिन्न रूप से जुड़े हों; प्रत्येक मामले का निपटारा प्रस्तावित संकल्प में अधिक विस्तार से वर्णित तरीके से किया जाएगा।

4. विलय को नियंत्रित करने वाले विनियामक प्रावधान:

(a) मुक्ता और मालव उत्पादक कंपनियां हैं जिनका गठन "प्राथमिक उत्पादकों" के इक्विटी योगदान से किया गया है और यह केवल उन्हीं तक सीमित है, अर्थात् उत्पादक कंपनियों में सरकार या निजी इक्विटी की कोई भागीदारी नहीं हो सकती है और सदस्य की इक्विटी का व्यापार नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसे केवल किसी अन्य पात्र उत्पादक को ही हस्तांतरित किया जा सकता है।

(b) अधिनियम की धारा 378जी में यह प्रावधान है कि उत्पादक कंपनी की सदस्यता स्वैच्छिक है और उन सभी पात्र व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है जो उत्पादक कंपनी की सुविधाओं या सेवाओं में भाग ले सकते हैं या उनका लाभ उठा सकते हैं और सदस्यता के कर्तव्यों को स्वीकार करने के इच्छुक हैं। इन कंपनियों के सदस्य महिला **मिल्क प्रोड्यूसर** किसान हैं, जिनमें से अधिकांश छोटे और सीमांत किसान हैं जिनके पास आजीविका के सीमित साधन हैं।

(c) उत्पादक कंपनियों को अधिनियम के एक विशिष्ट अध्याय XXIA के माध्यम से एक विशेष दर्जा दिया गया है, जिसे उत्पादक कंपनियों को नियंत्रित करने के लिए पेश किया गया है और अधिनियम के अन्य प्रावधानों या उस समय लागू किसी भी कानून पर इसका अधिभावी प्रभाव है (अधिनियम की धारा 378ZQ)।

(d) अधिनियम की धारा 378ZN में दो या दो से अधिक उत्पादक कंपनियों के विलय या समामेलन के लिए स्पष्ट प्रावधान हैं।ऐसी कंपनियां जो अपनी आम सभा में विलय के विस्तृत प्रावधानों वाला प्रस्ताव पारित करने का प्रावधान करती हैं। उक्त प्रस्ताव मुक्ता को संपत्ति, देनदारियां, अनुबंध, कर्मचारी आदि हस्तांतरित करने के रूप में कार्य करता है।

(e) अधिनियम की धारा 378ZN के प्रावधानों के अनुसार, इस प्रस्ताव के प्रभावी होने पर कंपनी रजिस्ट्रार मुक्ता का नाम हटा देगा।

5. मुक्ता और मालव का मंडल उनकाक्रमशः 25 अगस्त 2026 और 26 अगस्त 2026 को आयोजित बोर्ड की बैठकों में मुक्ता का मालव में विलय करने के संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया।

6. साथ में संलग्न सूचना और स्पष्टीकरण विवरण में उल्लिखित प्रासंगिक दस्तावेज, सूचना भेजे जाने की तिथि से लेकर **सभा** की तिथि तक सभी कार्यदिवसों (शनिवार, रविवार और सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर) के व्यावसायिक घंटों के दौरान कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं।

7. कंपनी के किसी भी निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी/उनके रिश्तेदार उपर्युक्त प्रस्ताव से किसी भी प्रकार से, वित्तीय या अन्य रूप से, संबंधित या हितधारक नहीं हैं।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

दिनांक: 26 अगस्त, 2026
स्थान: ब्यावरा

रविंद्र सिंह
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए बजट

मालव महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड				
राजस्व बजट				
क्र.सं.	विवरण	यूओएम	बजट वित्त वर्ष 25-26	प्रस्तावित बजट वित्त वर्ष 26-27
(मैं)	दूध खरीद मात्रा	(केजीपीडी)	93,071	1,50,831
(II)	दूध उत्पादन से राजस्व	(लाख रुपये में)	21,391.9	35,848.9
(III)	उत्पादक मूल्य	(लाख रुपये में)	18,907.0	31,528.5
(IV)	सहायक मार्जिन	(लाख रुपये में)	385.7	695.4
(V)	लॉजिस्टिक लागत	(लाख रुपये में)	1,172.2	2,045.0
(VI)	दूध खरीद की अन्य लागत	(लाख रुपये में)	616.8	934.0
(सातवां)	निश्चित लागत	(लाख रुपये में)	388.6	660.3
(आठवां)	**अनुदान सहायता से पहले दुग्ध उत्पादन से होने वाला लाभ/(हानि)**	**(लाख रुपये में)**	**(78.27)**	**(14.24)**
(IX)	अनुदान सहायता - दुग्ध उत्पादन	(लाख रुपये में)	-	-
(एक्स)	**अनुदान सहायता के बाद दुग्ध उत्पादन से होने वाला लाभ/(हानि)।**	**(लाख रुपये में)**	**(78.27)**	**(14.24)**
(XI)	पीईएस गतिविधियों के लिए राजस्व व्यय	(लाख रुपये में)	16.26	46.20
(XII)	(घाटा) - पीईएस संचालन	(लाख रुपये में)	7.80	(32.53)
(XIII)	अनुदान सहायता - पीईएस संचालन	(लाख रुपये में)	-	-
(XIV)	पीईएस संचालन से लाभ/(हानि)	(लाख रुपये में)	7.80	(32.53)
(XV)	अन्य कमाई	(लाख रुपये में)	103.05	114.68
(XVI)	**कर से पूर्व लाभ/(हानि)**	**(लाख रुपये में)**	**32.57**	**67.91**
पूंजीगत व्यय बजट				
क्र.सं.	विवरण	यूओएम	बजट वित्त वर्ष 25-26	Proposed Budget FY 26-27
ए	**दूध संचालन**			
(मैं)	एमपीपी सेटअप लागत	(लाख रुपये में)	3.50	64.00
(II)	डिब्बे	(लाख रुपये में)	64.00	190.00
(III)	बीएमसी/इंस्टेंट चिलर	(लाख रुपये में)	78.85	190.00
(IV)	आईसीटी	(लाख रुपये में)	69.65	141.24
(V)	डीपीएमसीयू	(लाख रुपये में)	150.90	545.60
(VI)	एएमसीयू	(लाख रुपये में)	2.00	-
(सातवां)	ईटीपी	(लाख रुपये में)	12.00	-

(आठवां)	एचओ सेटअप	(लाख रुपये में)	5.10	15.00
(IX)	एमसीसी-लैब की स्थापना लागत	(लाख रुपये में)	2.00	
(एक्स)	गुणवत्ता विभाग के उपकरण	(लाख रुपये में)		126.50
(XI)	एफईएस- मरम्मत मशीनरी	(लाख रुपये में)	-	1.00
(XII)	अन्य पूंजीगत व्यय मदें		-	2.00
	पूंजीगत व्यय - दूध संचालन	(लाख रुपये में)	**-**	**1,275.34**
(XIII)	पूंजीगत व्यय अनुदान सहायता - दुग्ध उत्पादन		-	
	स्वयं के फंड से पूंजीगत व्यय	(लाख रुपये में)	**388.00**	**1,275.34**
मैं	कुल पूंजीगत व्यय	(लाख रुपये में)	**388.00**	**1,275.34**
द्वितीय	कुल पूंजीगत व्यय अनुदान	(लाख रुपये में)	**-**	**-**
तृतीय	**स्वयं के फंड से पूंजीगत व्यय**	(लाख रुपये में)	**388.00**	**1,275.34**

नौवीं वार्षिक आम सभा का कार्यवृत्त

मालव महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की 9वीं वार्षिक आम सभा का कार्यवृत्त, जो सोमवार, 29 सितंबर, 2025 को ला ओम पैलेस, ब्यावरा, राजगढ़, मध्य प्रदेश-465674 में आयोजित हुई, प्रारंभ हुआ।दोपहर 12:00 बजे शुरू हुआ और दोपहर 12:45 बजे समाप्त हुआ।

उपस्थित:

1. श्रीमती रामश्री शर्मा	:	अध्यक्ष एवं शेयरधारक
2. श्रीमती टीना यादव	:	निदेशक एवं शेयरधारक
3. श्रीमती नीलम नगर	:	निदेशक एवं शेयरधारक
4. श्रीमती सुनीता विश्वकर्मा	:	निदेशक एवं शेयरधारक
5. श्रीमती बबीता परमार	:	निदेशक एवं शेयरधारक
6. श्रीमती रीना डांगी	:	निदेशक एवं शेयरधारक
7. श्रीमती ममता बाई	:	निदेशक एवं शेयरधारक
8. श्रीमती मीना राजपूत	:	निदेशक एवं शेयरधारक
9. श्रीमती ममता लोधी	:	निदेशक एवं शेयरधारक
10. श्रीमती अब्देश यादव	:	निदेशक एवं शेयरधारक
11. श्रीमती पूजा गोस्वामी	:	निदेशक एवं शेयरधारक
12. श्रीमती रेखा लोढ़ा	:	निदेशक एवं शेयरधारक
13. श्रीमती पूनम यादव	:	निदेशक एवं शेयरधारक
14. श्री रवि रंजन	:	विशेषज्ञ निदेशक
15. श्री रविंद्र सिंह	:	मुख्य कार्यकारी & निदेशक

हाजिरी में:

1. सुश्री श्वेता वर्मा	:	कंपनी सचिव

A. श्रीमती रामश्री शर्मा उन्होंने अध्यक्षता संभाली और कंपनी सचिव से सभा शुरू करने के लिए आवश्यक उपस्थिति और कोरम की पुष्टि करने को कहा।

B. इसके बाद, कंपनी सचिव सुश्री श्वेता वर्मा ने बताया कि उपस्थिति रजिस्टर के अनुसार, 3186 शेयर रखने वाले 53 सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे और 2,67,039 शेयर रखने वाले 9009 शेयरधारक प्रॉक्सी के माध्यम से उपस्थित थे। कुल मिलाकर 2,70,225 शेयर रखने वाले 9062 सदस्य उपस्थित थे। उन्होंने आगे कहा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA (9) और एसोसिएशन के आर्टिकल्स के अनुच्छेद 11.6 के अनुसार आवश्यक कोरम वैध कोरम का गठन करता है।

C. अनुरोध पर, बोर्ड ने श्री बसंत चौधरी को अवकाश प्रदान किया।, विशेषज्ञकंपनी के निदेशक।

D. अध्यक्ष ने कंपनी सचिव से कोरम की पुष्टि करने के बाद घोषणा की कि कोरम पूरा हो चुका है।

E. कंपनी सचिव ने बताया कि प्रॉक्सी रजिस्टर, सदस्यों का रजिस्टर, निदेशकों की शेयरधारिता का रजिस्टर, वैधानिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और अन्य वैधानिक रजिस्टर उपलब्ध हैं और निरीक्षण के लिए खुले हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कंपनी की लेखा परीक्षक रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल टिप्पणी या आपत्ति नहीं है, इसलिए लेखा परीक्षक रिपोर्ट को पढ़ा हुआ मान लिया गया है।

F. अध्यक्ष ने कंपनी की 9वीं वार्षिक आम सभा में सदस्यों और निदेशकों का स्वागत किया।इसके बाद, अध्यक्ष ने कंपनी के मूल्यों, मिशन और विजन को पढ़कर सभा की कार्यवाही शुरू की।

G. उपस्थित सदस्यों की सर्वसम्मति से, सदस्यों को पहले ही वितरित की जा चुकी 9वीं वार्षिक आम सभा के आयोजन संबंधी सूचना को पढ़ा हुआ मान लिया गया।

H. इसके बाद, अध्यक्ष ने अपने भाषण में कंपनी के संचालन और कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के बारे में सभा को संक्षिप्त जानकारी दी।

I. इसके बाद, अध्यक्ष की सलाह पर, सुश्री श्वेता वर्मा कंपनी सचिव ने सभा के एजेंडा के मदों पर चर्चा शुरू की।

सभा में निम्नलिखित कार्यसूची पर चर्चा हुई:

1. **31 मार्च 2025 की लेखापरीक्षित बैलेंस शीट, उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए लाभ और हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण, साथ ही उससे संबंधित अनुसूचियां और टिप्पणियां, तथा निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को प्राप्त करने, विचार करने और स्वीकार करने के लिए, तथा इस संबंध में निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव को अपनाने के लिए।:**

श्रीमती सविता राय(फोलियो संख्या: 0017769) निम्नलिखित प्रस्ताव को एक साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया गया:

<u>संकल्प संख्या 1/9वीं वार्षिक आम सभा: 29.09.2025/2025-26</u>

"यह संकल्प लिया जाता है कि 31 मार्च 2025 को लेखापरीक्षित बैलेंस शीट, लाभ और हानि खाता और उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए नकदी प्रवाह विवरण, साथ ही इसके भाग के रूप में गठित अनुसूचियां और टिप्पणियां तथा निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को एतद्द्वारा अनुमोदित और अपनाया जाता है।"

श्रीमती रश्मी (फोलियो संख्या: 0025598) ने उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन किया।

अध्यक्ष ने हाथ उठाकर मतदान करने का प्रस्ताव रखा और मतदान समाप्त होने के बाद इसे सर्वसम्मति से पारित घोषित किया।

2. **वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए कंपनी की शेयर पूंजी पर सीमित प्रतिफल (लाभांश) पर विचार करने और उसकी घोषणा करने के लिए तथा इस संबंध में निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव को अपनाने के लिए।**

श्रीमती तनीशा जाट (फोलियो संख्या: 0020455) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को एक साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया:

<u>संकल्प संख्या 2/9वीं वार्षिक आम सभा: 29.09.2025/2025-26</u>

"यह संकल्प लिया गया कि 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के चालू लाभ में से ₹8 प्रति इक्विटी शेयर की दर से 377039 पूर्णतः भुगतानित इक्विटी शेयरों पर शेयर पूंजी पर सीमित प्रतिफल (लाभांश) दिया जाए, जिसमें प्रत्येक शेयर का मूल्य ₹100 है और जो वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए ₹30,16,312/- को समाहित करता है। यह राशि उन इक्विटी शेयरधारकों को दी जाए, जिनके नाम 31 मार्च 2025 को सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज हैं।"

श्रीमती सुधा (फोलियो संख्या: 0040265) ने उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन किया।

अध्यक्ष ने हाथ उठाकर मतदान करने का प्रस्ताव रखा और मतदान समाप्त होने के बाद इसे सर्वसम्मति से पारित घोषित किया।

3. **श्रीमती रामश्री शर्मा (डीआईएन: 07893820) की सेवानिवृत्ति पर विचार करने के लिए, जो रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त हो रही हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए अपात्र हैं, इस संबंध में निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव को अपनाया जाए:**

श्रीमती कौशल्या यादव (फोलियो संख्या: 0032037) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को एक साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:

<u>संकल्प संख्या 3/9वीं वार्षिक आम सभा: 29.09.2025/2025-26</u>

"यह संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 और धारा 378जेडए के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 9.6 और अनुच्छेद 9.6 के अनुसार लागू अन्य प्रावधानों के तहत, और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378जेडए और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों (साथ ही समय-समय पर किए गए किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनर्अधिनियमन के साथ) के तहत, श्रीमती रामश्री शर्मा (डीआईएन: 07893820), निदेशक, जो आगामी वार्षिक आम सभा में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं, पुनर्नियुक्ति के लिए अपात्र हैं, और इस वार्षिक आम सभा के समापन पर निदेशक पद से सेवानिवृत्त होती हैं और परिणामस्वरूप रिक्त पद को भरा नहीं जाएगा।

श्रीमती आकांक्षा यादव (फोलियो संख्या: 0031187) ने उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन किया।

अध्यक्ष ने हाथ उठाकर मतदान करने का प्रस्ताव रखा और मतदान समाप्त होने के बाद इसे सर्वसम्मति से पारित घोषित किया।

4. **श्रीमती नीलम नागर (डीआईएन: 08806718) की सेवानिवृत्ति पर विचार करने के लिए, जो रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त हो रही हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए अपात्र हैं, इस संबंध में निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव को अपनाया जाए:**

श्रीमती सुबेदा लोधी (फोलियो संख्या: 0035824) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को एक साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:

<u>संकल्प संख्या 4/9वीं वार्षिक आम सभा: 29.09.2025/2025-26</u>

"यह संकल्प लिया गया कि,कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 और धारा 378जेडए के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 9.6 और अन्य लागू प्रावधानों (यदि कोई हो, साथ ही समय-समय पर किए गए किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनर्अधिनियमन सहित) के तहत, श्रीमती नीलम नागर (डीआईएन: 08806718), निदेशक, जो आगामी वार्षिक आम सभा में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए अपात्र हैं, इस वार्षिक आम सभा के समापन पर निदेशक पद से सेवानिवृत्त होती हैं और परिणामस्वरूप रिक्त पद को भरा नहीं जाएगा।

श्रीमती जमना बाई (फोलियो संख्या: 0017354) ने उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन किया।

अध्यक्ष ने हाथ उठाकर मतदान करने का प्रस्ताव रखा और मतदान समाप्त होने के बाद इसे सर्वसम्मति से पारित घोषित किया।

5. **श्रीमती रीना डांगी (डीआईएन: 09705962), जो रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त हो रही हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र हैं, की पुनर्नियुक्ति पर विचार करने के लिए, इस संबंध में निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव को अपनाया जाए:**

श्रीमती चंदा लोधी (फोलियो संख्या: 0037577) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को एक साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:

<u>संकल्प संख्या 5/9वीं वार्षिक आम सभा: 29.09.2025/2025-26</u>

"यह संकल्प लिया गया कि,कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 और धारा 378जेडए के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 9.6 और अन्य लागू प्रावधानों (यदि कोई हो) के साथ (साथ ही समय-समय पर किए गए किसी भी वैधानिक संशोधन

या पुनर्अधिनियमन के अनुसार), कंपनी की निदेशक श्रीमती रीना डांगी (डीआईएन: 09705962), जो कंपनी की आगामी वार्षिक आम सभा में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत करने के योग्य होने के कारण, कंपनी के निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त की जाती हैं।

श्रीमती ज्योति मीना (फोलियो संख्या: 0034570) ने उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन किया।

अध्यक्ष ने हाथ उठाकर मतदान करने का प्रस्ताव रखा और मतदान समाप्त होने के बाद इसे सर्वसम्मति से पारित घोषित किया।

6. **श्रीमती पूजा गोस्वामी (डीआईएन: 11295000) को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त करने पर विचार किया जाए।**

श्रीमती संगीता (फोलियो संख्या: 0013393) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को एक साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:

संकल्प संख्या 6/9वीं वार्षिक आम सभा: 29.09.2025/2025-26

"यह संकल्प लिया गया कि श्रीमती पूजा गोस्वामी (डीआईएन: 11295000), जिन्हें डीआईएन आवंटन की तिथि से कंपनी के निदेशक मंडल में अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और जो इस वार्षिक आम सभा की तिथि तक पद पर बनी हुई हैं, उन्हें कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिनका कार्यकाल रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगा।

हल किया इसके अलावा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी या कंपनी सचिव को इस प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के लिए सभी आवश्यक, उचित और उपयुक्त कदम उठाने के लिए अधिकृत किया जाता है।

श्रीमती उमाभारती लोधी (फोलियो संख्या: 0027999) ने उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन किया।

अध्यक्ष ने हाथ उठाकर मतदान करने का प्रस्ताव रखा और मतदान समाप्त होने के बाद इसे सर्वसम्मति से पारित घोषित किया।

7. **श्रीमती पूनम यादव (डीआईएन: 11295198) को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त करने पर विचार किया जाए।**

श्रीमती अवंती बाई (पृष्ठ संख्या: 0025375) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को एक साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:

संकल्प संख्या 7/9वांवार्षिक आम सभा: 29.09.2025/2025-26

"यह संकल्प लिया गया किश्रीमती पूनम यादव (डीआईएन: 11295198), जिन्हें डीआईएन आवंटन की तिथि से कंपनी के निदेशक मंडल में अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और जो इस वार्षिक आम सभा की तिथि तक पद पर बनी हुई हैं, उन्हें कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिनका कार्यकाल रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगा।

इसके अलावा यह भी संकल्प लिया गया किमुख्य कार्यकारी अधिकारी या कंपनी सचिव को इस प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के लिए सभी आवश्यक, उचित और उपयुक्त कदम उठाने के लिए अधिकृत किया जाता है।

श्रीमती रीता लोधी (फोलियो संख्या: 0025684) ने उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन किया।

अध्यक्ष ने हाथ उठाकर मतदान करने का प्रस्ताव रखा और मतदान समाप्त होने के बाद इसे सर्वसम्मति से पारित घोषित किया।

8. **श्रीमती रेखा लोढ़ा (डीआईएन: 11294982) को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त करने पर विचार किया जाए।**

श्रीमती शिवकन्या बाई (फोलियो संख्या: 00249250) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को एक साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:

संकल्प संख्या 8/9वीं वार्षिक आम सभा: 29.09.2025/2025-26

"यह संकल्प लिया गया कि श्रीमती रेखा लोढ़ा (डीआईएन: 11294982), जिन्हें डीआईएन आवंटन की तिथि से कंपनी के निदेशक मंडल में अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और जो इस वार्षिक आम सभा की तिथि तक पद पर बनी हुई हैं, उन्हें कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिनका कार्यकाल रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगा।

इसके अलावा यह भी संकल्प लिया गया किमुख्य कार्यकारी अधिकारी या कंपनी सचिव को इस प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के लिए सभी आवश्यक, उचित और उपयुक्त कदम उठाने के लिए अधिकृत किया जाता है।

श्रीमती कविता बाई (फोलियो संख्या: 0026619) ने उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन किया।

अध्यक्ष ने हाथ उठाकर मतदान करने का प्रस्ताव रखा और मतदान समाप्त होने के बाद इसे सर्वसम्मति से पारित घोषित किया।

9. **संरक्षण के आधार पर सदस्यों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने के मानदंडों पर विचार करने और उन्हें अनुमोदित करने के लिए, इस संबंध में निम्नलिखित विशेष प्रस्ताव को अपनाया जाए।**

श्रीमती वंदना मेहर (फोलियो संख्या: 0037021) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को विशेष प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया:

संकल्प संख्या 9/9वांवार्षिक आम सभा: 29.09.2025/2025-26

"यह संकल्प लिया गया कि 27 अक्टूबर, 2017 को आयोजित पहली वार्षिक आम सभा में पारित संकल्प (संकल्प संख्या 8 के माध्यम से) को निरस्त करते हुए, कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 9.4 के अनुसार, व्यवसाय में सदस्यों की भागीदारी (अर्थात, संरक्षण) के आधार पर सदस्यों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने के लिए संशोधित मानदंड निम्नानुसार निर्धारित किए गए हैं:

पैरामीटर	**एक कक्षा**	**कक्षा बी**	**क्लास सी**
एक वर्ष में एमपीसी को दूध की आपूर्ति किए जाने वाले दिनों की संख्या	>=300	>=270	>=200
एमपीसी को प्रतिवर्ष आपूर्ति की जाने वाली दूध की मात्रा (लीटर में)	>=7000	>=2500	>=500
दूध आपूर्ति अनुपातफ्लश (अर्थात, नवंबर से फरवरी) औरदुबला(यानी,	फ्लश से लीन अनुपात 3.0 से	फ्लश से लीन अनुपात 3.0 से	फ्लश से लीन अनुपात 3.0 से

अप्रैल से जुलाई तक) अनुपात 3:1 से अधिक नहीं होना चाहिए।	अधिक नहीं होना चाहिए।	अधिक नहीं होना चाहिए।	अधिक नहीं होना चाहिए।
एमपीसी शेयरों की न्यूनतम संख्या (योगदान की गई शेयर पूंजी की राशि)	70 शेयर	25 शेयर	5 शेयर

* टिप्पणी -

a) श्रेणी निर्धारण के लिए वास्तविक हिस्सेदारी योगदान या आपूर्ति की गई दूध की वास्तविक मात्रा, दोनों में से जो भी कम हो, उसे ध्यान में रखा जाएगा।

b) संरक्षण की गणना के उद्देश्य से, निम्नलिखित बातों पर विचार किया जाएगा:

i. वे सदस्य जिन्हें पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान प्रवेश दिया गया है और जिन्होंने अभी तक अपनी सदस्यता के 365 दिन पूरे नहीं किए हैं, लेकिन न्यूनतम आवश्यक शेयर पूंजी का भुगतान कर दिया है, उन्हें उस वर्ग का सदस्य माना जाएगा।

ii. जो सदस्य श्रेणी ए या श्रेणी बी के मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, वे उपयुक्त निचली श्रेणी में जा सकते हैं जिसके लिए वे मानदंडों को पूरा करते हैं। हालांकि, वे उस वर्ष के लिए निदेशक मंडल के पद के लिए चुनाव लड़ने के पात्र नहीं होंगे।

iii. जो सदस्य कम से कम 'क्लास सी' की सदस्यता बनाए रखने के लिए आवश्यक मानदंडों को पूरा नहीं कर रहे हैं, उन्हें कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 8 के साथ पढ़े गए अनुच्छेद 4.3 के प्रावधानों के अनुसार सदस्यता रद्द करने का नोटिस जारी किया जाएगा।

इसे एतद्द्वारा अनुमोदित और अपनाया जाता है और यह वित्तीय वर्ष 2025-26 से प्रभावी होगा।

श्रीमती रचना रामनिवास (फोलियो संख्या: 0013398) ने उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन किया।

अध्यक्ष ने हाथ उठाकर मतदान करने का प्रस्ताव रखा और मतदान समाप्त होने के बाद इसे सर्वसम्मति से पारित घोषित किया।

10. बोर्ड में रिक्त पदों के लिए पात्र सदस्यों से प्राप्त आवेदनों की परिभाषित मानदंडों के आधार पर जांच करने हेतु नामांकन समिति के गठन के लिए दिशानिर्देशों पर विचार करना और उन्हें अनुमोदित करना।

श्रीमती शिवानी परमार (फोलियो संख्या: 0037450) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को एक साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:

<u>संकल्प संख्या 10/9वीं वार्षिक आम सभा: 29.09.2025/2025-26</u>

"यह संकल्प लिया गया किकंपनी अधिनियम के भाग XXI-A के प्रासंगिक प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 378-I और धारा 14 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों, जिनमें इसके अंतर्गत बनाए गए नियम भी शामिल हैं, के अनुसार, नामांकन समिति के गठन के लिए दिशानिर्देशों को अपनाने और अनुमोदन के लिए कंपनी के शेयरधारकों की सहमति प्रदान की जाती है।

(i) मालव महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") का बोर्ड वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीन महीने के भीतर एक "नामांकन समिति" (एनसी) का गठन करेगा, जो कंपनी के बोर्ड में रिक्त उत्पादक-सदस्य निदेशक पद के लिए संभावित उम्मीदवार का सुझाव देगी।

(ii) कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा निर्माता निदेशकों के पद (श्रेणी ए, श्रेणी बी या श्रेणी सी) की रिक्तियों की घोषणा की जाएगी। नामांकन समिति द्वारा विचार के लिए पात्र सदस्यों से नामांकन आमंत्रित करने वाला नोटिस (बोर्ड में रिक्त पदों की संख्या के अनुसार) कंपनी के नोटिस बोर्ड पर और/या कंपनी की वेबसाइट (यदि कोई हो) पर प्रकाशित किया जाएगा, और/या साधारण डाक द्वारा परिपत्र भेजकर और/या कंपनी के साथ पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेजकर और/या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संबंधित श्रेणी के सभी पात्र सदस्यों को सूचित किया जाएगा, जिनके लिए रिक्ति उत्पन्न हुई है।

(iii) बोर्ड एक ऐसी प्रक्रिया तैयार करेगा जिसका पालन 'नामांकन समिति' को अनुच्छेद के अंतर्गत निर्दिष्ट संभावित सदस्यों की पहचान करने के लिए करना होगा।

(iv) नामांकन समिति पात्र आवेदक के लिए प्रत्येक पैरामीटर के आधार पर दिए जाने वाले 'पात्रता स्कोर' को दर्शाने वाली निम्नलिखित तालिका पर विचार करेगी:

आवेदक की पात्रता स्कोर के लिए पैरामीटर	**अधिकतम स्कोर**

पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी को आपूर्ति किए गए दूध के दिनों की संख्या के आधार पर स्कोरिंग इस प्रकार होगी: (95% या उससे अधिक दिन - 30; 85% से <95% दिन - 20; 75% से <85% - 15; 65% से <75% - 10; 55% से <65% - 5; <55% - 0)	30
इस अवधि के दौरान कंपनी को पूरा अधिशेष दूध की आपूर्ति करना (अर्थात, किसी अन्य खिलाड़ी/प्रतिस्पर्धी/संचालक को दूध की आपूर्ति नहीं करना) - यह स्व-घोषणा और कंपनी द्वारा बाद में किए गए सत्यापन पर आधारित है।	5
पिछले 5 वर्षों से किसी भी सदस्य वर्ग (A, B, C) में बने रहना (प्रत्येक वर्ष के लिए 6 अंक)	30
12वीं पास के लिए 5 अंक, स्नातक के लिए 10 अंक और स्नातकोत्तर के लिए 15 अंक।	15
प्रशिक्षण में भाग लिया - सदस्य प्रशिक्षण (5 अंक); वीसीजी/एमआरजी प्रशिक्षण (5 अंक); एलडीपी (नेतृत्व विकास कार्यक्रम)/ निदेशक मंडल प्रशिक्षण कार्यक्रम (10 अंक);	20
कुल	**100**

(v) बोर्ड द्वारा गठित नामांकन समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे: -

a. जिस सदस्यता वर्ग में रिक्ति उत्पन्न हुई है, उसी वर्ग से एक उत्पादक-सदस्य निदेशक को बोर्ड में शामिल किया जा सकता है, बशर्ते कि ऐसा उत्पादक-सदस्य निदेशक आगामी वार्षिक आम सभा में सेवानिवृत्त न हो रहा हो। यदि एक से अधिक उत्पादक-सदस्य पात्र हैं, तो लॉटरी द्वारा एक एनसी सदस्य का चयन किया जाएगा। साथ ही, यदि उस वर्ग से कोई उत्पादक-सदस्य निदेशक उपलब्ध नहीं है, तो लॉटरी द्वारा किसी अन्य उत्पादक-सदस्य निदेशक का चयन किया जाएगा।

b. एक विशेषज्ञ निदेशक जो कंपनी के बोर्ड में हैं; और

c. किसी प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थान या ऐसी संस्था का एक विशेषज्ञ, जिसने उत्पादक स्वामित्व वाले उद्यमों के विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया हो।

कंपनी के कंपनी सचिव 'नामांकन समिति' की सहायता करेंगे और नामांकन समिति की सभा के कार्यवृत्त सहित सभी प्रासंगिक दस्तावेजों को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होंगे।

(vi) 'नामांकन समिति' का कार्यकाल समिति की पहली सभा की दिनांक से लेकर कंपनी के बोर्ड को अपनी सिफारिश भेजने की दिनांक तक रहेगा।

(vii) बोर्ड ऐसे संभावित सदस्यों की पहचान करने के लिए 'नामांकन समिति' द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित करेगा।

इसके अलावा यह भी संकल्प लिया गया कि इस प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से, कंपनी के निदेशक मंडल को एतद्द्वारा ऐसे सभी कदम उठाने और ऐसे सभी कार्य, कृत्य, मामले और चीजें करने के लिए अधिकृत किया जाता है, जिन्हें वह अपने पूर्ण विवेकाधिकार से आवश्यक और उपयुक्त समझे, और इस संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, कठिनाई या संदेह का निपटारा करने के लिए भी अधिकृत किया जाता है।

श्रीमती आरती पाटीदार (फोलियो संख्या: 0024616) ने उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन किया।

अध्यक्ष ने हाथ उठाकर मतदान करने का प्रस्ताव रखा और मतदान समाप्त होने के बाद इसे सर्वसम्मति से पारित घोषित किया।

11. वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए कंपनी के बजट पर विचार करना और उसे मंजूरी देना।

श्रीमती कुमकुम नागर (फोलियो संख्या: 0034997) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को एक साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:

<u>संकल्प संख्या 11/9वीं वार्षिक आम सभा: 29.09.2025/2025-26</u>

"यह संकल्प लिया जाता है कि कंपनी का 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 की अवधि का बजट, जैसा कि वार्षिक आम सभा में प्रस्तुत किया गया है, को अनुमोदित किया जाता है।"

श्रीमती राधा बाई (फोलियो संख्या: 0018527) ने उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन किया।

अध्यक्ष ने हाथ उठाकर मतदान करने का प्रस्ताव रखा और मतदान समाप्त होने के बाद इसे सर्वसम्मति से पारित घोषित किया।

12. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में पूंजी खंड में परिवर्तन द्वारा कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि।

श्रीमती कुसुम (फोलियो संख्या: 0017292) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को एक साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:

संकल्प संख्या 12/9वीं वार्षिक आम सभा**: 29.09.2025/2025-26**

"यह संकल्प लिया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 (जिसमें समय-समय पर लागू कोई भी वैधानिक संशोधन या पुनर्अधिनियमन शामिल है) की धारा 378एच और अन्य सभी लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के अनुसार, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी को ₹5,00,00,000 (पांच करोड़ रुपये मात्र) से बढ़ाकर ₹100 (सौ रुपये मात्र) के 5,00,000 (पांच लाख) इक्विटी शेयरों में विभाजित करके ₹10,00,00,000 (दस करोड़ रुपये मात्र) कर दिया जाए, जिसमें प्रत्येक शेयर का मूल्य ₹100 (सौ रुपये मात्र) हो।"

इसके अलावा यह भी संकल्प लिया गया किकंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मौजूदा खंड VI - 'शेयर पूंजी' के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए:

कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी ₹10,00,00,000 (दस करोड़ रुपये मात्र) है, जो ₹100 (सौ रुपये मात्र) के 10,00,000 (दस लाख) इक्विटी शेयरों में विभाजित है।

इसके अलावा यह भी तय किया गया किकंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या कंपनी सचिव को एतद्द्वारा अलग-अलग रूप से कंपनी रजिस्ट्रार के पास आवश्यक प्रपत्रों पर डिजिटल हस्ताक्षर करने या दाखिल करने और उपरोक्त प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक समझे जाने वाले सभी कार्य, कृत्य या कर्म करने के लिए अधिकृत किया जाता है।

श्रीमती अनुसिया बाई (फोलियो संख्या: 0011896) ने उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन किया।

अध्यक्ष ने हाथ उठाकर मतदान करने का प्रस्ताव रखा और मतदान समाप्त होने के बाद इसे सर्वसम्मति से पारित घोषित किया।

13. कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में संशोधनों पर विचार करना और उन्हें अनुमोदित करना तथा यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित प्रस्ताव को संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

श्रीमती उमा लोधी (फोलियो संख्या: 0037714) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को एक साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:

<u>संकल्प संख्या 13/9वीं वार्षिक आम</u> <u>सभा</u>**<u>: 29.09.2025/2025-26</u>**

"यह संकल्प लिया जाता है कि कंपनी अधिनियम के भाग XXI-A के प्रासंगिक प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 378-I और धारा 14 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों, जिनमें इसके अंतर्गत बनाए गए नियम भी शामिल हैं, के अनुसार, कंपनी के मौजूदा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के शेयरधारकों की सहमति से निम्नलिखित तरीके से और निम्नलिखित सीमा तक परिवर्तन किया जाए:

मौजूदा अनुच्छेद 2.1xi और xixइसे निम्नानुसार संशोधित किया जाए;

- 'सदस्य' से तात्पर्य किसी व्यक्तिगत महिला निर्माता या निर्माता संस्था (चाहे निगमित हो या नहीं) से है जिसे कंपनी के सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया हो।
- "उत्पादक संस्था" से तात्पर्य उत्पादक कंपनी या किसी अन्य संस्था से है जिसके सदस्य केवल उत्पादक या उत्पादक या उत्पादक कंपनी या उत्पादक कंपनियां हों, चाहे वह निगमित हो या नहीं, और जिसका धारा 378B में निर्दिष्ट कोई भी उद्देश्य हो और जो अपने नियमों में दिए गए प्रावधानों के अनुसार उत्पादक कंपनी या उत्पादक कंपनियों की सेवाओं का उपयोग करने के लिए सहमत हो;

मौजूदा लेख4इसे निम्नानुसार संशोधित किया जाए;

- **<u>अनुच्छेद 4.1:</u>**सदस्यता
  कंपनी में बोर्ड के निर्णयानुसार व्यक्तिगत महिला उत्पादक या उत्पादक संस्थान या दोनों का संयोजन सदस्य के रूप में हो सकता है।

- **<u>अनुच्छेद 4.2:</u>**सदस्यता प्राप्त करने के लिए योग्यता और प्रक्रिया

v. दूध उत्पादन करने वाली कोई भी महिला उत्पादक, जो स्वयं के स्वामित्व वाले दुधारू पशुओं से दूध का उत्पादन करती हो और गायों और/या भैंसों की देखभाल एवं प्रबंधन के लिए उत्तरदायी हो, या कोई भी उत्पादक संस्था जो अपने सदस्यों के दुधारू पशुओं से दूध प्राप्त करती हो, कंपनी की सदस्यता के लिए आवेदन करने के योग्य होगी। व्यक्तिगत सदस्यता के लिए, प्रत्येक परिवार से केवल एक उत्पादक को ही सदस्यता दी जा सकेगी।

vi. कोई भी महिला उत्पादक या उत्पादक संस्था जो कंपनी की सदस्य बनना चाहती है, उसे निर्धारित आवेदन पत्र में कंपनी को आवेदन करना होगा और कंपनी के ज्ञापन और एसोसिएशन के नियमों का पालन करने का लिखित वचन देना होगा।

इसके अतिरिक्त, वह/निर्माता संस्था एक अप्रतिदेय प्रवेश शुल्क का भुगतान करेगी, कंपनी के इक्विटी शेयरों की सदस्यता लेगी और समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा करेगी।

vii. कोई भी व्यक्ति/उत्पादक संस्था कंपनी का सदस्य नहीं बन सकता यदि:

a) यदि निर्माता/संस्था का कोई ऐसा व्यावसायिक हित है जो कंपनी के व्यवसाय से विरोधाभास रखता है,या

b) वहवह व्यक्ति कंपनी के साथ सीधे तौर पर, ठेकेदार के माध्यम से, या संविदा के आधार पर, पिछले दो वित्तीय वर्षों में से किसी एक में या वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान लगातार कम से कम छह महीने तक कार्यरत रहा हो। जिसमें उसका नामांकन प्रस्तावित है।

viii. ऐसी कोई भी महिला निर्माता/निर्माता संस्था निदेशक मंडल द्वारा उन्हें सदस्य के रूप में स्वीकार करने का प्रस्ताव पारित करने के बाद ही सदस्य बनेगी।

❖ **<u>अनुच्छेद 4.</u>**4: सदस्य के मतदान अधिकार

प्रत्येक सदस्य को एक ही वोट देने का अधिकार होगा, बशर्ते कि संबंधित सदस्य ने एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 200 दिनों तक कुल मिलाकर कम से कम 500 लीटर दूध का उत्पादन किया हो और उत्पादक संस्था के सदस्य ने एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 36,500 लीटर दूध का उत्पादन किया हो।

मौजूदा अनुच्छेद 9.5 i. को निम्नानुसार संशोधित किया जाए;

बोर्ड में प्रत्येक वर्ग के सदस्यों के लिए पदों की संख्या, यथासंभव, संबंधित वर्ग के संरक्षण पर आधारित होगी। हालांकि, कंपनी की नौवीं वार्षिक आम सभा तक यह आवश्यकता लागू नहीं होगी।

मौजूदा अनुच्छेद 9.6 ii को निम्नानुसार संशोधित किया जाए;

बोर्ड में कोई भी रिक्ति होने पर, वार्षिक आम सभा में नियुक्ति बोर्ड द्वारा नियुक्त नामांकन समिति की सिफारिश के आधार पर ही भरी जाएगी। यह प्रावधान कंपनी की नौवीं वार्षिक आम सभा के समापन से प्रभावी होगा।

वर्तमान अनुच्छेद 9.7 को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाए:

"बोर्ड में रिक्त पदों को भरने के लिए, बोर्ड आकस्मिक रिक्ति को भरने हेतु अतिरिक्त निदेशक या निदेशक को सह-विकल्पित कर सकता है, बशर्ते कि आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए चुने गए सदस्य ने कम से कम पिछले दो वित्तीय वर्षों के लिए सदस्यता निरंतरता मानदंड को पूरा किया हो और इस प्रकार नियुक्त अतिरिक्त निदेशक या निदेशक कंपनी की अगली वार्षिक आम सभा तक या यदि बोर्ड नियुक्ति के समय ऐसा निर्णय लेता है तो उससे कम अवधि के लिए पद पर बने रहेंगे।

हालांकि, ऐसे व्यक्ति को लगातार दो वर्षों में बोर्ड में रिक्त पद भरने के लिए सह-विकल्पित नहीं किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, 'पिछले कम से कम दो वित्तीय वर्षों के लिए सदस्यता जारी रखने की शर्त' कंपनी की 9वीं वार्षिक आम सभा के समापन से प्रभावी होगी।

इसके अलावा यह भी संकल्प लिया गया किउपरोक्त परिवर्तनों से पहले कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा किए गए सभी कार्य, क्रियाएं, कृत्य और चीजें भी अनुमोदित की जाती हैं।

इसके अलावा यह भी संकल्प लिया गया कियह सभी पूर्व व्यवस्थाओं का स्थान लेता है।

यह भी संकल्प लिया गया किमुख्य कार्यकारी अधिकारी या कंपनी सचिव को इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए आवश्यक सभी कार्य, कृत्य, मामले और चीजें करने के लिए अधिकृत किया जाता है।

श्रीमती गुड्डी बाई (फोलियो संख्या: 0007829) ने उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन किया।

अध्यक्ष ने हाथ उठाकर मतदान करने का प्रस्ताव रखा और मतदान समाप्त होने के बाद इसे सर्वसम्मति से पारित घोषित किया।

14. एनडीडीबी द्वारा प्रवर्तित की जाने वाली शीर्ष सहकारी संस्था की सदस्यता शेयर पूंजी पर विचार करने और उसे मंजूरी देने के लिए तथा इस संबंध में निम्नलिखित को विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करने के लिए:

श्रीमती रचना यादव (फोलियो संख्या: 0039457) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को एक साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:

संकल्प संख्या 14/9वीं वार्षिक आम सभा**: 29.09.2025/2025-26**

"यह संकल्प लिया जाता है कि कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के अध्याय XXIA के प्रावधानों तथा अधिनियम के किसी अन्य लागू प्रावधानों, साथ ही इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों तथा अन्य

लागू कानूनों/वैधानिक प्रावधानों (यदि कोई हो, जिसमें समय-समय पर लागू कोई वैधानिक संशोधन या पुनर्अधिनियमन शामिल है) के अनुसार, कंपनी के सदस्यों की स्वीकृति दी जाती है कि वे बहुराज्यीय सहकारी समिति के शेयरों को सामान्य भंडार के 30% की सीमा तक सब्सक्राइब करें और NDDB द्वारा प्रवर्तित बहुराज्यीय सहकारी समिति के सदस्य बनें।"

इसके अलावा यह भी संकल्प लिया गया किकंपनी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी को इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए आवश्यक सभी कार्रवाइयां शुरू करने और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए अलग-अलग रूप से अधिकृत किया जाता है।

श्रीमती लीला बाई (फोलियो संख्या: 0008978) ने उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन किया।

अध्यक्ष ने हाथ उठाकर मतदान करने का प्रस्ताव रखा और मतदान समाप्त होने के बाद इसे सर्वसम्मति से पारित घोषित किया।

15. सभा में और कोई कार्यसूची न होने के कारण, अध्यक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ सभा समाप्त हुई।

दिनांक: 25 अक्टूबर, 2025 **अध्यक्ष**

स्थान: ब्यावरा

मालव महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

CIN: U01114MP2017PTC043970

पंजीकृत कार्यालय: ओल्ड एबी रोड, तलवाड़ा, चंपापुरा, ब्यावरा, राजगढ़, एमपी-465674

ईमेल: info@maalavmilk.com

उपस्थिति पर्ची

फोलियो संख्या: .....

सदस्य कोड:

मैं मालव महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की 10वीं वार्षिक आम सभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता/करती हूँ, जो कि बुधवार, दिनांक 30 सितंबर, 2026 को आयोजित की गई थी।

शेयरधारकों के नाम.....

प्रतिनिधि का नाम .....(यदि कोई प्रतिनिधि सभा में उपस्थित हो रहा हो तो)

शेयरधारक/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर*

जो लागू नहीं है उसे काट दें

मालव महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

CIN: U01114MP2017PTC043970

पंजीकृत कार्यालय: ओल्ड एबी रोड, तलवाड़ा, चंपापुरा, ब्यावरा, राजगढ़, एमपी-465674

ईमेल: info@maalavmilk.com

प्रपत्र संख्या एमजीटी-11

छद्म प्रारूप

[कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 105(6) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19(3) के अनुसार]

सदस्य का नाम	
पता	
ईमेल आईडी	
फोलियो संख्या	

मैं, उपर्युक्त कंपनी के ..... शेयरधारकों का सदस्य होने के नाते, एतद्द्वारा नियुक्त करता/करती हूँ

1. नाम ..... ; ईमेल आईडी .....; हस्ताक्षर .....

या उसे विफल करने पर

2. नाम ..... ; ईमेल आईडी .....; हस्ताक्षर .....

कंपनी की 10वीं वार्षिक आम सभा में मेरे और मेरी ओर से उपस्थित होने और वोट देने के लिए मेरे प्रॉक्सी के रूप में , जो बुधवार, 30 सितंबर, 2026 को दोपहर 12:00 बजे होटल ला ओम पैलेस, ब्यावरा, राजगढ़ मध्य प्रदेश-465674 में आयोजित की जाएगी और नीचे दिए गए प्रस्तावों के संबंध में उसके किसी स्थगन पर:

क्रमांक	**संकल्प**	**मतदान**		
		कृपादृष्टि	**ख़िलाफ़**	**तटस्थ**
1	31 मार्च 2026 की लेखापरीक्षित बैलेंस शीट, उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए लाभ और हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण, साथ ही उससे संबंधित अनुसूचियां और टिप्पणियां, तथा निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को प्राप्त करने, विचार करने और स्वीकार करने के लिए, तथा इस संबंध में निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव को अपनाने के लिए।			
2	वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए कंपनी की शेयर पूंजी पर सीमित लाभांश (डिविडेंड) पर विचार करने और उसे घोषित करने के लिए, और इस संबंध में निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव को अपनाने के लिए।			
3	श्रीमती बबीता परमार (डीआईएन: 09287450) की सेवानिवृत्ति पर विचार करने के लिए, जो रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त हो रही हैं और पुनर्नियुक्ति के			

	लिए अपात्र हैं, इस संबंध में निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव को अपनाया जाए।			
4	श्रीमती ममता बाई (नगर) (डीआईएन: 09705968) की सेवानिवृत्ति पर विचार करने के लिए, जो रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त हो रही हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए अपात्र हैं, इस संबंध में निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव को अपनाने के लिए।			
5	श्रीमती मीना राजपूत (डीआईएन: 10720146), जो रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त हो रही हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए अपात्र हैं, की पुनर्नियुक्ति पर विचार करने के लिए, इस संबंध में निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव को अपनाया जाए।			
6	कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति और उनके पारिश्रमिक निर्धारण पर विचार करना।			
7	वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए कंपनी के बजट पर विचार करना और उसे मंजूरी देना।			
8	कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में बदलावों पर विचार करना और उन्हें मंजूरी देना, और यदि उचित समझा जाए, तो विशेष प्रस्ताव के रूप में संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के उन्हें पारित करना।			
9	मुक्ता महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ("विलय करने वाली कंपनी") का मालव महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ("विलय की गई कंपनी") में विलय पर विचार करना और उसे मंजूरी देना, और यदि उचित समझा जाए, तो विशेष प्रस्ताव के रूप में संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के इसे पारित करना।			
10	दसवीं वार्षिक आम सभा (एजीएम) के लिए नामांकन समिति की सभा बुलाने और उसकी औपचारिक सिफारिश प्राप्त करने से छूट पर विचार करना और उसकी पुष्टि करना।			

इस पर सितंबर 2026 के इस दिनांक को हस्ताक्षर किए गए।

1 रुपये का राजस्व डाक टिकट चिपकाएँ।

शेयरधारक के हस्ताक्षर:

प्रतिनिधि के हस्ताक्षर:

नोट: प्रॉक्सी फॉर्म कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में उपरोक्त सभा के आयोजन से कम से कम 48 घंटे पहले पहुंच जाना चाहिए। प्रॉक्सी का सदस्य होना अनिवार्य है।

मालव महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

CIN: U01114MP2017PTC043970

पंजीकृत कार्यालय: ओल्ड एबी रोड, तलवाड़ा, चंपापुरा, ब्यावरा, राजगढ़, एमपी-465674

ईमेल: info@maalavmilk.com

पावती

फ़ोलियो संख्या

मैं _____ निवासी _____ मालव महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की सदस्य हूँ। मैं एतद्द्वारा घोषणा करती हूँ कि मुझे कंपनी की दसवीं वार्षिक आम सभा की सूचना और उसके सभी अनुलग्नक प्राप्त हो गए हैं।

सदस्य के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

दिनांक:

स्थान :